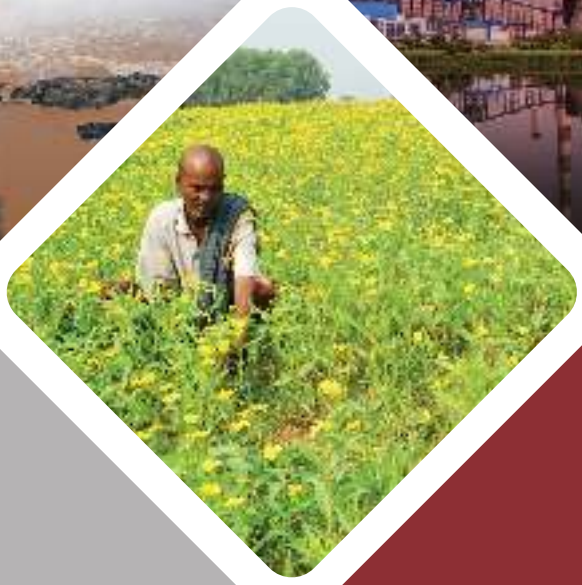

दामोदर
घाटी
निगम

दाघानि
DVC

वार्षिक प्रतिवेदन
2021-22

वार्षिक प्रतिवेदन
2021-22

हमारे बुनियादी मूल्य

सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व हमारे टीम की **प्रवृत्ति** को परिभाषित और हमारे व्यवहार को संचालित करते हैं।

हम एक **टीम** के रूप में अपने ग्राहकों की सर्वोत्तम सेवा के लिए **प्रतिबद्ध** हैं।

अपने कर्मचारियों, ग्राहकों एवं भारत के लोगों की **संरक्षा** हमारे लिए सर्वोपरि है।

विद्युत उत्पादन

विद्युत पारेषण व वितरण

जल प्रबंधनन

नैगम सामाजिक दायित्व

अध्यक्ष 14.09.2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 2019 -20 व 2020 - 21 हेतु राजभाषा कृति (प्रथम) पुरस्कार प्राप्त किया

श्री आलोक कुमार , भा. प्र. से. विद्युत सचिव, भारत सरकार का डीवीसी टावर्स , कोलकाता का दौरा

बैदा उपकेंद्र, डीवीसी में 11 किवो वितरण प्रणाली का उद्घाटन

वार्षिक प्रतिवेदन

2021-22

दामोदर
घाटी
निगम

दृष्टि

दामोदर घाटी के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति दृढ़ वचनबद्धता सहित बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जलापूर्ति तथा भू-संरक्षण के प्रति अधिदेशित जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अग्रणी समेकित विद्युत प्रयोक्ता के रूप में उभरना।

लक्ष्य

- पणधारियों के प्रति जिम्मेवारियों को पूरा करना तथा अधिकार क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति, सिंचाई जलापूर्ति प्रबंधन तथा भू-संरक्षण जैसे अधिदेशित कर्तव्यों को निष्पादित करना।
- अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगितात्मक दरों पर बेहतर सेवा तथा गुणवत्ता विद्युत प्रावधानित करना।
- अधिकार क्षेत्रों में सामान्य जन कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति निरंतर वचनबद्धताओं को जारी रखना।
- संगठन में मूल्य, आचार शास्त्र तथा सत्यनिष्ठा की संस्कृति का निर्माण करना।

उद्देश्य

- बेहतरीन ओएण्डएम क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम दीर्घकालिक आधार पर अधिकतम उत्पादन तथा संघटित पूर्ण मरम्मती कार्यक्रम की स्वीकृतिकरण।
- समयानुसार विस्तार तथा हरित परियोजनाओं के निष्पादन के माध्यम उत्पादन क्षमता का संवर्धन।
- क्षमता संयोजन को बनाये रखने के लिए विद्यमान पारेषण तथा वितरण कार्यजाल का सुदृढ़ीकरण।
- दामोदर बेसिन में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोगिता के माध्यम दामोदर घाटी क्षेत्र में औद्योगिक तथा नगरपालिका व्यवहार हेतु प्रभावशाली बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा जलापूर्ति सुनिश्चित करना।
- प्रभावशाली औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा मानव संसाधन प्रबंधन कार्यकलापों को अपनाते हुए निगम की वित्तीय स्थिति का सुधार।
- हरित दामोदर घाटी सृजित करने के लिए घाटी क्षेत्र में पर्यावरण सरंक्षण के कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण।
- विभिन्न नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन द्वारा डीवीसी अधिकार क्षेत्र में रहने वालों के लिए एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास का उन्नयन।
- डीवीसी के जल भंडार क्षेत्र में और उसके आसपास पर्यटन और मछली पालन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए।

संदर्भ सूचनाएँ

डीवीसी मुख्यालय

डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड, कोलकाता – 700054
दूरभाष 033 2355 7935 | 033 2355 6965
वेबसाइट : www.dvc.gov.in

संयुक्त उद्यम कम्पनियाँ

मैथन पावर लिमिटेड
बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
डीवीसी एम्टा कोल माइन्स लिमिटेड
दामोदर घाटी पर्यटन विकास कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
नैशनल हाई पावर टेस्टिंग प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड

हमारे बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, तमिल एण्ड मर्सेंटाइल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक

लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

डीवीसी बोर्ड

---------- पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य ----------

--------- अध्यक्ष ---------

श्री राम नरेश सिंह
15.01.2021 को कार्यभार ग्रहण

--------- सदस्य सचिव ---------

श्री पी. के. मुखोपाध्याय
27.10.2014 - 31.01.2022

श्री राम नरेश सिंह
01.02.2022 को अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण

--------- सदस्य (वित्त) ---------

श्री राम नरेश सिंह
12.04.2021 से 11.05.2021 (अतिरिक्त)
28.06.2021 से 19.08.2021 (अतिरिक्त)

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा
12.05.2021 - 21.06.2021

श्री अरूप सरकार
20.08.2021 को कार्यभार ग्रहण

--------- सदस्य (तकनीकी) ---------

श्री एम. रघु राम
18.01.2021 को कार्यभार ग्रहण

---------- अंशकालिक बोर्ड सदस्य ----------

------ केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि ------

श्री वी. के. देवांगन, भा.प्र.से.
अपर सचिव (तापीय),
विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली
14.06.2019 को कार्यभार ग्रहण

------ झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि ------

श्री अविनाश कुमार, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव (ऊर्जा),
ऊर्जा विभाग
झारखंड सरकार
09.10.2020 को कार्यभार ग्रहण

------ पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि -----

श्री शांतनु बासु, भा.प्र.से.
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी
03.03.2020 को कार्यभार ग्रहण

विषय सूची

1.	आमुख	10
2.	डीवीसी नैगम लक्ष्य, दृष्टि तथा उद्देश्य	4-5
3.	वित्त वर्ष 2021 -22 में कार्यप्रदर्शन विशिष्टताएँ	12
4.	विद्युत माँग व आपूर्ति	15
5.	विद्युत का पारेषण व वितरण तथा पारेषण क्षमता का संवर्धन	22
6.	खुदरा वितरण	24
7.	संचार व सूचना प्रौद्योगिकी	25
8.	क्षमता संयोजन कार्यक्रम	27
9.	प्रचालन सेवाएँ व प्रोन्नयन	32
10.	पर्यावरण प्रबंधन व प्रदूषण नियंत्रण	34
11.	खनन परियोजना	37
12.	बाढ़ नियंत्रण व जल संसाधन प्रबंधन	38
13.	ईंधन प्रबंधन	42
14.	ठेका एवं सामग्री प्रबंधन	44
15.	नवीकरणीय ऊर्जा	45
16.	एफजीडी और डी-नॉक्स परियोजना में व्यवसाय विकास तथा प्रगति	48
17.	भू-संरक्षण, मत्स्य पालन और पर्यावरण विभाग	49
18.	नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व	52
19.	शिक्षा	58
20.	मानव संसाधन प्रबंधन	59
21	कोविड -19 का प्रबंधन पहल, नवोन्मेष व अनुभव दर्शन तथा दृष्टिकोण	68
22	सतर्कता कार्यकलाप	72
23	राजभाषा प्रोन्नयन	75
24	स्वास्थ्य सेवाएँ	77
25	सूचना अधिकार अधिनियम	78
26	जन शिकायत	79
27	वित्त तथा लेखा	80
28	लेखा परीक्षा विवरणी 2021-22	92
29	लेखा विवरणी 2021-22	96
30	वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब	162

आमुख

वैश्विक स्तर पर, दामोदर घाटी निगम ऐसे बहुत कम संगठनों में से है जो विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, खनन तथा जल संसाधन प्रबंधन जैसे व्यवसायों के बहुआयामी पहलूओं का संचालन करता है। अपनी अतुलनीय संरचना तथा संगठित क्रियाकलाप से ही इसने भारतीय विद्युत सेक्टर में अपनी अलग पहचान बना रखी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22, हमारे संगठन के लिए कठिनाइयों तथा असहजताओं का वर्ष रहा। हमने अपने कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों तथा पणधारकों के अथक समर्थन से महामारी, प्राकृतिक आपदाओं तथा आपूर्ति श्रंखला में आने वाली चुनौतियों जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अविस्मरणीय रिकॉर्ड हासिल किया है। ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद हमने अपना उत्पादन निरंतर बनाये रखा और देश के विभिन्न भागों में अपने उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करने में कामयाब रहे। इस वार्षिक प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम के बहुआयामी उपलब्धियों को समाविष्ट किया गया है।

प्रचालनगत कार्यनिष्पादन

डीवीसी के इतिहास में 40.77 बिलियन यूनिट का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन कर हमने अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 7.19% तक सुधार हुआ। संयंत्र भार गुणक (पीएलएफ) 68.96% रहा जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 6.57% की वृद्धि हुई तथा जो उसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय पीएलएफ से लगभग 10% अधिक रहा। दैनिक तथा मासिक उत्पादन में भी अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड स्थापित किया गया। 489 मिलियन यूनिट का सर्वाधिक पनबिजली उत्पादन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित हुआ।

पारेषण तथा वितरण

वित्त वर्ष 2021-22 में विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर 103 सर्किट किलोमीटर तथा 747 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का संयोजन किया गया। औद्योगिक विकास को समर्थ बनाने के लिए हमने अपने अधिकार क्षेत्र में डीवीसी पारेषण और वितरण कार्यजाल को और अधिक विकसित करने की योजना बनायी है।

व्यवसाय वृद्धि

एकल खिड़की उपभोक्ता स्कंध के गठन के माध्यम से उपभोक्ता केन्द्रित पहल को अपनाया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता सम्मेलन तथा मेला का आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप 12% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई। वितरण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हमने 11किवो वितरण प्रणाली का विकास करते हुए एक पृथक वितरण व्यवस्था सृजित की है।

वित्तीय उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यापक कार्य निष्पादन से संगठन ने तीन अंक के आँकड़ों में 636 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया है। ऋणों के पुनर्गठन के माध्यम से ब्याज के भुगतान में पर्याप्त बचत हुई है। प्रथम बार बोली के माध्यम से वित्तीयन का संचालन किया गया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लागत में कमी हुई। इसके अतिरिक्त, परिसम्पतियों की पूर्ण उपयोगिता, कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि, टीम स्पीरिट तथा लक्ष्यों को पूरा करने में दृढ़ निश्चय भी लाभप्रदता बढ़ाने में विशेष रूप से सार्थक साबित हुए हैं।

परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता

संगठन ने 97% तक सर्वाधिक उच्च कैपेक्स प्राप्त किया। यह नैगम प्रबोधन समूह (सीएमजी) के सृजन तथा नियमित प्रबोधन मात्र से संभव हो सका। सभी पिछड़े/फंसी परियोजनाओं को समय पर लाने तथा उन्हें एक-एक कर राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने हेतु चालू किया जा रहा है।

सीएसआर तथा दीर्घकालिक पहल

अपनी परियोजनाओं के पासवर्ती जन - समुदाय तथा पर्यावरण प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता हमारे प्रारम्भिक उद्देश्यों में से एक है। फिलहाल, सीएसआर कार्यक्रम में झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के 73 पंचायतों के अधीन 629 गाँवों आवृत किये गये हैं। जन स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आंतसंरचना तथा रोजगार अर्जन जैसे कई क्षेत्रों में विशेष बल दिया जा रहा है। जल निकायों का पुनर्स्थापन, वनीकरण तथा राख उपयोगिता में वृद्धि के माध्यम से भू-संरक्षण भी हमारे ध्यानकर्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हमने अपने प्रचालनगत क्रियाकलापों में ऊर्जा दक्षता तथा जल संरक्षण जैसे कार्यों को समाविष्ट किया है। डीवीसी देश का प्रतिष्ठित पुरोगामी संगठन होते हुए भी यह पर्यावरण के संरक्षण एवं उसके सतत् विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

क्षमता निर्माण

कार्यकुशलता क्षमता की कमी आँकने के लिए लगभग 1800 कर्मचारियों का क्षमता मूल्यांकन किया गया। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान की कमियों को पाटने के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया। प्रति कर्मचारी उत्पादन के अनुसार कर्मचारी की उत्पादकता में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, उच्च कार्यनिष्पादन संस्कृति हेतु विभिन्न एचआर पहल को अपनाया गया है।

आकर्षक सूचना प्रौद्योगिकी

भारतीय विद्युत सेक्टर में बदलाव तथा साइबर सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रखते हुए निगम अपने व्यावसायिक कार्यों को मजबूत कर रहा है। व्यापार करने में आसानी, त्वरित निर्णय लेने, बेहतर कर्मचारी सेवाओं तथा पणधारकों के लिए आईटी मॉडयूल लागू किये गये हैं। फरवरी 2022 में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन किया गया है। ईआरपी क्रियान्वयन के अधीन है तथा वित्त वर्ष 2022-23 में प्रचालनरत कर दिया जाएगा। व्यापार करने में आसानी, तेजी से निर्णय लेने, बेहतर कर्मचारी सेवाओं और पारदर्शिता/जवाबदेही में वृद्धि हेतु आंतरिक और बाहरी दोनों पणधारकों के लिए आईटी मॉड्यूल शुरू किये गये हैं।

भावी व्यवसाय योजना

भारत सरकार की योजनाओं के अनुरूप, डीवीसी ने वर्ष 2030 तक 15000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें से 40% नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से पूरा किया जाएगा। विस्तार योजनाओं में सौर संयंत्र, पम्पड हाइड्रो परियोजनाएँ तथा ब्राउनफील्ड तापीय योजनाएँ शामिल हैं। विस्तार कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिए एनटीपीसी रिन्यूवेबल एनर्जी लिमिटेड, एनएचपीसीएल तथा एसजेवीएन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये हैं। नये व्यवसाय जैसे पर्यटन, ईवी आंतसंरचना तथा ग्रीन हाइड्रोजन शुरू करने की योजना बनायी जा रही है।

वित्त वर्ष 2021-22 हम सभी के लिए विशिष्ट अवधि रहा है। यह डीवीसी द्वारा धारित गहन और विविध क्षमता का द्योतक होते हुए नये दशक के महत्वपूर्ण विस्तार के चरण की शुरूआत है। मुझे विश्वास है कि वित्त वर्ष 2022-23 तक हम सभी विगत रिकॉर्ड का अतिक्रमण कर सकेंगे।

सभी उपलब्धियां टीम वर्क और विभिन्न पणधारकों की सहयोगिता का परिणाम है। मैं इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने बोर्ड सदस्यों के योगदान तथा निगम को एक नयी ऊँचाई पर प्रतिष्ठित करने के लिए उनके प्रयासों की भी सराहना करना चाहूँगा। अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा व्यवसाय सहयोगियों के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

7 जुलाई, 2022 को डीवीसी अपने अस्तित्व के 75वें वर्ष में पदार्पण कर चुका है। यह हमारी जिम्मेवारी और प्रतिबद्धता है कि हम अपने इस गरिमामयी अस्तित्व को आगे बढ़ाते रहें। मैं आश्वस्त हूँ कि आगामी वर्षों में हम डीवीसी को देश की अग्रणी प्रमुख विद्युत निकाय के रूप में स्थापित कर सकेंगे।

अध्यक्ष, डीवीसी

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रचालनगत कार्यप्रदर्शन विशिष्टताएँ :

विद्युत का उत्पादन:

विद्युत उत्पादन परिसंपतियाँ:

विवरण		झारखंड	पश्चिम बंगाल	कुल
संस्थापित क्षमता	पनबिजली	पंचेत: 80 मेवा (2x40 मेवा)	मैथन: 63.2 मेवा (2x20 मेवा + 1x23.2 मेवा)	147.2 मेवा
		तिलैया: 4 मेवा (2x2 मेवा)		
	तापीय	बोकारो: 500 मेवा (1x500 मेवा)	दुर्गापुर: 210 मेवा (1x210 मेवा)	6750 मेवा
		चन्द्रपुरा: 500 मेवा (2x250 मेवा)	दुर्गापुर स्टील: 1000 मेवा (2x500 मेवा)	
		कोडरमा: 1000 मेवा (2x500 मेवा)	मेजिया: 2340 मेवा (4x210 मेवा+2x250 मेवा +2x500 मेवा) रघुनाथपुर: 1200 मेवा (2x600 मेवा)	
	सौर	रुफटॉप व फ्लोटिंग सोलर		3.923 मेवा
संयुक्त उद्यम	तापीय	डीवीसी-सेल: 338 मेवा	---	1388 मेवा
		टाटा पावर-डीवीसी: 1050 मेवा		

वित्त वर्ष 2020 -21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में उत्पादन:

वित्त वर्ष 2020 -21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में डीवीसी का सकल विद्युत उत्पादन में 7.41 % की बढ़ोतरी हुई।

प्रकार	वर्तमान क्षमता(मेवा)	उत्पादन (एमयू)		सुधार (%)
		वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22	
तापीय	6750	38039	40775	(+) 7.19
पनबिजली	147.2	377	489	(+) 29.71
कुल उत्पादन	**6897.2**	**38,416**	**41,264**	**(+) 7.41**

तापीय विद्युत इकाइयों की परिचालन प्राचलों की तुलना :

परिचालन प्राचल	वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22
तापीय उत्पादन(एमयू)	38039	40775
पीएलएफ़(%)	62.39	68.96

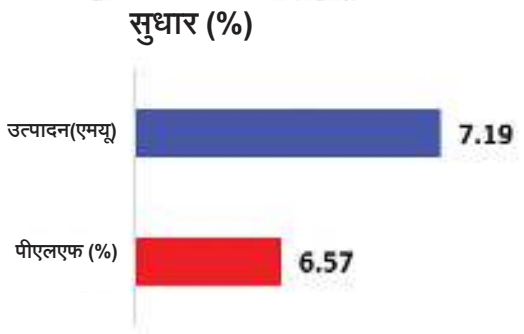

वित्त वर्ष 2021 -22 के दौरान डीवीसी की उल्लेखनीय उपलब्धियां :

- वित्त वर्ष 21 -22 में डीवीसी ताप विद्युत केन्द्रों ने पीएलएफ की दृष्टि से 10 केंद्रीय विद्युत कम्पनियों के बीच 21 बार रैंक बनाये रखा।(सीटीपीएस 9 बार, केटीपीएस 7 बार, बीटीपीएस'ए' 4 बार तथा डीएसटीपीएस 1 बार)।
- वित्त वर्ष 21 -22 में पीएलएफ की दृष्टि से 25 केंद्रीय विद्युत केन्द्रों के बीच सीटीपीएस , केटीपीएस, एमटीपीएस, डीएसटीपीएस तथा बीटीपीएस ए ने अपना रैंक बनाये रखा।
- डीवीसी ने 07.03.2022 को विगत प्राप्त 141.31 एमयू के सर्वाधिक दैनिक उत्पादन को अतिक्रमित करते 22.03.2022 को 141.89 एमयू अब तक का सर्वाधिक सकल दैनिक उत्पादन प्राप्त किया।
- डीवीसी ने मार्च,21 में पूर्व प्राप्त 3971 एमयू उच्चतम मासिक उत्पादन को अतिक्रमित करते हुए मार्च,22 में 4130 एमयू का सर्वाधिक मासिक तापीय उत्पादन प्राप्त किया।
- डीवीसी ने वित्त वर्ष 2020 -21 में विगत प्राप्त 38,039 एमयू के सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन को अतिक्रमित करते वित्त वर्ष 2021 -22 में अब तक का सर्वाधिक वार्षिक तापीय उत्पादन 40,775 एमयू प्राप्त किया।
- डीवीसी ने वित्त वर्ष 1999-2000 में विगत प्राप्त 442 एमयू के सर्वाधिक वार्षिक पनबिजली उत्पादन को अतिक्रमित करते वित्त वर्ष 2021 -22 में अब तक का सर्वाधिक वार्षिक पनबिजली उत्पादन 489 एमयू प्राप्त किया।

आंतसंरचना एक दृष्टि में

डीवीसी अधिकार क्षेत्र	24,235 वर्ग किमी
विद्युत प्रबंधन	
कुल क्षमता	6901 मेवा
ताप विद्युत केन्द्र	सात
तापीय क्षमता	6750 मेवा
पन बिजली केन्द्र	तीन
पन बिजली क्षमता	147.2 मेवा
नवीकरणीय क्षमता (रूफटॉप व फ्लोटिंग सोलर)	3.923 मेवा
उप केन्द्र (विद्युत गृह स्विच यार्ड सहित)	400 किवो पर – 05
	220 किवो पर – 16
	132 किवो पर – 26
	33 किवो पर – 1
पारेषण व वितरण लाइनें	400 किवो पर – 478 सर्किट किमी
	220 किवो पर – 2308 सर्किट किमी
	132 किवो पर – 3639 सर्किट किमी
	33 किवो पर – 1519.4 सर्किट किमी
	11 किवो पर – 2.12 सर्किट किमी
जल प्रबंधन	
प्रमुख बांध एवं बराज	तिलैया, कोनार, मैथन तथा पंचेत बाँध एवं दुर्गापुर बराज
सिंचाई सृजित क्षमता	4,63,782 हेक्टेयर (खरीफ)
	22,258 हेक्टेयर (रबी)
बाढ़ धारण क्षमता	870 मिलियन घन मीटर
नहरें	2494 किमी
भू-संरक्षण	
वन, खेती, उच्च भूमि व जल उपचार	4 लाख हेक्टेयर (लगभग)
रोक बाँध	17,172 अदद

विद्युत की मांग तथा आपूर्ति

विद्युत ऊर्जा का उत्पादन:

वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक डीवीसी विद्युत केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 6897.303 मेगावाट है, जिसमें सात (7) ताप विद्युत केन्द्रों अर्थात् बोकारो ताप विद्युत केन्द्र (बीटीपीएस ए -1 X 500 मेगावाट), चंद्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र (सीटीपीएस) (2X 250 मेगावाट), दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र (डीटीपीएस) (1 X 210 मेगावाट), मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (एमटीपीएस) (4 X 210 मेगावाट , 2 X 250 मेगावाट , 2 X 500 मेगावाट), दुर्गापुर इस्पात ताप विद्युत केन्द्र (2 X 500 मेगावाट), कोडरमा ताप विद्युत केन्द्र (केटीपीएस) (2 X 500 मेगावाट), रघुनाथपुर ताप विद्युत केन्द्र (आरटीपीएस) (2 X 600 मेगावाट), 147.2 मेगावाट तीन (3) जल विद्युत केन्द्र अर्थात् मैथन से जल विद्युत केन्द्र (एमएचएस) (2 X 20 मेगावाट, 1 X 23.2 मेगावाट), पंचेत जल विद्युत केंद्र (पीएचएस) (2 X 40 मेगावाट), तिलैया जल विद्युत केंद्र (टीएचएस) (2 X 2 मेगावाट) एवं 0.110 मेगावाट तीन (3) सोलर पीवी संयंत्र डीवीसी टावर्स, कोलकाता (53 किलोवॉटपी), मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (एमटीपीएस) (25 किलोवॉटपी) तथा कोडरमा ताप विद्युत केंद्र (केटीपीएस) (25 किलोवॉटपी) से 6750 मेगावाट शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2020-21 के **38415.701 एमयू** की तुलना में **41264.18** एमयू रहा। कुल केंद्रवार उत्पादन एमयू में नीचे तालिका-I में दर्शाया गया है:

सारणी -I

सकल उत्पादन

		2021-22	2020-21
	उत्पादन	ऊर्जा उत्पादन (मिकिवांघ)	ऊर्जा उत्पादन (मिकिवांघ)
क	**तापीय**		
	बोकारो 'बी' ताविके	0	18.5
	चन्द्रपुरा ताप विद्युत केंद्र (इकाई # 7 व 8)	3816.790	3268.567
	दुर्गापुर ताविके	215.116	135.816
	मेजिया ताविके चरण-I (इकाई # 1 से 6)	8190.638	7009.586
	मेजिया ताविके चरण-II (इकाई # 7 व 8)	6408.200	5819.205
	डीएसटीपीएस (इकाई # 1 व 2)	6138.486	5780.974
	बोकारो 'ए' ताविके	2996.845	3271.475
	कोडरमा ताविके (इकाई # 1 व 2)	6930.247	7508.962
	रघुनाथपुर ताविके (इकाई #1 व 2)	6078.846	5225.684
कुल - क		**40775.17**	**38038.859**
ख	**जल विद्युत / सौर**		
	मैथन जल विद्युत केंद्र	221.419	194.024
	पंचेत जल विद्युत केंद्र	245.464	173.093
	तिलैया जल विद्युत केंद्र	22.017	9.698
	सौर	0.110	0.027
कुल - ख		**489.01**	**376.482**
सकल जोड़ (क+ख)		**41264.18**	**38415.701**

विद्युत मांग तथा आपूर्ति

विगत वर्षों की तरह, डीवीसी अधिनियम 1948 के प्रावधान के अनुसार, दामोदर घाटी निगम अपने क्षेत्र के भीतर विभिन्न अवस्थानों में तथा घाटी क्षेत्र के बाहर संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति से विभिन्न अवस्थानों में भी 11 किवो, 33 किवो, 132 किवो तथा 220 किवो वोल्टेज स्तरों पर कोर सेक्टरों यथा; कर्षण, इस्पात, कोयला एवं अन्य भार संवर्ग अपने स्थायी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करता रहा है। पूर्व रेलवे (ईआर), पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) तथा दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) की कर्षण भार मांग को डीवीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) एवं झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के माध्यम से पूरी की जाती है। इस्पात सेक्टरों यथा बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल),दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)तथा टाटा इस्पात लिमिटेड (टिस्को), निजी संवर्ग के अधीन जिंदल इस्पात तथा विद्युत लिमिटेड (जेएसपीएल) उपभोक्ता विभिन्न ऑफ-टेक बिन्दुओं से डीवीसी से प्रत्यक्ष विद्युत प्राप्त करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के संघटकों यथा; ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सेंट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) तथा संबंधित बोर्डों/लाइसेंसी जेबीवीएनएल, डब्ल्यूबीएसईबीसीएल तथा इंडिया पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल, पूर्व डीपीएससी लिमिटेड) के माध्यम से डीवीसी विद्युत प्राप्त करते हैं।

इसके अतिरिक्त, जेबीवीएनएल ने विद्यमान 36 अदद स्थायी ऑफ-टेक बिन्दुओं पर नियत पद्धति के माध्यम केटीपीएस से विद्युत ले रहा है। विविध तथा अन्य भार के संबंध में, डीवीसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यथा; चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) एवं एनटीपीसी को विद्युत की आपूर्ति

करता है। डीवीसी विविध या अन्य भारों (एमएण्डओ भार) को सीधे या जेबीवीएनएल तथा डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, आईपीसीएल आदि तथा पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के राज्यों में विभिन्न अवस्थानों के कई अन्य निजी औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी विद्युत आपूर्ति करता है। उपभोक्ताओं को बेची गयी ठेका माँग तथा ऊर्जा का श्रेणीवार विवरण नीचे (सारणी- ।।) में दर्शाया गया है :

सारणी - II

अनुबंध मांग तथा उपभोक्ताओं के विभिन्न संवर्गों को बेची गयी ऊर्जा

क. केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम :

उपभोक्ता	सीडी (एमवीए) 31.03.22 को	बेची गयी ऊर्जा (मिकिवांघ)
1. 1. कर्षण (रेलवे) (6 ऑफ-टेक बिन्दु)	96.625	272.401
2. इस्पात (सेल) (6 ऑफ-टेक बिन्दु)	488.00	2796.678
3. कोल (सीआईएल) (28 ऑफ-टेक बिन्दु)	353.5	1440.159
4. विविध व अन्य भार		
क) सीएलडब्ल्यू	9.00	29.702
ख) ईसीआर गोमो	2.00	7.978
ग) गैरिसन इंजीनियर्स	1.6	7.43
घ) सेल (रिफैक्टरीज़) (3 ऑफ-टेक बिंदु)	3.60	9.603

ख) राज्य विद्युत बोर्ड /निजी उपभोक्ता :

उपभोक्ता	सीडी (एमवीए) 31.03.22 को	बेची गयी ऊर्जा (मिकिवांघ)
1. **राज्य विद्युत यूटिलिटी**		
क) डब्ल्यूबीएसईडीसीएल (9 ऑफ- टेक बिंदु)	114.8	384.599
ख) जेबीवीएनएल (2 ऑफ-टेक बिंदु)	35.00	206.461
2. **निजी उपभोक्ता**		
क) टिस्को (4ऑफ-टेक बिंदु)	144.00	444.469
ख) इंडिया पावर (आईपीसीएल) (4ऑफ-टेक बिंदु)	49.0	96.532
क) जेयूएससीओ (2 ऑफ-टेक बिंदु)	86.00	515.808
ख) उपर्युक्त के अलावा विविध उपभोक्ता (237 ऑफ-टेक बिंदु))	2118.875	11763.676

विद्युत माँग:

मौजूदा स्थायी आपूर्ति बिन्दुओं पर ठेका मांग (सीडी) में पुनरीक्षण के साथ-साथ नए उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति शुरु होने के कारण वर्ष 2021 -22 में आपूर्ति के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में अनुबंध की माँग में वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 के अंत में डीवीसी उपभोक्ताओं की अनुबंध माँग जैसा कि सारणी-III में दर्शाया गया है, विगत वर्ष (20-21) के **3173.755** एमवीए की तुलना में **3502** एमवीए रही। सारणी IV दर्शाता है कि कुल **304** उपभोक्ताओं/ ऑफटेक बिन्दुओं (एचवी/ईएचवी) में से झारखंड में **1624** एमवीए की अनुबंध माँग सहित **171** उपभोक्ता है जबकि पश्चिम बंगाल में **1878** एमवीए की अनुबंध सहित **133** उपभोक्ता है।

सारणी -III9+

सारणी क				सारणी ख			
	वर्ग वार	सीडी (एमवीए)			उपयोगिता वार	सीडी (एमवीए)	
		2021-22	2020-21			2021-22	2020-21
1.	कर्षण	96.625	77.625	1.	भारतीय रेलवे	96.625	77.625
2 (क)	सीआईएल	312.8	315.90				
(ख)	अन्य कोयला	41.00	46.20	2.	जेबीवीएनएल	35.00	60.00
	कुल कोयला	**353.8**	**362.10**				
3(क)	सेल	488.00	484.00	3.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	114.80	162.80
ख)	अन्य इस्पात	1758.750	1640.00				
	कुल इस्पात	**2246.75**	**2124.00**	4.	निजी लाइसेंसी	238.00	163.50
4.	लाइसेंसी	**387.8**	**386.30**				
5.	एम एंड ओ	**417.025**	**223.73**	5.	औद्योगिक भार	3017.575	2709.83
सकल जोड़		**3502**	**3173.755**	कुल		**3502**	**3173.755**

सारणी -IV (राज्य-वार)

	राज्य		सीडी (एमवीए)	ऑफ-टेक बिन्दुओं की संख्या (एचटी/ईएचटी)
क	झारखंड	क) घाटी के अंदर	1362.37	165
		ख) घाटी के बाहर	261.63	6
		कुल	**1624.0**	**171**
ख	पश्चिम बंगाल	क) घाटी के अंदर	1830	130
		ख) घाटी के बाहर	48	3
		कुल	**1878**	**133**
सकल जोड़			**3502**	**304**

(राज्य वार व वर्ग वार)

राज्य	कर्षण	इस्पात	कोयला	जेबीवीएनएल	निजी लाइसेंसी	डब्ल्यूबीएसईडी सीएल	एम एंड ओ	कुल
	अनुबंध मांग (एमवीए)							
झारखंड	91.625	800.35	350.3	35.0	189	---	157.725	**1624**
पश्चिम बंगाल	5	1446.4	3.5	---	49	114.8	259.3	**1878**

अंतर संबंध प्रचालन :

हमेशा की तरह, एनटीपीसी स्थित केंद्रीय सेक्टर विद्युत केन्द्रों सहित पूर्व क्षेत्र के संलग्नक विद्युत प्रणाली के साथ डीवीसी विद्युत प्रणाली के अंतर-संबंध प्रचालन का वर्ष 2021-22 के दौरान भी अनुरक्षण जारी रहा। विगत वर्ष की तरह, पीटीसी के माध्यम डीवीसी को चुखा पनबिजली एवं कुरिचु पनबिजली तथा टाला पनबिजली से विद्युत प्राप्त हुआ है। भूटान अवस्थित टाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना ने वर्ष 2005-06 में अपना उत्पादन प्रारम्भ किया तथा विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार डीवीसी अपने हिस्से का विद्युत लगातार प्राप्त करता है।शेयर आवंटन के अनुसार एनएचपीसी के रंगित से एचईपी से विद्युत जारी रहा। वर्ष के दौरान, डीवीसी ने मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) से भी हमेशा की तरह विद्युत प्राप्त किया। विद्युत की खरीद नीचे सारणी-V से देखी जा सकती है।

सारणी - V

विद्युत की खरीद

अंतर राज्य उत्पादन स्टेशन से खरीदा गया कुल विद्युत (डीवीसी बस पर)	: 696,231,361 किवाधं
मैथन पवार लिमिटेड से खरीदा गया कुल विद्युत (डीवीसी बस पर)	: 994,154,762 किवाधं
सौर पद्धति से खरीदा गया कुल विद्युत (डीवीसी बस पर)	: 52,295,153 किवाधं
विद्युत विनिमयों से खरीदा गया कुल विद्युत	: 274,498,740 किवाधं
जीटीएएम से खरीदा गया कुल विद्युत	: 29,599,153 किवाधं
कुल	: 2,046,779,169 किवाधं

विद्युत चक्रण :

वर्ष 2021-22 के दौरान डीवीसी की टीएंडडी कार्यजाल के माध्यम से जमशेदपुर से टाटा स्टील का विद्युत चक्रण किए जाने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रही। इसके अतिरिक्त, डीवीसी प्रणाली के साथ अंतर सम्बद्ध उनके 14 ऑफ टेक बिन्दुओं पर उनके व्यवहार हेतु मध्यकालिक आधार पर डीवीसी की टीएंडडी कार्यजाल के माध्यम भारतीय रेल द्वारा 110 मेवा विद्युत का चक्रण किया गया।

विद्युत की बिक्री (स्थायी बिक्री):

	पश्चिम बंगाल	झारखंड	डीवीसी समग्र रूप से
ठेका मांग (सीडी) (एमवीए)	1878 (53.63%)	1624 (46.37%)	3502 (100%)
वार्षिक ऊर्जा खपत (एमयू)	9817.958 (54.61%)	8160.260 (45.39%)	**17978.218 (100%)**

अधिशेष विद्युत का निर्यात :

विगत वर्ष की तरह, घाटी मांग को पूरे करने के पश्चात, डीवीसी ने दिल्ली के डिस्कॉम, हरियाणा, पंजाब, टाटा स्टील, मध्य प्रदेश टीपीडीसीएल तथा जेबीवीएनएल आदि को अल्पावधि ओपेन एसेस (एसटीओ)/ मध्यावधि ओपेन एसेस (एमटीओ)/ दीर्घावधि ओपेन एसेस (एलटीओ) के माध्यम देश के अन्य क्षेत्रों में अवस्थित विभिन्न लाभार्थियों को विद्युत की आपूर्ति की गयी। इस वर्ष के दौरान, डीवीसी अपने मेजिया ताविके (इकाई 7 व 8) तथा कोडरमा ताविके (इकाई 1 व 2) से कर्नाटक राज्य डिस्कॉम को भी विद्युत की आपूर्ति भी जारी रखा है। डीवीसी के मेजिया ताविके (इकाई 7 व 8) व रघुनाथपुर ताविके (इकाई 1 व 2) से केरल को भी विद्युत की आपूर्ति जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त, डीवीसी एसटीओए/एमटीओए/एलटीओए के आधार पर विद्युत आवंटन करने के लिए अन्य यूटिलिटिओं (राज्य यूटिलिटिओं सहित) के साथ भी टाई-अप किए जाने का भी अन्वेषण कर रहा है।

सारणी -VI

विद्युत की बिक्री

उपभोक्ता के नाम	2021-22		2020-21	
	विद्यमान सीडी (एमवीए)	बेची गयी ऊर्जा (मिकिवांघ)	विद्यमान सीडी (एमवीए)	बेची गयी ऊर्जा (मिकिवांघ)
क. उपभोक्ता				
1) लाइसेंसधारी				
क) आईपीसीएल	49.0	96.532	77.50	49.988
ख) जेबीवीएनएल	35.00	206.461	60.00	246.187
ग) डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	114.80	384.599	162.80	485.634
घ) जेयूएससीओ	86.0	515.808	86.00	380.757
ड.) टिस्को	103.0	252.928	103.0	221.854
2) औद्योगिक उपभोक्ता	3017.575	16249.490	2606.83	13929.569
3) रेलवे (कर्षण)	96.625	272.40	77.625	212.728
4) वाणिज्यिक	----	.....	----	38.812
कुल	**3502**	**17978.218**	**3173.755**	**15565.529**
ख. बांग्लादेश सहित द्विपक्षीय निर्यात	**-**	**21560.778**	**-**	**20945.529**
ग. विद्युत विनिमय के माध्यम	**-**	**196.954**	**-**	**278.705**
घ. कुल विद्युत की बिक्री	**-**	**39735.95**	**-**	**36789.763**

विद्युत आपूर्ति शुल्क :

डीवीसी ने जेएसईआरसी द्वारा खुदरा आदेश दर दिनांक 28.05.2019 के अनुसार चालू वर्ष के दौरान झारखंड राज्य में अपने सभी स्थायी उपभोक्ताओं को 30.09.2020 तक अधिमान्य विद्युत आपूर्ति जारी रखा तथा इसके अतिरिक्त जेएसआरसी आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार, 01.10.2020 से प्रभावी झारखंड में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति बिल की उगाही की गयी है।

उपर्युक्त के संदर्भ में , डब्ल्यूबीईआरसी का नवीनतम शुल्क आदेश दर दिनांक 03.03.2017 के अनुसार, डीवीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु पश्चिम बंगाल के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति बिलों की अधिमान्यता दी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बिल के अनुसार शुल्क दर नीचे (सारणी-VII) में उल्लिखित है :

सारणी -VII

क. झारखंड के स्थायी उपभोक्ताओं हेतु शुल्क दर :

अवधि	मांग प्रभार	औसत ऊर्जा प्रभार प्रति इकाई
01.06.2019 से आगे	रु. 600 / केवीए / माह	295 पैसे /किवांघ (सभी उपभोक्ताओं हेतु)
01.10.2020 से आगे	रु. 350 / केवीए / माह	33 कि. वा. ऊर्जा प्रभार @ 3.40 रु./किवांघ (लाइसेसधारियों हेतु) 33 कि. वा. ऊर्जा प्रभार @ 3.75 Rs./ किवांघ (एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं हेतु)

ख. पश्चिम बंगाल के स्थायी उपभोक्ताओं हेतु शुल्क दर:

उपभोक्ताओं के प्रकार	शुल्क दर योजना	मांग प्रभार (रु./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे /किवांघ)		
			ग्रीष्म	मानसून	शीत
औद्योगिक (33 केवी)	सामान्य	384	433	431	429
औद्योगिक (132 केवी)			419	417	415
औद्योगिक (220 किवो व ऊपर)			404	402	400

उपभोक्ताओं के प्रकार	शुल्क दर योजना	मांग प्रभार (रु./ केवीए/माह)	खपत की समय-सीमा	ऊर्जा प्रभार (पैसे /किवांघ)		
				ग्रीष्म	मानसून	शीत
औद्योगिक (33 केवी)	टीओडी	384	06.00-17.00 घंटे	424	422	420
			17.00-23.00 घंटे	508	506	503
			23.00-06.00 घंटे	361	359	358
औद्योगिक (132 केवी)			06.00-17.00 घंटे	409	407	405
			17.00-23.00 घंटे	491	488	486
			23.00-06.00 घंटे	348	346	344
औद्योगिक (220 केवी व ऊपर)			06.00-17.00 घंटे	394	392	390
			17.00-23.00 घंटे	473	470	468
			23.00-06.00 घंटे	335	333	332

उपर्युक्त के अलावा, माननीय डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा विद्युत गुणक और भार गुणक की छूट की भी अनुमति दी गयी है।

नए/भावी उपभोक्ता :

औद्योगिक रुख में परिवर्तन परिदृश्य पश्चिम बंगाल सरकार और झारखंड सरकार दोनों राज्यों की औद्योगिक नीति के कारण बहुत सारे उद्यमियों ने गुणवत्ता वाली डीवीसी की विद्युत हेतु डीवीसी उपकेन्द्रों के चतुर्दिक अपनी फैक्टरियों को स्थापित करने के लिए डीवीसी के पास पहल किया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान **79** एमवीए की कुल प्रारंभिक सीडी सहित **29** अदद नए उपभोक्ता डीवीसी से विद्युत आपूर्ति द्वारा लाभांवित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक उपभोक्ता डीवीसी की गुणवत्ता विद्युत प्राप्त करने के लिए कतारबद्ध हैं।

घाटी क्षेत्र में द्रुत औद्योगिकीकरण तथा डीवीसी ग्रिड से विभिन्न भार वितरण केन्द्रों में विद्युत वितरण तथा विद्यमान उपभोक्ताओं की वर्धित मांग समेत विभिन्न भावी उपभोक्ताओं से प्राप्त आवेदनों के आधार पर पारेषण और वितरण (टी एंड डी) नेटवर्क आवश्यकता अनुसार नए उपकेन्द्रों/ अभिग्राही केन्द्रों के निर्माण कार्य सहित पुनः परिवर्तित/ संवर्धित किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को 11 किवो स्तर पर विद्युत आपूर्ति के लिए कुमारधुबी उपकेंद्र और बैदा उपकेंद्र में 33/11 किवो आंतसंरचना सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इसके साथ डीवीसी ने 11 किवो वोल्टेज स्तर पर वितरण में कदम रखा है। अन्य 33/11किवो उपकेंद्र को चालू करने की प्रक्रिया जारी है।

विशेष रूप से 11 किवो स्तर पर भार वृद्धि की संभावना का आकलन करने के लिए घाटी क्षेत्र में नियमित रूप से उपभोक्ता बैठकें आयोजित की गई हैं।

पारेषण तथा वितरण (टीएण्डडी) प्रणाली:

डीवीसी का पारेषण और वितरण 132 किवो, 220 किवो , 400 किवो ईएचवी पारेषण लाइनें तथा 33 किवो वितरण लाइनों का व्यापक कार्यजाल समाहित है तथा झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, जेबीवीएनएल,रेलवे,सेल,कोयला सेक्टरों जैसे अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को उत्पादक केन्द्रों से विद्युत के निष्क्रमक हेतु एक आधार के रूप में कार्य करता है। कर्नाटक, केरल , दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड,टाटा स्टील आदि राज्यों के लाभार्थियों को विद्युत आपूर्ति के लिए 400 किवो पारेषण प्रणाली भी राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया है।

डीवीसी का टीएण्डडी कार्यजाल

33 किवो	132 किवो	220 किवो	400 किवो	कुल
विद्युत गृह स्विच यार्ड सहित उपकेन्द्र (अदद) :				
13	26	16	5	60
पारेषण और वितरण लाइन (सर्किट किमी):				
1521	3639	2308	478	7946

रूपांतरण क्षमता (एमवीए) :					
33/11 किवो	132/33 किवो	220/33 किवो	220/132 किवो	400/220 किवो	कुल (एमवीए)
22.5	3480.5	1710	3700	2520	11433

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान,टी एंड डी प्रणाली की उपलब्धता 99.81% रही जिसके कारण सीईआरसी बेंचमार्क को अतिक्रमित करते हुए डीवीसी टैरिफ प्रोत्साहन राशि के लिए योग्य बन पाने में सक्षम हुआ।

स्थिर और विश्वनीय बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए , 220 किवो लाइन के 635 सर्किट किलोमीटर का निर्माण प्रगति पर है और 20.09.2021 को बर्दवान में एक 220 किवो जीआईएस उपकेंद्र को चार्ज किया गया। नयी बे का निर्माण, उपकेंद्र आदि में ट्रांसफार्मेशन क्षमता का उन्नयन , एचटीएलएस सहित पुराने अति उच्च वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनों के कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, विद्युत मांग में वृद्धि को ध्यान में रखने के साथ साथ प्रणाली स्थिरता को बढ़ाने हेतु उपाय किया गया। विगत वर्ष 735 एमवीए की ट्रांसफार्मेशन क्षमता को पहले ही जोड़ा जा चुका है और जल्द ही 340 एमवीए को जोड़े जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त , विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के माध्यम 220 किवो उपकेन्द्रों के 09 अदद सम्बद्ध आंतसंरचना सहित बहुत पुरानी नियंत्रण एवं संरक्षण प्रणाली का नवीकरण एवं संवर्धन पूरा कर लिया गया है।

टी एंड डी प्रणाली में ऊर्जा हानि की समुचित परिगणना तथा उसके निवारात्मक उपाय करने के लिए डीवीसी अपने समग्र ग्रिड को आवृत करते हुए 'सिस्टम एनर्जी मॉनिटरिंग एण्ड एकाउंटिंग (सीमा)' परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

पारेषण प्रणाली में, स्थिति प्रबोधन जैसे पारेषण लाइनों का सिग्नेचर विश्लेषण, लाइनों एवं उपकरण का थर्मल इमेजिंग, लाइटनिंग एरेस्टर के तृतीय हारमोनिक की मपाई , सर्किट ब्रेकरों के डायनामिक कांट्रैक्ट की मपाई , ट्रांसफार्मरों, सीटी एवं पीटी के पैन डेल्टा की मपाई , ट्रांसफार्मर ऑयल का विघटित गैस विश्लेषण जैसे निवारात्मक उपायों के बदले में अनुरक्षण प्रक्रिया के आधार पर नियमित रूप से अनुपालित किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण समय तथा लागत में कमी आएगी एवं स्थिरता तथा विश्वसनीयता में सुधार होगा।

संक्षेप में, 2021-22 में 735 एमवीए की अतिरिक्त परिवर्तन क्षमता में वृद्धि , 101.39 सीकेएम पारेषण लाइन की अतिरिक्त लंबाई में वृद्धि, 20 अदद नये बे (बर्दवान में एक जीआईएस सहित) तथा 247.90 एमवीए की लोड वृद्धि प्राप्त की गयी।

रिले व उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला:

केन्द्रीय परीक्षण सर्कल(सीटीसी),मैथन के अधीन डीवीसी की रिले व उपकरणों हेतु परीक्षण प्रयोगशाला पूर्वी क्षेत्र में अपनी तरह का एक है, जिसमें रिले उपकरणों हेतु परीक्षण सुविधाओं के साथ साथ प्रमुख विद्युतीय उपकरण व स्वीचगियर मौजूद हैं। इसने एक नई पहचान प्राप्त की है जहाँ इसके मीटर परीक्षण स्कंध की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईएसओ/आईईसी 17025: 2005 के अनुसार एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित किया गया था। इसे 2020 में एनएबीएल मानकों आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 के अनुसार उन्नत किया गया है। डिजोल्बड गैस एनालिसिस (डीजीए) एवं अन्य ट्रांसफार्मर ऑयल की स्क्रीनिंग परीक्षण जैसे कि बीडीवी , मोइस्चर,टैन डेल्टा , एसिडिटी एवं आईएफ़टी सीटीसी में उपलब्ध है। ट्रांसफार्मर की कंडिशन – मॉनीटरिंग सीटीसी में भारतीय मानक : 1866 के अनुसार किया गया है। विभाग डीवीसी से परे सभी केन्द्रों न केवल परीक्षण तथा चालू सेवाएँ प्रावधानित करता है बल्कि क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों उपयोगिताओं को इसकी सेवाओं का विस्तार भी करता है।

खुदरा वितरण :

डीवीसी कमांड क्षेत्र में 33 किवो और उससे अधिक वोल्टेज स्तर से जुड़े उपभोक्ताओं को विद्युत की खुदरा आपूर्ति में लगा हुआ है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार , घाटी क्षेत्र के लिए डीम्ड वितरण लाइसेंसधारी के रूप में डीवीसी को उन सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की खुदरा आपूर्ति करने का अधिकार है, जिन्हें डीवीसी से ऐसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है, उपभोक्ताओं के वर्ग के संबंध में किसी भी भेदभाव के बिना या वोल्टेज का आपूर्ति करता है।

घाटी क्षेत्र के कई मौजूदा और आने वाले उद्योगों ने डीवीसी से उद्योगों को विद्युत की सीधी आपूर्ति के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में 11 किवो विद्युत वितरण करने का अनुरोध किया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा डीवीसी को 11 किवो लोड को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को तेजी से शुरू करने और वितरण व्यवसाय में विस्तार के लिए विकास प्रक्षेपण तैयार करने की भी सलाह दी गयी है।

वर्ष 2022 -25 तक 1500 अदद नये उभोक्ताओं के साथ 975 एमवीए की क्षमता विकसित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है,जिसकी कुल अनुमानित लागत रू. 1007 करोड़ है।

प्रारम्भ में, कुमारधुबी और बैदा उपकेन्द्रों में क्रमशः 5 एमवीए और 15 एमवीए की क्षमता के साथ 11 किवो आंतसंरचना विकसित किया गया है। कोडरमा में 11 किवो आंतसंरचना निर्माणाधीन है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

भूमि की उपलबद्धता और परिवर्तन क्षमता के आधार पर कुल 39 डीवीसी उपकेन्द्रों को 11 किवो आंतसंरचना विकसित करने के लिए (विद्यमान उपकेंद्र -29 अदद व नया उपकेंद्र -10 अदद) संवर्धन पर विचार किया गया है। डीवीसी 11 किवो प्रणाली के प्रचालन को प्रभावी बनाने तथा संसाधन अनुकूल बनाने हेतु प्रबंधन वितरण प्रणाली आधारित स्काडा को लागू करने की योजना बना रहा है।

संचार एवं सूचना प्रद्योगिकी:

संचार प्रणाली :

डीवीसी ने ईएचवी पारेषण कार्यजाल पर धारित 1700 किमी (लगभग) ऑपटिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू)का व्यवहार करते हुए ऑपटिकल फाइबर संचार आधार की स्थापना की है। ओपीजीडब्ल्यू कार्यजाल का व्यवहार करते हुए 50 केन्द्रों में पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीसी) क्रियान्वित किया गया है जो एसएलडीसी हावड़ा, एएलडीसी मैथन, ईआरएलडीसी कोलकाता तथा डीवीसी टावर्स, कोलकाता को रिपोर्ट करता है।

हाई स्पीड(2 जीबीपीएस)आईएलएल के साथ सुरक्षित तथा अलग आईटी नेटवर्क मुख्यालय से दूर स्थान पर भी इंटरनेट की अच्छी गति के लिए चालू किया गया है। यह नेटवर्क साइबर सुरक्षा की प्रमुख अनुपालनों में से एक दो अलग नेटवर्कों में आईटी तथा ओटी सुविधा बनाने की सुविधा भी देता है।

हावड़ा स्थित नियंत्रण कक्ष के साथ ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क का व्यवहार करके एसईएमए चरण - II चालू किया गया है। अधिकांश स्टेशनों को कॉन्फ़िगर कर लिया गया है तथा वे हावड़ा स्थित नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट कर रहा है। (i) मुख्यालय में कार्यपालक निदेशक (प्रणाली) तथा (ii) मैथन में सीटीसी हेतु दो दूरस्थ कार्य केन्द्रों को भी प्रावधानित कराये गए है।

ई-गवर्नेंस /सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) पहल :

- करोना महामारी के दौरान कार्यालयीन कार्यकलापों को बनाए रखने के लिए **वर्क फ्रोम होम** (डब्ल्यूएफ़एच) प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया।
- प्रणाली परिचालित ई-मेल तथा वेंडर बिल ट्रेकिंग एप्लिकेशन के माध्यम बिक्रेताओं को उनके बिलों की स्थिति के संबंध में, सूचना देने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
- सभी खुदरा एवं द्विपक्षीय ऊर्जा बिलों को ई – प्लेटफार्म के माध्यम बनाया जाता है। उसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी ई-प्लेटफार्म के माध्यम आरंभ किया गया है :
  - वेंडर बिल ट्रेकिंग : 01.12.2021
  - कर्मचारी शिकायत निवारण : 25.10.2021
  - चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा 06.10.2021
  - स्थानांतरण अनुरोध पोर्टल : 12.05.2021
  - नये कनेक्शन हेतु ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रणाली : 24.09.2021
  - वे ब्रीज एकीकरण : सितंबर 2021 से आरम्भ
  - कर्मचारियों की प्रोफाइल अपडेट : 22.03.2022
- ईआरपी की क्रियान्वयन हेतु परामर्शक को लगाया गया। ईआरपी प्रणाली की रोलिंग दिसंबर 2022 तक आरम्भ किया जाएगा।
- डीवीसी कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की जिज्ञासा एवं इस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले किसी भी कर्मचारी से निराकरण के लिए **"समाधान"** नामक सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म चालू किया गया है। विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल की गई जानकारियों को साझा करने के लिए नॉलेज बैंक का भी प्रावधान सॉफ्टवेयर में रखा गया है।
- जीएसटी नियम जहाँ ईबीए में बी2बी इनवाइस सृजित किए गए रियल टाइम आधार पर जीएसटी पोर्टल में प्रस्तुत किए जाते है, ईबीए के माध्यम से जीएसटी पोर्टल तथा डीवीसी के बीच जीएसटी ई- इनवाइस तथा ई-वे बिल सफलतापूर्ण संघटित किया गया है। इस क्लिष्ट प्रक्रिया में आईआरएन तथा क्यूआर कोडों का जेनेरेशन, अन्य एपीआई इंटीग्रेशन के साथ वे-बिल का जेनेरेशन शामिल है जो बी 2 बी पार्टियों को रियल टाईम इनवाइस प्रदान करता है।
- डीवीसी पोर्टल के साथ–साथ प्रणाली परिचालित ई-मेल के जरिये झारखंड उपभोक्ताओं के लिए संभावी नियोजन अनिवार्य संयंत्र बंदी की सूचना देने के लिए एक प्रणाली विकसित की गयी है।
- डीवीसी के पेंशनरों को भी उनके वार्षिक चिकित्सा साख सीमा के प्रति उनके साख में शेष के बारे में अतिरिक्त सूचना प्रदान की जाती है।
- एनआईसी की ई-ऑफिस 01.02.2022 को क्रियान्वित किया गया। इसने फाइल प्रोसेसिंग की गति में काफी वृद्धि हुई है और हार्ड फाइलों को खत्म कर दिया है।
- ईआरपी के कार्यान्वयन हेतु परामर्शक को लगाया गया है। ईआरपी कार्यान्वयन संगठन की सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के एकीकरण में मदद करेगा।
- आईटी विभाग एक लैपटॉप नीति लेकर आया है ताकि अधिकारी परिभाषित विनिर्देशित की सीमा के भीतर अपनी पसंद के अनुसार लैपटॉप खरीद सकें। इससे अधिकारियों को घर से या दौरे पर रहने पर भी कार्य का निष्पादन कर सके जिसके परिणामस्वरूप दक्षता में वृद्धि हुई है।

परियोजना कार्य / क्षमता संवर्धन कार्यक्रम:

वित्त वर्ष 21 -22 हेतु केपेक्स स्नैपशॉट

उच्चतम केपेक्स उपयोगिता

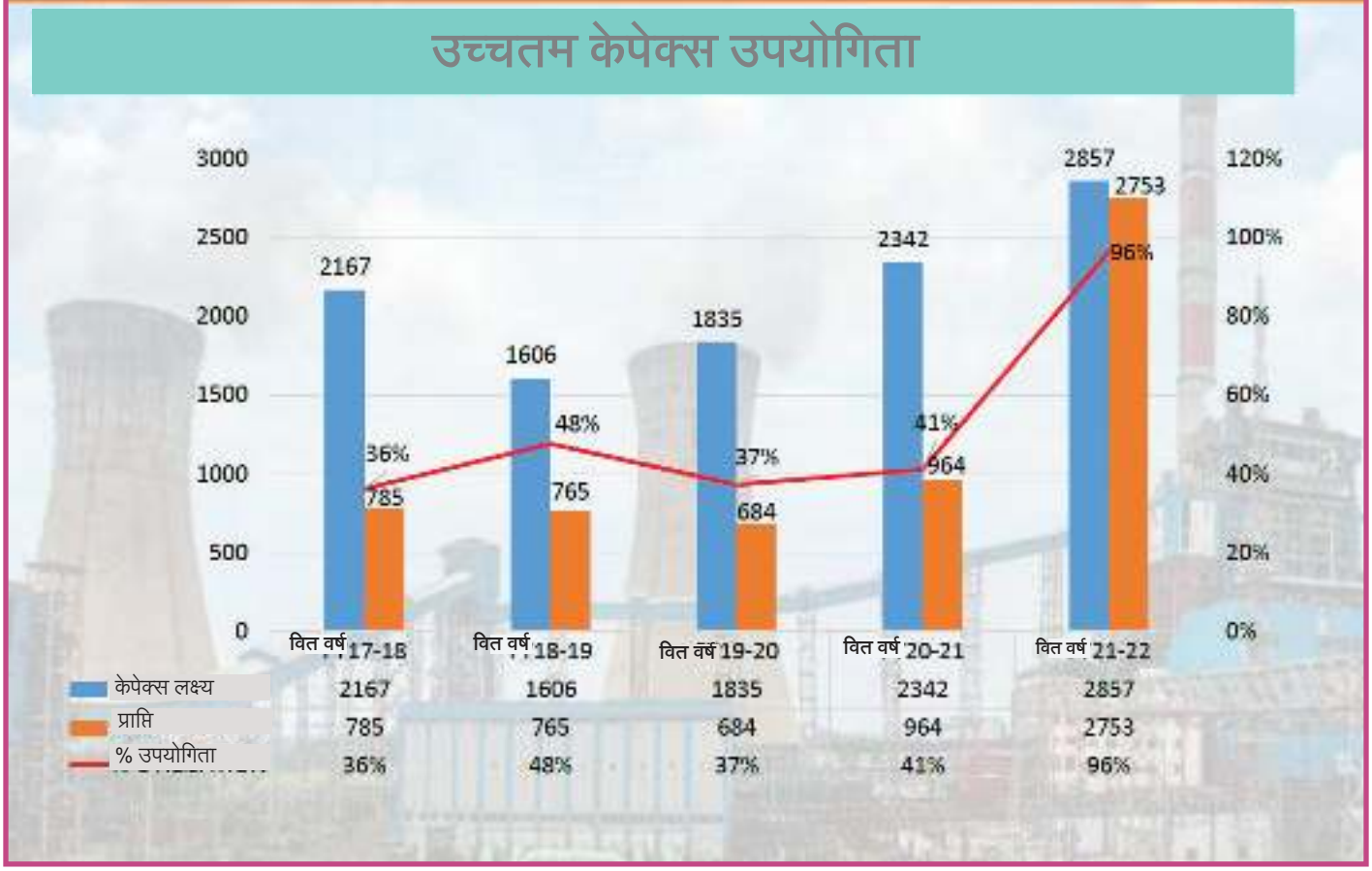

विकास की गति को जारी रखने के उद्देश्य से, डीवीसी ने वित वर्ष 2021-22 में 2857 करोड़ की एक लक्ष्य के प्रति 2753 करोड़ तक केपेक्स लक्ष्य का 95% प्राप्त किया है।

डीवीसी ने विगत वर्षों की तुलना में केपेक्स उपयोगिता के मामले में काफी अधिक प्रदर्शन किया है।

पर्यावरणीय प्रभाव में कमी के उपाय :

डीवीसी पर्यावरण सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार पहल की दिशा में निवेश सुनिश्चित करके नए उत्सर्जन मानकों को पूरा करने की राह में है।.

क. ईंधन गैस डिसल्फराईजेशन (एफ़जीडी)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़ एण्ड सीसी) द्वारा निर्धारित योजना पर कार्रवाई करते हुए डीवीसी ने सल्फर डीआक्साइड

(एसओ2) के उत्सर्जन नियंत्रक प्रतिमानको का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी तापीय परियोजनाओ में फ्लू गैस डिसल्फराईजेशन (एफ़जीडी) की स्थापना हेतु पहल किया है।

सभी इकाइयों में एफ़जीडी चालू करने का कार्य प्रगति पर है तथा एमओईएफ़ एण्ड सीसी द्वारा जारी किए गए निर्धारित समय सीमा (दिसंबर 2023 तक श्रेणी – बी के अधीन टीपीएस तथा दिसंबर 2024 तक श्रेणी – सी के अधीन टीपीएस) के अन्दर बेहतर तरीका से पूरा कर लिया जाएगा। सीटीपीएस हेतु ठेका निविदा प्रक्रिया में है

31 मार्च, 2022 को, 500 मेवा तथा उससे ऊपर की इकाइयों वाली 9 अदद चिमनी में से छह अदद आरसीसी शेल का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा जिसमें प्रमुख सिविल एवं संरचनात्मक कार्य बहुत ही उन्नत चरण में है।

डीवीसी मार्च 2023 तक 500 मेवा एवं उससे ऊपर की इकाइयों में 4 अदद एफ़जीडी चालू करने का लक्ष्य बना रहा है।

एमटीपीएस इकाई # 7 व 8
(27.11.2021 व 23.02.2022)

डीएसटीपीएस इकाई # 1
(17.01.2021)

डीएसटीपीएस इकाई # 2
(27.12.2022)

आरटीपीएस इकाई # 1
(30.09.2021)

केटीपीएस इकाई # 1
(23.02.2022)

एफ़जीडी चिमनियों का चित्र

चालू एफ़जीडी परियोजनाओं की भौतिक प्रगति (मार्च' 22 तक) नीचे दिया गया है।

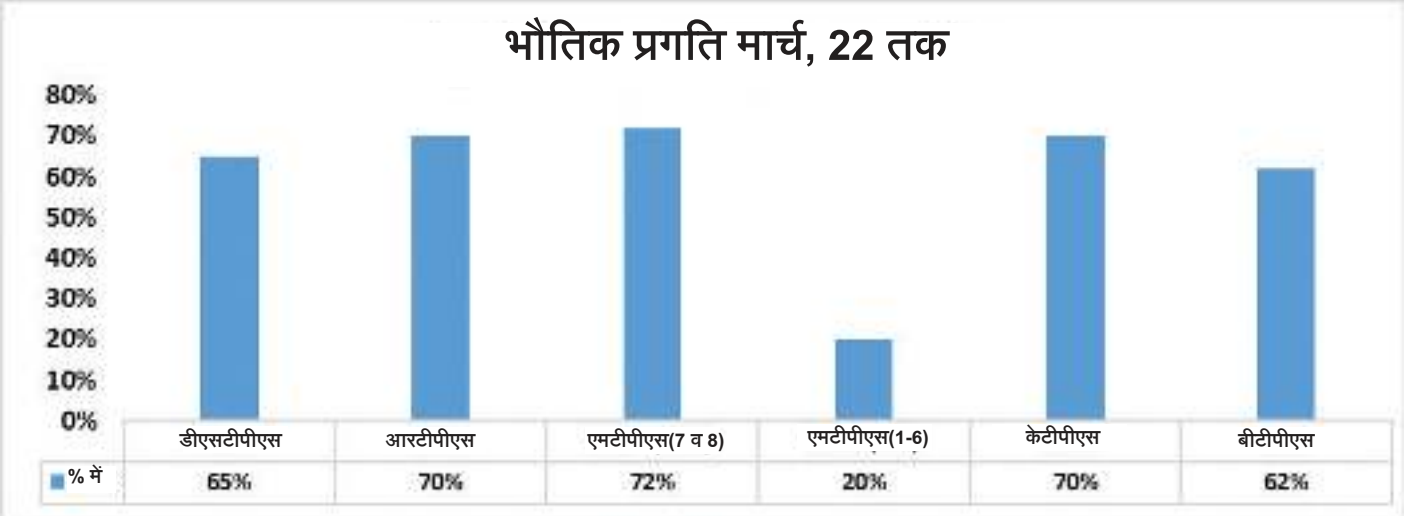

ख. डी- नॉक्स

पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप एवं नॉक्स उत्सर्जन के मामले को आगे संबोधन करने हेतु डीवीसी एमओईएफ़ एण्ड सीसी द्वारा अधिसूचित नॉक्स उत्सर्जन मानदंडों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन के क्रम में डी नॉक्स प्रणाली संस्थापन को सुनिश्चित करता है।

तापीय संयंत्र	इकाई	डी- नॉक्स संस्थापना की स्थिति
डीएसटीपीएस	1	*
	2	*
आरटीपीएस	1	*
	2	*
एमटीपीएस	7	√
	8	√
	4 - 6	*
केटीपीएस	1	√
	2	*
बीटीपीएस	1	√
सीटीपीएस	7	*
	8	*

√ सफलतापूर्वक चालू किया गया।

* संबंधित इकाइयों के मरम्मत कार्य समय पर चालू किया गया है।

बीटीपीएस-ए, आरटीपीएस एवं एमटीपीएस में रेलवे आंतसंरचनात्मक कार्य:

बीटीपीएस-ए में रेल कार्य:

नयी चालू रेलवे लाइन के माध्यम से रेल द्वारा कोयले का परिवहन जनवरी 2022 से आरम्भ हो गयी है।

आरटीपीएस में रेल कार्य :

जय चंडी पहाड़ स्टेशन (जेओसी) से रघुनाथपुर टीपीएस तक की एकल लाइन कनेक्टिविटी को चालू करके कोयले रेक मूवमेंट फरवरी 2021 में स्थापित की गयी थी।

बोरो स्टेशन से रेल लाइन कनेक्टिविटी की दिशा में शेष कार्य तथा अन्य संबंधित कार्य पूरे ज़ोरों पर चल रहा है और जून 2023 में पूरा हो जाएगा।

एमटीपीएस में डबल रेल लाइन :

रानीगंज स्टेशन से मेजिया संयंत्र तक द्वितीय रेल लाइन हेतु जोड़ने वाली ट्रेक 95% पूरा हो चुका है। शेष कार्य समापन की ओर है।

बीटीपीएस-ए . में ट्रक हॉपर के माध्यम रेक से कोयले की अनलोडिंग

कोडरमा टीपीएस में मुख्य राख़ कुंड कार्य की शेष सिविल भाग:

स्थानीय मामलों के समाधान के पश्चात, शेष राख़ कुंड सिविल कार्य मेसर्स भेल की लागत और जोखिम पर अगस्त, 2021 से प्रारम्भ हो गया है।

भावी क्षमता संवर्धन कार्यक्रम / नयी पहल :

- **रघुनाथपुर चरण-II का पुनररूद्धार :**

  आरटीपीएस चरण –II (2X 660 मेवा) के पुनरूद्धार हेतु आगे बढ़ने की स्वीकृति विद्युत मंत्रालय से प्राप्त कर ली है तथा डीवीसी ने इसके रूपात्मकता निर्धारित करने तथा आगे बढ़ने की पहल की है। डीवीसी 'आरटीपीएस चरण-II हेतु संशोधित डीपीआर तैयार करने तथा पूर्व में प्रदत सेवाओं हेतु एनटीपीएसी को कार्य में लगाया है।

- **लुगु पहाड़ में पम्प स्टोरेज :**

  डीवीसी ने उच्च चरम माँग को पूरा करने के लिए बोकारो नदी पर लुगु पहाड, बोकारो जिला, झारखंड में 1500 मेगावाट क्षमता की अस्थायी पम्प स्टोरेज परियोजना स्थापित करने की पहल की है। पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु परामर्शक को 22.02.2021 को आदेश जारी किया गया।

- **पंचेत पनबिजली केंद्र इकाई #1(40 मेवा), का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन:**

  पंचेत पनबिजली केन्द्र बहुत पहले दिसम्बर 1959 में शुरू की गई आरएमएण्डयू (40 मेवा से 46 मेवा) के माध्यम इकाई #1 के सुधार / उन्नति के कार्य निष्पादन के क्रम में दिनांक 17.01.2022 को कार्यादेश रखा गया है। आदेश की तारीख से निर्धारित समाप्ति अवधि 24 माह की है। अभियांत्रिकी प्रगति पर है।

- **मैथन पनबिजली इकाई # 1 व 3 (2 x 20 मेवा), आरएम एण्ड यू :-**

  मैथन पनबिजली इकाई-1 एवं 3 के आरएमएण्डयू हेतु भी कदम उठाये गये है। दोनों इकाइयों हेतु आरएलए अध्ययन पूरा कर लिया गया है तथा डीपीआर मसौदा प्रस्तुत किया गया है। यह तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु सीईए की समीक्षाधीन है।।

- **तिलैया पनबिजली इकाई # 1 व 2 (2 x 2 मेवा),: -**

  तिलैया पनबिजली केंद्र इकाई # 1 व 2 के आरएलए अध्ययन हेतु एलओए अधिनिर्णित किया गया है। हाट वाक डाउन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

प्रचालन सेवाएँ व संवर्धन

समग्र कार्यनिष्पादन सुधार हेतु प्रचालन सेवाएँ व संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कार्यकलाप अपनाये गये हैं:

1. प्रचालन सेवाएँ

(i) संरक्षा :

- संयंत्र का संरक्षा लेखा परीक्षा बाह्य एजेंसियों द्वारा किया गया तथा उनकी सिफारिशें क्रियान्वित की जाती है। अन्य डीवीसी संयंत्रों से भी कार्मिकों द्वारा लेखा परीक्षा कराया गया
- संरक्षा पहलू , पर्यावरण विषय तथा अन्य प्रासंगिक विषयों के अनुश्रवण हेतु संयंत्र का आरओपीआर (क्षेत्रीय प्रचालन निष्पादन समीक्षा) को क्रियान्वित किया गया है।

(ii) पूर्ण मरम्मती कार्यकलाप:

- 6 वर्षीय रोलिंग योजना के अनुसार पूर्ण-मरम्मती अनुसूची।
- पूर्व पूर्ण-मरम्मती सर्वेक्षण /मूल्यांकन तथा पूर्ण-मरम्मती तैयारी की समीक्षा
- उपकरणों की द्रुत आपूर्ति हेतु ओईएम सहित समन्वयन व संपर्क।
- निष्पादन के दौरान गुणवत्ता जॉच तथा नयाचार।
- गंभीर मोर्चों पर पूर्ण मरम्मती प्रगति का प्रबोधन एवं पूर्ण मरम्मती के दौरान सहायता।

(iii) तकनीकी लेखा-परीक्षा:

- दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजना के माध्यम ताप संयंत्रों की तकनीकी लेखापरीक्षा का संचालन एवं घाटे के क्षेत्र का पता लगाने के लिए कार्य योजना।
- कार्य योजना के कार्यन्वयन का अनुश्रवण तथा संयंत्र अभियंताओं हेतु आवश्यक सहायता को बढ़ाना।

(iv) कार्यप्रदर्शन प्रबोधन:

- ट्रिप विश्लेषण की समीक्षा तथा बंदी इस तरह की विफलता से बचने के लिए कार्यान्वयन हेतु संस्तुति।
- ट्यूब विफलता विश्लेषण रिपोर्ट की समीक्षा तथा निवारात्मक उपाय।
- खराब प्रदर्शन हेतु कारणों का विश्लेषण तथा कार्यप्रदर्शन सुधार हेतु निवारात्मक उपायों का गठन करना।
- अन्तराल विश्लेषण इत्यादि सहित नयी ओएण्डएम अभ्यास एवं कार्यान्वयन।

(v) उत्पादन प्रबोधन:

- संयंत्र/ उपकरण /प्रणाली/उप प्रणाली की प्रबोधन स्थिति एवं संयंत्र अभियंताओं के आवश्यक सहायता को बढ़ाना।
- सभी तापीय एवं पनबिजली इकाइयों के बारे में विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की प्रस्तुति।
- निष्पादन मानदंडों के बारे में अपवाद रिपोर्ट की प्रस्तुति।
- ओआरटी रिपोर्ट की समीक्षा एवं संयंत्र अभियंताओं को ओएण्डएम संबंधी मुद्दों के बारे में आवश्यक सहायता।

(vi) एएमसी/एआरसी:

- सभी डीवीसी विद्युत केन्द्रों में ओएण्डएम के अधीन विभिन्न एएमसी / एआरसी प्रस्तावों के कार्यक्षेत्र आकलन आदि की समीक्षा।
- योग्य अर्हा आवश्यकता (क्यूआर) का मानकीकरण तथा एएमसी/एआरसी हेतु कार्य का क्षेत्र।

(vii) ऊर्जा संरक्षण -

दक्षता एवं ऊष्मा दर में सुधार के साथ कोयला, तेल, पानी तथा सहायक विद्युत के कम खपत के साथ विद्युत की उपलब्धता में दीर्घकालिक सुधार हेतु ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली में आधुनिक प्रयासों को प्रतिष्ठापित कराने हेतु डीवीसी लगातार प्रयास कर रहा है। डीवीसी विद्युत संयंत्रो में कुशल ऊर्जा प्रबंधन हेतु निम्नलिखित पद्धति अपनाये गये है।

- विभिन्न प्रचालन तथा दक्षता प्राचाल, ऊष्मा दर विचलन विश्लेषण के अनुश्रवण हेतु संयंत्र स्तर पर नित्य समन्वय बैठक तथा मासिक प्रचालन समीक्षा टीम(ओआरटी) बैठक तथा उसके निवारण उपाय।
- संयंत्र कार्य निष्पादन, गंभीर विषयों के अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर मासिक प्रचालन समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है तदनुसार आवश्यक उपाय लिये जाते है।
- वैरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) जैसे ऊर्जा दक्षता उपकरण के स्थानन का समावेशन प्रगति पर है एमटीपीएस इकाई #। में एक अदद सीईपी में वीएफडी स्थापित किया गया। एमटीपीएस इकाई 2,3 तथा 4 के शेष सीईपी में वीएफडी का अधिष्ठापन मार्च 23 तक पूरा किया जाना है।
- एमटीपीएस इकाई # 3 - सभी चौदह अदद सीटी पंखे का स्थानन ऊर्जा दक्षता एफआरपी ब्लेड एसेम्बली के साथ किया जा रहा है। एमटीपीएस इकाई # 1,2 तथा 4 के सीटी पंखे में ऊर्जा दक्षता एफआरपी ब्लेड एसेम्बली का स्थानन दिसम्बर 22 तक पूरा किया जाना है।
- एमटीपीएस इकाई # 3 के एक अदद सीडब्ल्यू पंप के आंतरिक पंप तथा एमटीपीएस इकाई 1-6 के एक अदद इनटेक पंप पर ऊर्जा दक्षता कोटिंग पूरा कर लिया गया है। एमटीपीएस इकाई # 1- 3 के दो अदद सीडब्ल्यू पंप तथा एमटीपीएस इकाई # 1- 6 के इनटेक पंप का ऊर्जा दक्षता कोटिंग दिसम्बर 22 तक पूरा किया जाना है।
- ऊर्जा बचाने के लिए समय पर स्थानन तथा बीएफवी पुनर्चक्रण वाल्व का मरम्मत निष्पादित किया गया है।
- बॉयलर दक्षता, टरबाईन साइकल हीट रेट, एचपी हीटर के कार्य निष्पादन इत्यादि जैसे विभिन्न कार्य निष्पादन प्रचालों का विश्लेषण नियमित रूप से किया जाता है तथा तदानुसार घाटे के क्षेत्र का पता लगाया जाता है।
- प्रणाली दक्षता तथा सहायक विद्युत खपत के इष्टतम उपयोग के उन्नत ओएंडएम अभ्यास के क्रम में कमबस्टन इष्टतम उपयोग ,कंडेसर वैक्यूम का सुधार, अधजली कार्बन की कटौती ,नलिका तथा विस्तार संयुक्त से हवा रिसाब में कटौती हेतु आवश्यक उपाय नियमित रूप से किये जा रहे है।
- विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिष्ठान में मौजूदा ट्यूबलाइट / सीएफएल का स्थानन एलईडी से किया जा चुका है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के दिशा निर्देशों के अनुसार बाह्य एजेंसियों द्वारा डीवीसी के ताप विद्युत केन्द्रों के ऊर्जा लेखा परीक्षा का निष्पादन किया गया है। सभी तापीय केन्द्रों के ऊर्जा लेखा परीक्षा को दिसम्बर 21 से फरवरी 22 तक पूरा कर लिया गया है तथा संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रगति पर है।
- डीवीसी कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ टीम द्वारा समय-समय पर सभी तापीय इकाइयों का तकनीकी लेखा परीक्षा कर घाटे के क्षेत्र का पता लगाया जाता है। हाल में सभी ताप तथा पनबिजली केन्द्र के तकनीकी लेखा परीक्षा फरवरी 21 से सितम्बर 21 के दौरान पूरा कर लिया गया है।

2. संवर्धन :

विद्युत केन्द्रों के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी संवर्धन, अप्रचलित उपकरणों की प्रतिस्थापना तथा बॉयलर, टरबाइन तथा इसके सहायक उपकरणों, कोल हस्तलन संयंत्र, राख हस्तलन संयंत्र, कोयला मिलों, विद्युत प्रणालियों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आदि इस प्रक्रिया में शामिल हैं।

पर्यावरण प्रबंधन तथा प्रदूषण नियंत्रण

पर्यावरण सुरक्षा के क्रम में डीवीसी ने विद्युत उत्पादन से निकलने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाये हैं।

चिमनी उत्सर्जन नियंत्रण:

उचित सीमा के अंदर अच्छी तरह से कण उत्सर्जन को अनुरक्षित करने के लिए नयी इकाइयों में अति उच्च क्षमता संपन्न इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) लगाए गये हैं। व्यापक वायु गुणवत्ता मापने के लिए एमटीपीएस, केटीपीएस, आरटीपीएस, बीटीपीएस. सीटीपीएस तथा डीएसटीपीएस में निरंतर व्यापक वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों (सीएएक्यूएमएस) की स्थापना की गयी है। व्यापक वायु आँकड़े पीसीबी सर्वर्स को प्रेषित किया जा रहा है।

चिमनी उत्सर्जन प्राचलों का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है एवं सभी चालू ताप विद्युत संयत्रों (टीपीपी) में ओपासिटी मीटर सेवारत हैं। सीपीसीबी/ एसपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चिमनी के माध्यम उत्सर्जन के ऑन-लाइन प्रबोधन को चालू करने का कार्य सभी ताप विद्युत केन्द्रों में पूरा कर लिया गया है तथा नियमित आधार पर आंकड़े एसपीसीबी/ सीपीसीबी को भेजे जा रहे हैं।

डीवीसी पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7 दिसम्बर, 2015 तथा 19 अक्टूबर 2020 को यथा अधिसूचित नये चिमनी उत्सर्जित मानदण्डों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। डीवीसी ने अपने सभी ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी व डी-नॉक्स प्रणाली के स्थापन/ क्रियान्वयन तथा अपने मेजिया ताप विद्युत संयंत्र में ईएसपी का संवर्धन पहले ही प्रारम्भ कर दिया है। यह क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

बहि:स्राव निकास नियंत्रण:

संयंत्र बहि:स्राव निकास प्राचल नियमित रूप से प्रबोधित किये जाते हैं तथा प्राचल मानकों के अधीन उचित रूप से अनुरक्षित किये जाते हैं। बहि:स्राव निकास मानकों को पूरा करते हुए तरल बहि:स्राव उपचार संयंत्र डीवीसी ताप विद्युत केन्द्रों में भी प्रचालनरत है। विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले बहि:स्रावों के उपचार हेतु डीएसटीपीएस, केटीपीएस, एमटीपीएस, सीटीपीएस में बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं तथा आरटीपीएस तथा एमटीपीएस में गार्ड कुंड का निर्माण किया गया है। संयंत्र में खराब पानी को अधिकतम पुर्नव्यवहार हेतु डीवीसी में ऑयल कैचिंग व्यवस्थाओं सहित सेटलिंग कुंड भी संस्थापित किये गये हैं। सीपीसीबी/एसपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बहि:स्राव निकासों का ऑन-लाइन प्रबोधन आँकड़ा पीसीबीएस को नियमित रूप से भेजे जाते हैं।

एमओईएफ व सीसी के नये जल खपत मानकों के अनुसार जल खपत को कम करने के लिए, राख निथारित जल के पुर्नव्यवहार व पुनर्चक्रण डीवीसी के लगभग सभी ताप विद्युत केन्द्रों में निष्पादित किया जाता है। नये संयंत्र शून्य बहि:स्राव निकासों के कारण पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने पर अभिकल्पित है।

मल-जल उपचार संयंत्रों (एसटीपी) से उपचारित बहि:स्राव नियमित रूप से प्रबोधित किये जाते हैं तथा बहि:स्राव के पहले बहि:स्राव गुणवत्ता को विनिर्धारित सीमा के अंतर्गत अनुरक्षित किया जाता है। डीवीसी के टाउनशिप क्षेत्र से उत्सर्जित मल-जल के उपचार के लिए एमटीपीएस, केटीपीएस में एसटीपी, की स्थापना की गई है। आरटीपीएस संयंत्र क्षेत्र के मल-जल उपचार के लिए एसटीपी स्थापित किये गये है। डीवीसी ने पुराने केन्द्र बीटीपीएस, सीटीपीएस में एसटीपी, की स्थापना हेतु आदेश रखे है। डीएसटीपीएस आरटीपीएस में भी एसटीपी, की स्थापना हेतु पहल किये गये है।

ठोस अवशिष्ट प्रबंधन (राख):

राख को शुष्क और गीली दोनों पद्धति में निष्कासित किया और हटाया जाता है। सीमेंट उद्योग, ईंट व ब्लॉक निर्माण इकाइयों इत्यादि में शुष्क उड़न राख (डीएफए) के व्यवहार पर बल दिया गया है। सभी डीवीसी ताप विद्युत केन्द्र डीएफए संग्रहण प्रणाली से सुसज्जित हैं। डीएफए घरेलू सीमेंट, ईंट

व ब्लॉक निर्माताओं को तथा बांग्लादेश एवं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को परिवहन हेतु विभिन्न उद्योगपतियों को आपूर्ति की जाती है। चिरस्थायी विद्युत उत्पादन हेतु कुंड राख को खाली किया जाता है तथा परित्यक्त कोयले खदानों, पत्थर खदान , नीचली क्षेत्रों को भरने तथा एनएचएआई के सड़क निर्माण योजना में व्यवहार किया जाता है। भरे परित्यक्त खदानों/निचले क्षेत्रों के ऊपरी सतह को मिट्टी से ढ़क दी जाती है तथा हरित वनस्पति तथा हरित क्षेत्र में विकसित किया जाता है।

निम्न घाटी में वनीकरण/हरित क्षेत्र कार्यक्रम:

सभी डीवीसी ताप विद्युत केन्द्रों में हरित क्षेत्र विकास कार्य जारी है। सांविधिक आवश्यकता के अनुसार, हरित क्षेत्र विकास कार्यक्रम दुर्गापुर स्टील ताविके, रघुनाथपुर ताविके व कोडरमा ताविके स्थित डीवीसी की नयी परियोजनाओं में पहले ही आरम्भ कर दिया गया है। डीवीसी ने मेजिया ताविके, चन्द्रपुरा ताविके, रघुनाथपुर, बोकारो ताविके व हजारीबाग के नजदीक डिग्रेडेड वन भूमि का वनीकीकरण कार्य क्रियान्वित किया है।

वित्त वर्ष 2021-22 में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ :

- अब तक का सबसे अधिक 95.28 एलएमटी के ट्यून तक पूर्ण राख उपयोगिता हासिल किये गए है। .
- बीटीपीएस, सीटीपीएस, डीएसटीपीएस में सीएएक्यूएमएस की स्थापना तथा शुरूआत।
- विद्युत मंत्रालयों के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीवीसी ताप विद्युत केन्द्रों से 50 कि. मी. के स्लैब में राख कुंड के परिवहन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर आधारित परिवहन एजेंसियों के पैनल को अंतिम रूप दिया गया है।
- सीटीपीएस, केटीपीएस,डीएसटीपीएस, बीटीपीएस से एनएचएआई की सड़क निर्माण योजना में संयुक्त कुंड राख उपयोगिता 11.84 एलएमटी है।
- एनएच-19 सड़क निर्माण योजना के पानागढ़ –पालसिट सेक्शन हेतु 18 माह में 15 एलएमटी राख कुंड की उपयोगिता हेतु डीएसटीपीएस तथा एनएचएआई, पीआईयू, दुर्गापुर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
- एनएच-19 सड़क निर्माण योजना के पलसिट -डानकुनी सेक्शन हेतु 30 माह में 25 एलएमटी राख कुंड की उपयोगिता हेतु एनएचएआई पीआईयू कोलकाता तथा एमटीपीएस के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
- एनएच-32 सड़क निर्माण योजना के पुरूलिया बायपास के चार लेन हेतु 18 माह में 2.5 एलएमटी राख कुंड की उपयोगिता हेतु एनएचएआई पीआईयू दुर्गापुर तथा आरटीपीएस के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
- नबोकाजोरा तथा लचीपुर में परित्यक्त कोयले खदानों में राख कुंड के निपटान हेतु ईसीएल तथा डीएसटीपीएस के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
- जाँच आधार पर एक वर्ष में 3 एलएमटी राख कुंड की उपयोगिता हेतु टाटा स्टील माइंस झरिया डिविजन तथा सीटीपीएस के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

विगत 5 वर्षों में कुल राख उपयोगिता :

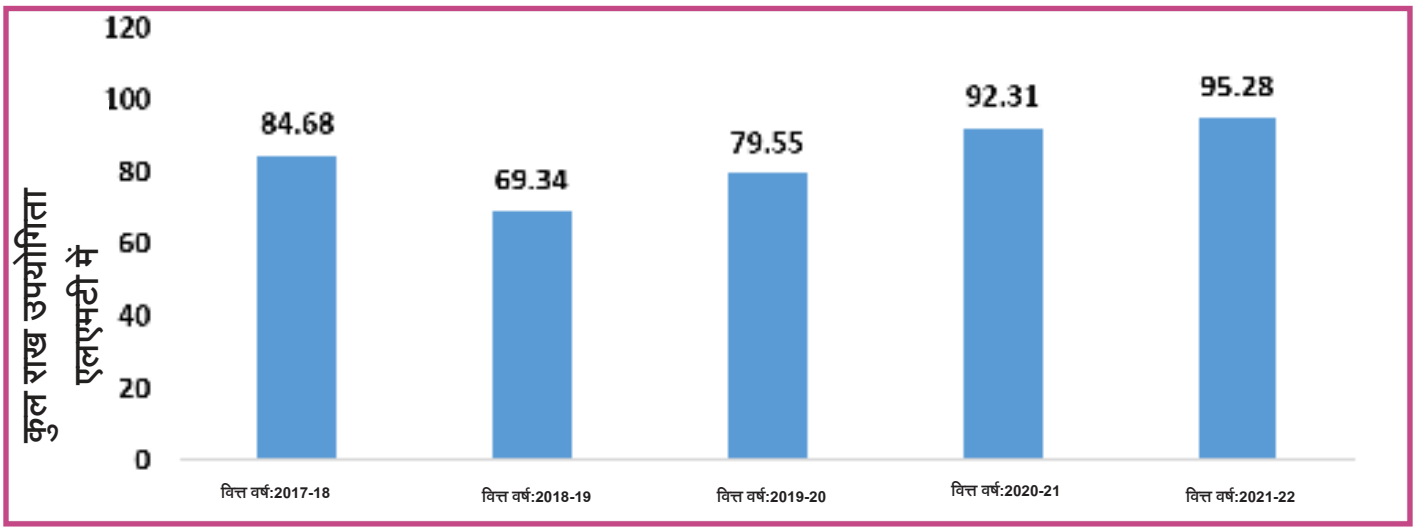

वित्त वर्ष 21-22 में कुल राख उत्पादन का कुल राख उपयोगिता 76.67 % है।

वित्त वर्ष 2021-22 में विभिन्न क्षेत्रों में डीवीसी द्वारा राख उपयोगिता

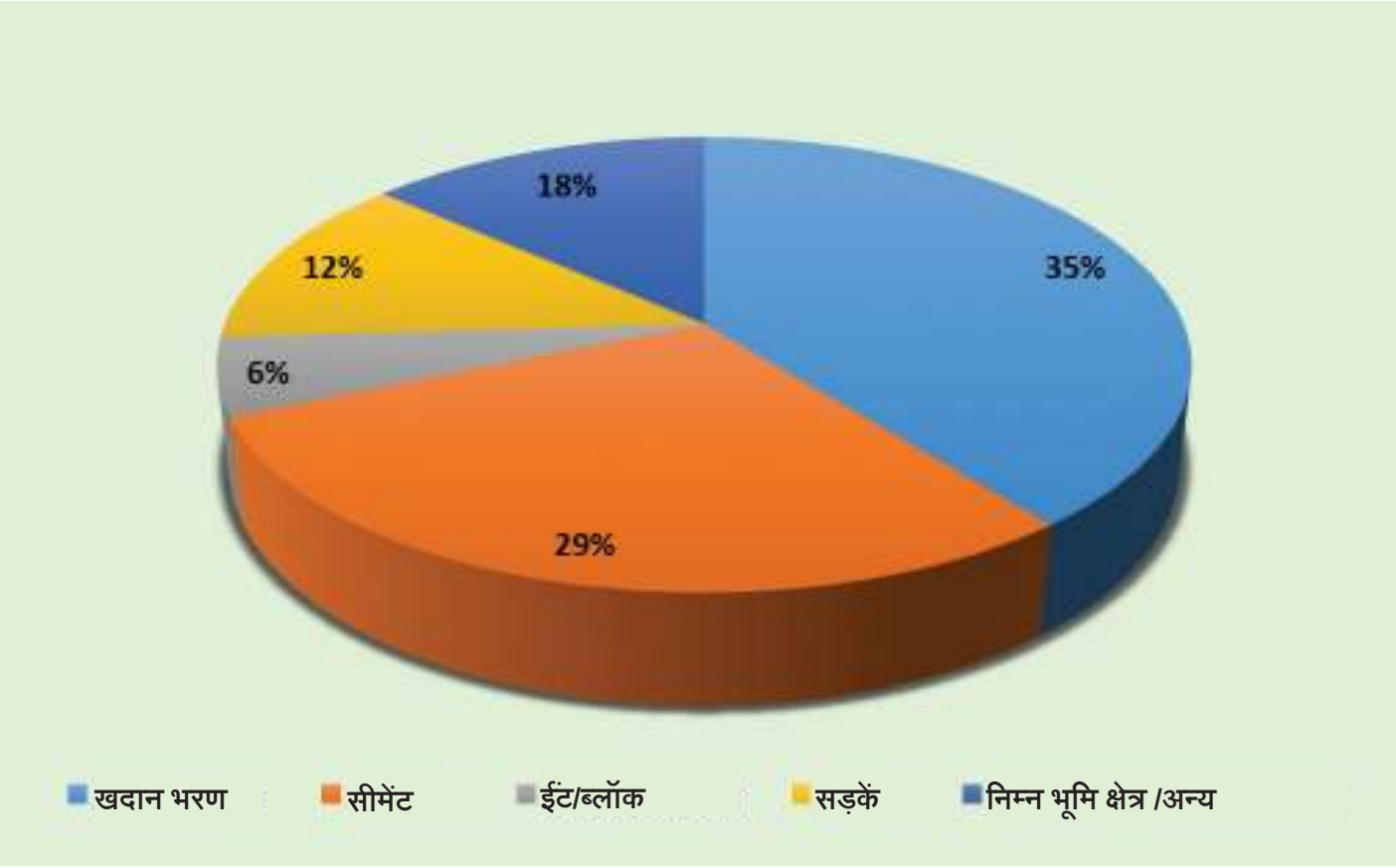

खनन परियोजना

तुबेद कोयला खदान :

130 मिलियन टन की खनन योग्य संचय एंव वार्षिक 6 मिलियन टन के उच्च कोयला उत्पादन क्षमता वाली तुबेद कोयला खदान मेजिया ताप विद्युत केंद्र इकाई #7 व 8 के अंतिम उपयोग परियोजना एंव चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र इकाई #8 को आबंटित किया गया है। पर्यावरण मंजूरी,भू जल निकासी के लिए एन ओ सी,स्थापना की सहमति,वन मंजूरी चरण –I व II,खदान खोलने की स्थल अनुमति के साथ खदान विकास का कार्य उन्न्त चरण में है। सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम 1957 के तहत भारत सरकार द्वारा कोयला ब्लॉक के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण कर डीवीसी को प्रदान किया गया। मुआवजे का संवितरण और भूमि का भौतिक कब्जा प्रक्रियाधीन है। एसआईसीएएल -एएमपीएल –जीसीएल का एक संकाय मेसर्स डेवलेकटो माइनिंग लिमिटेड एक माइन डेवलपर सह अपरेटर है। खनन कार्य जुलाई 2022 में शुरू होने की उम्मीद है।

खागरा जयदेव कोयला खदान:

103 मिलियन टन की खनन योग्य संचय एंव वार्षिक 3 मिलियन टन के उच्च कोयला उत्पादन क्षमता वाली खागरा जयदेव कोयला खदान मेजिया ताप विदुत केंद्र इकाई #7व 8 अंतिम उपयोग हेतु आबंटित किया गया है। कथित खदान के अधिकांश सांविधिक अनुमति प्राप्त कर लिया गया है। फरवरी 2020, से पंश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमण्डल से जमीन की प्रत्यक्ष खरीद हेतु अनुमोदन प्रतीक्षारत है।

बेरमों कोयला खदान :

बेरमों खदान में खनन कार्यकलाप 1951 में शुरू कर दिया गया। खनन पट्टे की समाप्ति पर 2016 में खनन कार्यकलाप निलंबित कर दिया गया है। डीवीसी ताविके को कोयले की आपूर्ति के लिए 2.5 एमटीपीए कोल लिंकेज के एवज में बेरमों खदान को सीसीएल को कार्य सौपने का कार्य प्रगति पर है।

जल संसाधन प्रबंधन में बाढ़ नियंत्रण और विकासात्मक कार्यकलाप :

प्रस्तावना :

दामोदर बेसिन में 2.915 मिलियन एकड़ फीट की प्रस्तावित बाढ़ भंडारण क्षमता वाले मूल रूप से योजनबद्ध सात जलागारों में से प्रथम चरण में तिलैया (1953), कोनार(1955), मैथन (1957) और पंचेत (1959) में बहुउद्देश्यीय बांधों का निर्माण पूरा हो गया था। लेकिन संबंधित राज्य सरकारों (झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार) मैथन और पंचेत जलागारो के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करने में बाधाओं के कारण डिज़ाइन किए गए भंडारण स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सका। पहले चरण में, कुल बाढ़ आरक्षित क्षमता की योजना 1.51 मिलियन एकड़ फीट थी। लेकिन भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण, प्राप्त की गई बाढ़ आरक्षित क्षमता सिर्फ 1.047 मिलियन एकड़ फीट थी, जो 2019 और 2020 की नवीनतम क्षमता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रगतिशील गाद के कारण 0.95 मिलियन एकड़ फीट तक कम हो गई है। हालांकि, आंशिक रूप से भी विगत कुछ वर्षों में इस योजना के कार्यान्वयन से डीवीसी निम्न घाटी में बाढ़ नियंत्रण के अपने प्राथमिक उद्देश्य को काफी हद तक पूरा करने में सक्षम रहा है। इसके अलावा, जलागारों के विवेकपूर्ण प्रचालन से दामोदर घाटी क्षेत्र में कुशल जल संसाधन प्रबंधन प्राप्त कर सभी प्रतिबद्ध आवश्यकताओं जैसे सिंचाई, नगरपालिका और औद्योगिक जल आपूर्ति को पूरी तरह से पूरा किया जाता है।

2021-22 वर्ष के दौरान डीवीसी द्वारा जल संसाधन प्रबंधन कार्यकलाप निम्नानुसार है:

बाढ़ नियंत्रण:

विचाराधीन वर्ष के दौरान, 13.06.2021 को समग्र दामोदर घाटी क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम मानसून की आक्रमणता बनी रही तथा 23.10.2021 को सम्पूर्ण घाटी से वापस चला गया।

जून से अक्टूबर 2021 तक बराकर और दामोदर स्रवणक्षेत्र में औसत वास्तविक मानसून वर्षा क्रमशः1114 मिमी तथा 1194 मिमी के प्रति सामान्य वर्षा क्रमशः1236 मिमी तथा1067 मिमी वर्षा की तुलना में बराकर स्रवणक्षेत्र में 09.91 वर्षा कम रहा था तथा सामान्य वर्षा की तुलना में दामोदर स्रवणक्षेत्र में 12.33% वर्षा कम हुई।

समग्र दामोदर घाटी क्षेत्र में 29.09.2021 को महत्वपूर्ण वर्षा शुरू हुई, जिसने मैथन और पंचेत के जलागारों में भारी प्रवाह में योगदान दिया। 29 से 30 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान, औसत वर्षा बराकर स्रवणक्षेत्र में 160.40 मिमी, जहां मधुबन में अधिकतम वर्षा 318 मिमी, जामताड़ा में 274 मिमी तथा बराकर बेसिन के अधीन 30.09.2021 को मैथन में 208 मिमी रिकार्ड दर्ज की गयी। दामोदर स्रवणक्षेत्र में 30.09.2021 को औसत वर्षा 159.60 मिमी और अधिकतम वर्षा सुदामाडीह में 268 मिमी, भंडारीदह में 220 मिमी दर्ज की गई थी जिसने एक भारी अपवाह में योगदान दिया। मैथन और पंचेत जलागारों में कुल संयुक्त अंतर्वाह 11.80 लाख एकड़ फीट (मैथन-5.58 लाख एकड़ फीट और पंचेत-6.22 लाख एकड़ फीट) था जबकि 29.09.2021 से 03.10.2021 तक संयुक्त बहिर्वाह 7.30 लाख एकड़ फीट (मैथन-3.45 लाख एकड़ फीट और पंचेत-3.84 लाख एकड़ फीट) था।

30.09.2021 को 15:00 बजे 3.63 लाख क्यूसेक का एक संयुक्त (मैथन और पंचेत) चरम अंतर्वाह देखा गया तथा 01.10.2021 को अधिकतम बहिर्वाह 1.51 लाख क्यूसेक था, अत: 58% अधिकतम बाढ़ नियंत्रण प्राप्त की गयी।

सदस्य सचिव, ड्रिप (दामोदर घाटी जलागार विनियम समिति) से संदेश प्राप्त होने पर समय-समय पर मैथन और पंचेत बांधों से बाढ़ की चेतावनी जारी किए गए और बाढ़ राहत सलाह को संशोधित बाढ़ चेतावनी ज्ञापन में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2021 में क्रियान्वयन किया गया था। विगत वर्ष की तरह आम जनता को सामान्य जानकारी के लिए डीवीसी की वेबसाइट पर बाढ़ की चेतावनी की जानकारी उपलब्ध करायी गयी थी। मैथन और पंचेत बांधों के नीचे की ओर 5 विभिन्न प्रमुख अवस्थानों से आमता (पश्चिम बंगाल राज्य की निचली घाटी में) तक पहुंचने के समय के साथ मैथन तथा पंचेत बाधों के डाउनस्ट्रीम से (विभिन्न रंग के कोडों यथा हरा, पीला ,नारंगी तथा लाल सहित निकासी आधारित वहिर्बाह) का समय तथा मात्रा पृथक सूचना के रूप में उपलब्ध कराई गई। प्राधिकारियो द्वारा बेहतर बाढ़ संयमन हेतु की जानी वाली तैयारी वास्तविक आधार पर डीवीसी द्वारा बाढ़ संबंधित सूचना अधतन की गयी।

मानसून के अंत में अर्थात 01.11.2021 को मैथन तथा पंचेत बांध द्वारा धारित जलागार स्तर क्रमश: आरएल 484.44 फीट (147.66 मीटर) तथा 417.92 फीट (127.38 मीटर) संरक्षण स्तर से बहुत अधिक था। 31.07.2021 को कोनार बांध से अधिकतम बाढ़ निकासी 19,751 क्यूसेक था तथा 2021 की अंतिम मानसून अवधि के दौरान तिलैया बांध से कोई बाढ़ निकासी नहीं किया गया था।

सिंचाई जल आपूर्ति:

सदस्य सचिव, डीवीआरआरसी के सलाहनुसार निम्न घाटी में खरीफ और रबी की खेती के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत मांगपत्रों के आधार पर डीवीसी अपने मैथन और पंचेत जलागारों से सिंचाई हेतु जल निकासी करता है।

यद्यपि, वित्त वर्ष 2021-22 में जलाशयों में उपलब्ध अतिरिक्त जल 364.11 हजार एकड़ फीट के आसपास था। जिसमें से 340.44 हजार एकड़ फीट पश्चिम बंगाल राज्य में बोरो सिंचाई की उपयोगिता के लिए उपलब्ध करायी गयी। शेष पानी को आपातकालीन जल विद्युत उत्पादन के लिए रखा गया है।

वर्ष 2021-22 हेतु जल उपयोगिता निम्नानुसार है:-

वर्ष	खरीफ		रबी		दोनों	
	जल आवंटित (लाख हेक्टेयर फीट)	सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़)	जल आवंटित (हजार एकड़ फीट)	सिंचित क्षेत्र (हजार एकड़)	जल आवंटित (हजार एकड़ फीट)	सिंचित क्षेत्र (हजार एकड़)
2021-22	10	8.17	70	50	340.44	104

नगरपालिका तथा औधोगिक (एम एंड आई) जल आपूर्ति :

डीवीसी फिलहाल नगरपालिका तथा औधोगिक उद्देश्यों हेतु लगभग 162 अभिकरणों(झारखंड राज्यो में 89 अदद तथा पश्चिम बंगाल में 73 अदद) को जल आपूर्ति करता है।

राज्य	घरेलू (अभिकरणों की संख्या)	औद्योगिक (अभिकरणों की संख्या)	दोनों	कुल
झारखंड	53	27	9	89
पश्चिम बंगाल	32	32	9	73

झारखंड में एम एंड आई उपयोग के लिए कुल आवंटित मात्रा 616 एमसीएम/वर्ष (373.679 एमजीडी) है और पश्चिम बंगाल में यह 697 एमसीएम/वर्ष (422.355 एमजीडी) है। वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान किसी भी उपभोक्ता द्वारा पानी की कमी/कमी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जल प्रणाली विकासात्मक पहल:

जल संसाधन क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों के एक भाग के रूप में डीवीसी द्वारा शुरू की गई कुछ परियोजनाओं की स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:

क्रम सं	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप)	• डीवीसी संस्थागत मजबूती के साथ-साथ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से सीडब्ल्यूसी, जल संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में ड्रिप , एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का एक हिस्सा था। 100 करोड़ रुपये(लगभग) का संचयी ड्रिप -I के तहत कोनार, मैथन और पंचेत बांधों के पुनर्वास/ संस्थागत सुदृढ़ीकरण के प्रति विश्व बैंक द्वारा ड्रिप -I की अंतिम तिथि यानी 29.06.2020 तक व्यय किया गया था। • यद्यपि, कुछ बकाया पैकेज (सात अदद) जो 29.06.2020 तक पूरे नहीं किये जा सके , डीवीसी द्वारा अपने दम पर (23.28 करोड़ रुपये)किया जा रहा है, अब तक पांच पैकेज पूरे हो चुके हैं और शेष दो पैकेज पंचेत बांध से संबंधित हैं, प्रगति पर है और वित्त वर्ष 22-23 में पूरा हो जाएगा। • डीवीसी ने डीआरआईपी-चरण- II और III में तिलैया बांध, बोकारो बैराज, चंद्रपुरा बांध की मरम्मत और पुनर्वास कार्यकलापों और मैथन, पंचेत और कोनार बांधों की शेष कार्यकलापों के लिए रु. 145 करोड़ की संभावित लागत है। परियोजना की अवधि अप्रैल 2021 से मार्च-2031 तक 10 वर्षो का है। • उपरोक्त परियोजनाओं के प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्प्लेट (पीएसटी) अनुमोदन के लिए सीडब्ल्यूसी के माध्यम से विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।
2.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना(एनएचपी)	डीवीसी को एनएचपी में शामिल किया गया था जो जल संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में विश्व बैंक द्वारा निधियत 50 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान परियोजना है। अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कार्य प्रगति पर है। परियोजना का कार्यकाल 8 वर्ष अर्थात 2023-24 तक है। इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली , रीयल टाइम डेटा एक्यूजिशन प्रणाली (आरटीडीएएस) व रीयल टाइम डीसीजन सपोर्ट सिसट्म (आरटीडीएसएस) विकसित करने की दृष्टि से जो विज्ञान सूचना प्रणाली को मजबूत करना है। वित्तीय वर्ष 21-22 में, डीवीसी ने एनएचपी के तहत कार्य के कार्यान्वयन की दिशा में राज्य श्रेणी के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच मासिक रैंकिंग में लगातार शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त किया है। एनएचपी के तहत किए गए कुछ कार्य इस प्रकार हैं: i. दुर्गापुर बराज से आमता (दामोदर नदी का बहिर्वाह) तक 12 किमी डाउनस्ट्रीम से बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ मॉडल का विकास: कार्य पूरे होने की तिथि 03.08.2022 है। ii. वायरलेस आधारित पाइप फ्लो मीटरिंग सिस्टम (चरण-I) की आपूर्ति , संस्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग और रखरखाव : स्थल पर उपकरण की संस्थापन और कमीशनिंग प्रगति पर है। iii. वायरलेस आधारित पाइप फ्लो मीटरिंग सिस्टम (चरण-II) की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, कमीशन और रखरखाव : एनआईटी जारी। iv. मैथन बांध में जल गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना : कार्य प्रगति पर है।

क्रम सं	परियोजना का नाम	स्थिति
3.	दामोदर घाटी क्षेत्र में बराकर नदी पर बालपहाड़ी बांध का निर्माण	• डीवीसी द्वारा बालपहाड़ी बांध की डीपीआर तैयार किया गया था और डीवीसी द्वारा सभी पणधारकों को डीपीआर परिचालित किया गया था। • पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित बालपहाड़ी जलागार में दामोदर बराकर बेसिन में जलागारों के बहुजलागार सिमुलेशन अध्ययन हेतु डीवीसी से अनुरोध किया। • यह अध्ययन डीवीसी द्वारा अप्रैल, 2017 में बेसिन योजना और प्रबंधन, संगठन (बीपीएमओ), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली के परामर्श से पूरा किया गया था और अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट जुलाई, 2017 में सभी पणधारकों (सीडब्ल्यूसी, झारखंड सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार) उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत की गयी थी। • 12.06.2020 को आयोजित डीवीआरआरसी की 142वीं बैठक में, झारखंड सरकार से टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद संशोधित बहुजलागार सिमुलेशन अध्ययन करने पर सहमति हुई। दिनांक 15.12.2021 को आयोजित 144वीं बैठक में, झारखंड सरकार ने संशोधित बहु सिमुलेशन अध्ययन के लिए जाने की अनुमति दी। • डीवीसी ने सीडब्ल्यूसी से संशोधित सिमुलेशन अध्ययन करने साथ –साथ डीपीआर को संशोधित करने का अनुरोध किया। संशोधित बहु सिमुलेशन अध्ययन अप्रैल 2022 में पूरा कर लिया गया। • संशोधित डीपीआर 28.04.2022 को सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है • प्रस्तावित बालपहाड़ी बांध के निर्माण पर तभी विचार किया जाएगा जब सभी पणधारकों से संबंधित तकनीकी/वित्तीय /प्रशासनिक पहलूओं को अंतिम रूप दे दिया जाए।

ईंधन प्रबंधन:

डीवीसी का ईंधन प्रबंधन स्कंध निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इष्टतम लागत पर लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करता है:

- संबंधित संयंत्र उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप कोयले की उपलब्धता की योजना बनाना। कम भूमि ऊर्जा लागत पर टीपीएस को अधिकतम मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोल मैट्रिक्स तैयार करना।
- कोयला प्राप्ति को अधिकतम करने और कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीआईएल और इसकी सहायक कोयला कंपनियों, रेलवे, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय आदि के साथ समन्वय।
- गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना, भौतिकीकरण बढ़ाना, कोयला लिंकेज,एफएस/एमओयू,पर हस्ताक्षर करना ,भूमि लागत को कम करने के लिए कोयला लिंकेज को युक्ति संगत बनाना।
- रेलवे भाड़ा के ई-भुगतान और कोयला कंपनियों और रेलवे के साथ विवाद, यदि कोई हो, के निपटान के लिए त्रिपक्षीय समझौते का निष्पादन और उसका समाधान।
- संयंत्र स्तर पर ईंधन लेखांकन। स्वदेशी कोयले के लचीले उपयोग और डीवीसी के एक टीपीएस से दूसरे टीपीएस में कोयले के स्थानांतरण के लिए कोयला कंपनियों के साथ पूरक समझौते पर हस्ताक्षर।
- संशोधित सीईए कोयला स्टॉकिंग मानदंडों के अनुसार संयंत्र सीमा में कोयले का स्टॉक बनाए रखना।

प्रदर्शन विशेषता (2021-22):

- वित्त वर्ष 2021-22 में कोयले की सबसे अधिक वार्षिक मात्रा (26.19 एमटी) तथा कोयले की सबसे अधिक रैक (7073) प्राप्त किया।
- वित्त वर्ष 2020-21 में 100% से अधिक कोयला भौतिकीकरण हासिल किया।
- वित्त वर्ष 20-21 में, 3186 करोड़ मासिक बिलों के नियमित भुगतान के अलावा रुपये की स्पष्ट कोयला बकाया राशि को समाप्त कर दिया।
- कोयला मंत्रालय ने मेजिया ताविके इकाई # 7 व 8 (2X500 मेगावाट) तथा चंद्रपुरा ताविके इकाई # 8 (250 मेगावाट) के ब्रिज लिंकेज के विस्तार हेतु मंजूरी प्रदान की।

वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के कार्य प्रदर्शन में सुधार:

विवरण	2020-21	2021-22
एक दिन में प्राप्त अधिकतम कोयला रेक	27	29
वित्त वर्ष में प्राप्त रेक की कुल संख्या	5905	7073 (वित्त वर्ष 18-19 में अब तक का अधिकतम 6078 रेक पार)
रेक प्राप्ति की मासिक अधिकतम संख्या	708 (मार्च -21)	762 (मार्च -22) (अब तक का सर्वोच्च)
कुल प्राप्त कोयला(एमएमटी)	23.27	26.19 (अब तक का सर्वोच्च)
उत्पादन (एमयू)	38,035	40,775 (अब तक का सर्वोच्च)
कुल कोयला खपत (एमएमटी)	23.86	26.58
एफएसए से संबन्धित सीआईएल भौतिकीकरण %	105	111

कोयला भंडारण सुधार हेतु की गयी नई पहल :

- लगभग एक दशक के बाद, 19.03.2022 से आयात कोयला प्राप्त किया जाने लगा। डीवीसी तीन चरणों में 2.935 एमएमटी कोयले का आयात करेगा।
- आगामी 15 महीनों में 2 एमएमटी कोयले की आपूर्ति हेतु 14.01.2022 को एससीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया तथा 27.01.2022 से डीवीसी ताप विद्युत केन्द्रों (केटीपीएस, सीटीपीएस एवं डीएसटीपीएस) को कोयले की आपूर्ति आरंभ हुई।
- विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी में भाग लिया एवं एमटीपीएस को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु बीसीसीएल से 41 रैक तथा एमसीएल से 204 रैक संरक्षित किया।
- सीसीएल से कोयला रैक की आवाजाही के लिए भाड़ा भुगतान हेतु 21.01.2022 को दक्षिण मध्य रेलवे के साथ एलसी पर हस्ताक्षरित।
- डीएसटीपीएस के लिए एमसीएल से तथा केटीपीएस संयंत्र के लिए सीसीएल से रोड सह रेल मार्ग के माध्यम से कोयला लेना शुरू किया गया। साथ ही बीटीपीएस, सीटीपीएस, आरटीपीएस के लिए सड़क मार्ग से कोयला ग्रहण।

संयंत्रवार कोयला भंडारण 31.03.2022 की स्थिति

डीवीसी ताविके		बीटीपीएस	सीटीपीएस	डीटीपीएस	एमटीपीएस	डीएसटीपीएस	केटीपीएस	आरटीपीएस	कुल
कोयला भंडारण (एमटी)	घरेलू	262373	161419	36275	311921	132807	165981	210669	1281445
	आयातीत	0	0	0	1894	14488	0	0	16382
	कुल	262373	161419	36275	313815	147295	165981	210669	**1297827**
कोयला भंडारण दिनों की संख्या (85% पीएलएफ पर विचार करते हुए)		42	26	12	10	11	13	15	15

अनुबंध और सामग्री प्रबंधन:

डीवीसी के खरीद कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं जिससे लागत में कमी के साथ-साथ मानक गुणवत्ता सामग्री की खरीद भी की गयी है।

- **मेक इन इंडिया हेतु भारत सरकार के आदेश:** वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी सभी प्रासंगिक नीतियों को डीवीसी ने अपनाया।
- **आईईएम की नियुक्ति:** फरवरी 2021 में सीवीसी दिशानिर्देश के अनुसार 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अनुबंधों की समीक्षा के लिए डीवीसी द्वारा दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त किए गए हैं।
- **जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय :** डीवीसी ने नैशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल अर्थात गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के जरिए कई ऑर्डर दिए हैं। वित्त वर्ष 21-22 में डीवीसी द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से कुल रुपये 67.88 करोड़ मूल्य का ऑर्डर दिया गया है। जेम पोर्टल में उपलब्ध सामग्री व सेवाओं को अनिवार्य रूप से जेम से नियमित खरीदा जाता है। जेम के माध्यम से कोविड संबंधित वस्तुओं की भी खरीद की गई है,जेम क्रय आदेश के प्रति सभी भुगतान अब जेम पूल खाते के माध्यम से किया जा रहा है, जेम पोर्टल के साथ एक विशेष प्रयोजन बैंक खाता एकीकृत किया गया जो जेम के माध्यम से वस्तुओं व सेवाओं की खरीद हेतु पूरी तरह से खरीदार द्वारा उपयोग किया जाता है।
- **एमएसएमई के मुद्दों के माध्यम खरीद:** 2021-22 में एमएसई से कुल 261.15 करोड़ रुपये की खरीद की गयी। अगले वित्त वर्ष में एमएसई से क्रय में तेजी लाने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
- **वेंडर्स मीट:** 14 अदद वेंडर्स मीट का आयोजन किया जा चुका है। बैठक के दौरान विक्रेताओं द्वारा किए गए चर्चा / उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए डीवीसी द्वारा आवश्यक उपाय किए गए।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब, रांची, झारखंड के समन्वय में एमएसएमई एससी/एसटी उद्यमों के लिए डीवीसी, मुख्यालय द्वारा विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
- **स्क्रैप निपटान:** डीवीसी की स्क्रैप सामग्री की बिक्री से 31.03.2022 तक प्राप्त राशि 20.35 करोड़ रुपये है। चंद्रपुरा टीपीएस की 06 सेवानिवृत्त इकाइयों यथा सीटीपीएस इकाई #1–3(3x130मेगावाट) और सीटीपीएस इकाई #4 –6 (3x120मेगावाट) की नीलामी प्रगति पर है। मैथन गैस टरबाइन की सेवानिवृत्त 3 (तीन) इकाइयों की संपत्ति के मूल्यांकन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति के लिए ठेका दिया गया है।
- **ई-रिवर्स नीलामी :** ई-रिवर्स नीलामी संचालित किए जाने के लिए सीमा मूल्य (25 लाख से 2 लाख तक) घटा दी गयी है जिससे खरीद प्रक्रिया में अधिक प्रतिस्पर्धा और बड़ी लागत में कटौती हुई है।
- **जांच समिति:** 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी मांग पत्र की जांच और पृष्ठांकन के लिए क्रॉस फंक्शनल स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है जिससे खरीद और सामान सूची को युक्तिसंगत और नियंत्रित किया जा सके।
- **एंटरप्राइज बिजनेस एप्लीकेशन (ईबीए):** माँगपत्र जारी करने, निविदा प्रक्रिया, सामान सूची प्रबंधन तथा भुगतान प्रक्रिया में ईबीए (प्री-ईआरपी प्लेटफॉर्म) विद्यमान है। ईबीए के माध्यम ईपीसी पैकेज के भुगतान के लिए मांगपत्र से भी कार्यान्वित किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान ईबीए के माध्यम से भौतिक स्टॉक सत्यापन प्रक्रिया को लागू किया गया है, संबंधित अधिकारियों को उनके निवास पर ईबीए सुविधा प्रदान की गयी एवं खरीद प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से जारी रखी गयी।
- **ऑनलाइन बिल प्रस्तुत करने हेतु पोर्टल :** विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन बिल प्रस्तुत करने और ट्रैकिंग पोर्टल को दिसंबर, 2021 से संचालित और अनिवार्य कर दिया गया है। लगभग 1250 विक्रेता पहले ही प्रणाली में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा विक्रेताओं की ऑन-बोर्डिंग नियमित आधार पर की जा रही है।
- डीवीसी के विद्यमान **'कार्य एवं संप्राप्ति पुस्तिका'** का संशोधन प्रगति पर है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा :

- डीवीसी में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएँ है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई), एमएनआरई, भारत सरकार के अंतर्गत एक सीपीएसई के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के दौरान रेस्को (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मोड में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों [केटीपीएस (1137 किलोवाट), आरटीपीएस (1116.89 किलोवाट), डीएसटीपीएस (428.46 किलोवाट), एमटीपीएस (1036.16 किलोवाट) और मैथन (102.18किवो) में 3.82 मेगावाट पी की संचयी क्षमता के रूफटॉप सौर पीवी संयंत्रों को चालू किया गया है।]

डीएसटीपीएस, अंडाल में रूफटॉप सौर पीवी संयंत्र

केटीपीएस, कोडरमा में रूफटॉप सौर पीवी संयंत्र

- कच्चे जलागारों में फ्लोटिंग सोलर पीवी योजनाएं तथा डीवीसी थर्मल की खाली जमीन पर ग्राउंड सोलर प्लांट के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार करने हेतु एसईसीआई को शामिल किया गया।
- केटीपीएस कोडरमा [6 मेवा], एमटीपीएस मेजिया [14मेवा] और आरटीपीएस रघुनाथपुर [10मेवा] के कच्चे जल जलाशयों में 30 मेगावाट संचयी क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पीवी संयंत्रों की निविदा तथा कार्य निष्पादन हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में एसईसीआई को नियुक्त किया गया।

- अक्षय ऊर्जा पावर पार्कों तथा यूएमआरईपीपी के अंतर्गत फ्लोटिंग एवं ग्राउंड सोलर पीवी परियोजनाओं तथा एमएनआरई की सीपीएसयू योजनाओं सहित मैथन, पंचेत, तिलैया और कोनार में डीवीसी बांधों के जलाशयों में और आसपास की परियोजनाओं की स्थापना के लिए 29.03.2022 को एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते (जेवीए) पर हस्ताक्षर किया गया। एमएनआरई ने यूएमआरईपीपी योजना के अंतर्गत डीवीसी बांधों पर 989 मेगावाट एफएसपीवी की मंजूरी दी

- इसके अतिरिक्त डीवीसी / एसजेवीएन के कमांड क्षेत्र में और अखिल भारतीय आधार पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने हेतु एसजेवीएनएल के साथ 23.12.2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।.

- डीवीसी कमांड क्षेत्र में 2-3 स्थानों पर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु पायलट परियोजना शुरू करने के लिए मेसर्स ईईएसएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। मैथन, डीवीसी में एक इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को चालू करने का कार्य प्रगति पर है।
- डीवीसी ने चरणबद्ध तरीके से विभिन्न डीवीसी क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में खाली भूमि/भूखंडों का उपयोग करते हुए अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए भी पहल की है।

मैथन में रूफटॉप सौर पीवी संयंत्र

व्यवसाय विकास

वित्त वर्ष 2021-22 में डीवीसी में व्यवसाय विकास विभाग बनाया गया है। विभाग वर्तमान में व्यापार के नए अवसर निम्नानुसार तलाश रहा है:

क. घाटी क्षेत्र में पर्यटन विकास:

डीवीसी जल विद्युत केन्द्रों (मैथन, पंचेत, कोनार और तिलैया) के चार जलाशय प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं तथा वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके आसपास के क्षेत्र को पर्यटन विकास के लिए प्राथमिक स्थलों के रूप में चुना गया है।

विकसित किए जाने वाले प्रमुख आंतसंरचनाएं हैं: थीम पार्क, गेस्ट हाउस / रिसॉर्ट्स (3 - स्टार रेटिंग के बराबर), पिकनिक स्पॉट / व्यूपॉइंट।

आकर्षण के बिंदु- लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो आदि, स्पोर्टिंग साइट, इको-टूरिज्म, स्कूलों, कॉलेजों के लिए पैकेज टूर आदि।

डीवीसी डीबीएफओएम (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और रखरखाव) मोड पर भागीदार की पहचान करके इन संभावित पर्यटक सुविधाओं में आतिथ्य व्यवसाय विकसित करने की संभावनाएं तलाश रहा है।

ख. मैथन/दीघा में अतिथि गृहों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधाएं:

मजूमदार निवास, मैथन और डीवीसी गेस्ट हाउस, दीघा में गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग सुविधाओं के लिए पहल की गई है। यह पारदर्शी बुकिंग प्रक्रिया के माध्यम से गेस्ट हाउसों की संख्या अधिभोग को अधिकतम करेगा और इसे लाभदायक बना देगा।

ग. बीटीपीएस, सीटीपीएस के आसपास एकीकृत सीमेंट संयंत्र / सीमेंट क्लिंकर ग्राइंडिंग इकाई / सीमेंट ब्लेंडिंग प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना

एमओईएफ /ग्रीन ट्रिब्यूनल दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग का अनुपालन करने के लिए और एफजीडी के चालू होने के बाद एफजीडी इकाइयों से भारी जिप्सम, उप-उत्पादक उपयोग करने के लिए, डीवीसी बीटीपीएस और सीटीपीएस ताप संयंत्रों से उड़न राख़ का उपयोग करके एकीकृत सीमेंट संयंत्र / सीमेंट क्लिंकर ग्राइंडिंग इकाई / सीमेंट ब्लेंडिंग इकाई /तकनीकी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्षमता की प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

कुछ सीमेंट विनिर्माताओं ने डीवीसी ताप संयंत्रों के आस पास के स्थानों पर एकीकृत सीमेंट संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखायी है और उड़न राख़ / विद्युत आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु डीवीसी से संपर्क किया है।

भू-संरक्षण, मत्स्य पालन तथा पर्यावरण विभाग

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, डीवीसी ने अपने "दामोदर बराकर" स्रवण क्षेत्र में भू तथा जल संरक्षण" के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों को जारी रखा है तथा अपने समय परीक्षण दृष्टिकोण और सात दशकों से अधिक के अनुभव तथा उपलब्ध संसाधनों के साथ वर्षा जल संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखा है। जल संरक्षण कार्यक्रम के फोकस का केन्द्र संरचनाओं की पुर्नरुद्धार, नवीकरण, मरम्मती रहा है। इसके अतिरिक्त, नयी वर्षा जल संचयन जल संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। जलग्रहण क्षेत्र में नए जल संसाधनों के विकास की दिशा में डीवीसी का निरंतर प्रयास जारी रहा क्योंकि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का यही एकमात्र दीर्घकालिक समाधान है। मैथन स्थित अपनी जलीय संसाधन स्कंध के माध्यम से डीवीसी के प्रमुख जलागार तथा एक सीएसआर कार्यकलाप के रूप में विभिन्न विद्युत परियोजना में इस विभाग द्वारा मत्स्य पालन तथा इसके संबद्ध कार्यकलापों को भी अपनाया गया है। जो कि स्थानीय विस्थापित लोगों के जीविकोपार्जन में बड़ा योगदान देता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, किये गए कार्यकलापों को नीचे उल्लेखित किया गया है :

1. संरचनाओं जिन्होंनें अपने उपयोगी जीवन को समाप्त कर चुका है या जिनकी भंडारण क्षमता को कम कर दिया है, की पुनर्जीवित करने के लिए झारखंड के छह जिलों और पश्चिम बंगाल के एक जिले में मिट्टी और जल संरक्षण के संबंध में पुराने जल निकायों का जीर्णोद्धार, नवीकरण और मरम्मत।

2. सूक्ष्म सिंचाई जैसे विभिन्न गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नयी जल संसाधनों का सृजन करने के लिए स्रवण क्षेत्र में सतही जल रिचार्ज का संवर्धन तथा मृदा अपक्षरण की रोकथाम सहित खेती, बहु - फसल,घरेलू उपयोग के अधीन अधिक से अधिक क्षेत्रों को लाना। कभी-कभी ऊपरी स्रवण क्षेत्र से भू-अपक्षरण को रोकने के लिए इन संरचनाओं को छोटे बाँधों का निर्माण द्वारा पूरक किया जाता है।

3. कोनार एवं तिलैया स्रवण क्षेत्र में विकृत वन क्षेत्र का पुनर्सजन।

4. सीएसआर कार्यकलापों के रूप में अण्डज उत्पादन, आंगुलिकों को छोड़ने और हैचरी के रखरखाव के माध्यम डीवीसी की विभिन्न परियोजनाओं के साथ- साथ आसपास के गावों में मौजूदा जलीय संसाधनों को समृद्ध करना।

5. मृदा परीक्षण और उर्वरक की सिफारिश तथा जलग्रहण क्षेत्र के किसानों को सलाहकार सेवाओं के रूप में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना जो स्थानीय किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में मदद करता है।

6. मिट्टी के नुकसान की मात्रा के साथ-साथ स्रवण क्षेत्र से अफवाह में कमी की दर का पता लगाने के लिए जल विज्ञान और तलछट निगरानी प्रणाली छोटी धाराओं से डेटा संग्रह जारी रखती है।

7. निगम की जैव विविधता गतिविधियों के तहत मैथन और सीटीपीएस में हिरण पार्क के रखरखाव सहित तिलैया और कोनार क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

उपर्युक्त कार्यकलापों हेतु प्रचालन क्षेत्र :

झारखण्ड	हजारीबाग, चतरा,गिरिडीह धनवाद, बोकारो,जामताड़ा,कोडरमा,देवघर जिला।
पश्चिम बंगाल	पुरुलिया जिला

2021-22 के दौरान भू-संरक्षण योजना की वार्षिक उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	प्राचल	इकाई	2021-22 के दौरान उपलब्धियाँ
1	तालाबों का नवीकरण	अदद .	123
	क) तालाब नवीकरण के माध्यम लाभान्वित लोगों की संख्या (लगभग)	अदद	3100
	ख) तालाब नवीकरण के माध्यम खेती की गयी भूमि (लगभग)	एकड़	1150
2	नयी वर्षा जल एकत्रीकरण संरचनाओं का निर्माण	जल निकायों की संख्या	37
	क) तालाब नवीकरण के माध्यम लाभांवित लोगों की संख्या (लगभग)	अदद	400
	ख) तालाब नवीकरण के माध्यम खेती की गयी भूमि (लगभग)	एकड़	350
3	मृदा प्रयोगशाला द्वारा परामर्शी सेवाएँ मृदा परीक्षण तथा उर्वरक अनुशंसा की संख्या	अदद	1602
4	डीवीसी स्रवण क्षेत्र में वनीकीकरण का रखरखाव	क्षेत्र एकड़ में	456
5	चयनीत जल विभाजकों की जलीय स्थिति तथा गादीकारण	केन्द्रों की संख्या	05

मत्स्य पालन

पूर्ण भंडारण स्तर पर 34447 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले संयुक्त जल तथा लगभग 20116 हेक्टेयर की कुल उत्पादित जल क्षेत्र के साथ, दामोदर घाटी निगम के पास मैथन , पंचेत, तिलैया एवं कोनार में 04 (चार) प्रमुख जलागार विद्यमान है। वर्ष 2007-08 से प्राथमिक मछुआरा सहकारी सोसाइटी (पीएफ़सीएस) स्वयं सहाय्य समूहों (एसएचजी) के अधीन स्थानीय जनता को शामिल करते हुए उमंग और उत्साह के साथ जलागर मत्स्य पालन के विकास पर कार्य जारी है। इन जलागारों में फिलहाल 1335 सदस्यों की कुल संख्या सहित 35 पंजीकृत मछुआरा सहकारी सोसाइटी कार्यरत है।

मैथन एवं एमटीपीएस फिस फार्म में अण्डज उत्पतिशाला का प्रबंधन :

वर्ष 2021-22 में लगभग 700 लाख जलाण्डक का उत्पादन की गयी तथा उसे हजारीबाग में अन्य छोटे निकायों के साथ-साथ मैथन के तालाबों में भंडारण किया गया।

विभिन्न जलागारों में मछली भंडारण की मांग को पूरा करने के लिए, एक बार में 20 मिलियन जलाण्डक उत्पादन प्रति प्रचालन के साथ मैथन मत्स्य फार्म में एक इंडियन मेजोर कर्पस (आईएमसी) अण्डजशाला स्थापित किया गया है। मत्स्य फार्मों की मांग को पूरा करने के पश्चात अतिरिक्त जलाण्डकों को मछुआरा सहकारी सोसाईटी, स्वयं सहाय्य समूहों के सदस्यों तथा प्रगतिशील मछुआरों के बीच उनके अपने/पट्टाधारित जल निकायों में विकसित किए जाने के लिए वितरण किया जाता है।

डीवीसी जलागारों में आंगुलिकों का भंडारण :

विगत वर्षों की तरह, राज्य मत्स्य विभाग की मदद से डीवीसी की सभी जलागारों (मैथन,पंचेत,तिलैया,व कोनार) में आंगुलिकों का भण्डारण किया गया है। छोटे रोक बांधों पर भी भंडारण की गयी है तथा इस वर्ष शेष आंगुलिकों को अपने स्वयं के जल निकायों में वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन करने के लिए वितरित किया गया है। 2021-22 में उत्पादित कुल आंगुलिक 40 लाख है तथा उसे डीवीसी जलागारों व अन्य जल निकायों में छोड़ा गया।

सीएसआर कार्यकलापों की अधीन अंडज वितरण कार्यक्रम के माध्यम, 2021-22 में कुल 1201 अदद लाभार्थी/मछुआरा को-ऑपरेटिव सदस्य लाभान्वित हुए थे। जिसमें डीवीसी परियोजना क्षेत्र के चारों ओर के लगभग 85 गाँव शामिल हुए थे।

2012-22 के दौरान मत्स्य योजना की वार्षिक उपलब्धि

क्रम संख्या	प्राचल	इकाईयाँ	2021-22 के दौरान उपलब्धियाँ
	मत्स्य पालन (जलीय संसाधन,डीवीसी,मैथन द्वारा अपनाए गये मत्स्य पालन कार्यकलाप)		
1	मैथन एवं एमटीपीएस में जलांडक का उत्पादन	संख्या लाखों में	700
2	आगुलिकों का उत्पादन	संख्या लाखों में	40
3	जल निकायों में मत्स्य पालन	संख्या	20
4	लाभार्थियों को अण्डज/आगुलिकों का वितरण	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	1201

मत्स्य पालन कार्यकलाप

झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल में नये जल विभाजक तथा नवीकृत जलीय निकाय

डीवीसी की नैगम सामाजिक दायित्व

डीवीसी अधिनियम 1948 की धारा 12 (एफ) के अनुसार, निगम कार्य के अंतर्गत "दामोदर घाटी इसके अपने प्रचालन के क्षेत्र में जन स्वास्थ्य, कृषिगत, औद्योगिक, आर्थिक तथा सामान्य जन कल्याण के प्रोन्नयन उल्लेख किया गया है " । तदनुसार, डीवीसी अपने प्रारम्भ काल से ही सभी पणधारकों को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक लाभ देते हुए सतत विकास में योगदान कर रहा है।

अपनी प्रमुख परियोजनाओं के चारों ओर निवास करने वाले जनता की परेशानियों को कम करने तथा औद्योगिक कामगारों तथा ग्रामवासियों के बीच की कमी मिटाने के लिए , डीवीसी ने वर्ष 1981-82 के दौरान सीएसआर कार्यक्रम प्रारम्भ किया। नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रमुख परियोजनाओं के 10 किमी की परिधि के भीतर निवास कर रहे समुदायों का सामाजिक-आर्थिक उन्नयन करना है। डीवीसी की सीएसआर स्कंध फिलहाल 7 जिलों यथा; पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा,पुरुलिया तथा बर्दमान एवं झारखंड में धनबाद,बोकारो ,कोडरमा, हजारीबाग को आवृत करते हुए 629 गाँवों (पश्चिम बंगाल: 297 गाँव + झारखंड: 332 गाँव) में सक्रिय है।

सीएसआर नीति का उद्देश्य:

- नैगम सामाजिक दायित्व का उद्देश्य समुदायों की जीवन गुणवत्ता को संवर्धन करते हुए उनका सर्वांगिंक विकास करना।
- डीवीसी के प्रमुख परियोजनाओं के आस-पास रहने वाले समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का उत्थान करना।
- सीएसआर परिभाषित क्षेत्रों के गावों में विकास हेतु भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित ही नहीं बल्कि पूरक भी बनाना है।
- योजना से लेकर कार्यान्वयन तक कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में सामाजिक लामबंदी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं के स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उनको प्रेरित करना।
- डीवीसी अपनी सीएसआर के अधीन एकीकृत विकासात्मक दृष्टिकोण के माध्यम लक्षित गाँव में रह रहे परियोजना प्रभावित लोगों (पीपीपी) तथा समुदाय के जीवन शैली में सुधार करने का प्रयास करेगा तथा पारदर्शिता और निरंतर विकासात्मक कार्यकलापों के माध्यम स्थानीय प्राधिकारियों तथा समुदायों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगा।
- डीवीसी का लक्ष्य सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम परियोजनाओं से संबद्ध सामाजिक जोखिम को कम करना होगा।

उपर्युक्त उद्देश्य को मुख्यत: दो प्रकार के क्रियाकलापों में विभक्त किया गया है ;

सामाजिक – आर्थिक विकास तथा समुदाय की सशक्तिकरण शामिल किया गया है :

- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बच्चों के लिए औपचारिक एवं गैर-औपचारिक विद्यालयों तथा केन्द्रों को चलाकर, जहाँ जरूरत हो, सरकार चलित विद्यालयों की आंत संरचना में संवर्धन,स्कूलों में व्यतिगत स्वच्छता पर विभिन्न तरह के स्वास्थ्य शिविर का संचालन तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान,खेलकूद और चित्रकारी प्रतियोगिताओं आयोजन जैसे सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलापों का आयोजन कर प्राथमिक शिक्षा का प्रोन्नयन और सुदृढ़ीकरण।
- चल चिकित्सा इकाइयों तथा होमियो डिस्पेंसरियों द्वारा घर-घर तक ग्रामीणों को उपचार के माध्यम समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं का प्रोन्नयन तथा

नेत्र जाँच,मोतीयांबिंद अपरेशन सहित जल-जनित रोगों, एड्स, जीवन शैली रोगों पर परिवार कल्याण स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन।

- क्षमता संवर्धन प्रोन्नयन, ग्रामीण युवकों का रोजगार तथा आय में वृद्धि , आईटीआई एवं डीवीसी की अपनी प्रशिक्षण केंद्र जैसे तकनीकी संस्थानों में कौशल विकास पर प्रशिक्षण और मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बत्तक पालन, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों आदि जैसे कृषि तथा गैर-कृषि कार्यकलापों पर आजीविका प्रशिक्षण प्रदान किए गये।
- पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के प्रन्नयन हेतु, वर्षा जल संरक्षण तथा आधुनिक कीट प्रबंधक के माध्यम समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर आधारित कार्यकलापों, ग्रामीणों में जैविक खाद, प्रणालीगत चावल गहनता तकनीक तथा सब्जी एवं नकदी फसल की खेती को सिखाया और प्रोत्साहित किया जाता है।
- भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंग स्वरूप, लोगों की भागीदारी सहित व्यक्तिश: घरेलू शौचालयों के सृजन के माध्यम गाँव की स्वास्थ्यता एवं स्वच्छता को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। खुले में शौच को हतोत्साहित करने के लिए नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो,जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते है।
- ग्रामीण खेल-कूद तथा आदिवासी उत्सवों की आयोजन द्वारा खेल-कूद तथा स्वदेशी संस्कृति का प्रोन्नयन।
- डीवीसी जलागारों और व्यक्तिश: जल निकायों में मत्स्य पालन क्रियाकलापों का प्रोन्नयन तथा डीवीसी के अपने मत्स्य फार्म में वैज्ञानिक अंडजशाला द्वारा अंडजों और आंगुलिकाओं के उत्पादन के माध्यम जलीय संसाधनों पर आधारित आजीविका सृजन का प्रोन्नयन।
- समाज के दलित वर्ग के उत्थापन और सशक्तिकरण हेतु, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को उनके अपने स्व - सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन और बचत और साख क्रियाकलापों की आदत अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों को अपनी पहचान व्यतिगत

दुर्गापुर ताविके में स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर

बोकारो ताविके में लड़कियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

11 साल की शारीरिक रूप से विकलांग लड़की बोरषा बाउरी के लिए कृत्रिम अंग

मेजिया ताविके में रोगियों हेतु नेत्र जाँच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर

रूप से प्रतिचिन्हित करने के लिए, आपसी सहाय्य की विशाल शक्ति का व्यवहार और उपयोग कर सक्षम बनाता है।

आंतसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम :

डीवीसी ने सीएसआर अधिकार क्षेत्र के अन्दर पड़ने वाले गावों में आंत संरचनात्मक विकास कार्य को प्राथमिकता दी है। लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यों को अपनाने की पहल कर रही है :

- पेय जल स्रोतों का निर्माण तथा नवीकरण-नलकूप तथा कुओं की संस्थापना,ऊपरी टैंक तथा वाटर टैप प्वांइटों के माध्यम पेयजल की आपूर्ति।
- व्यक्तिश: गृह शौचालयों तथा स्कूलों में शौचालयों का निर्माण।

- समुदाय भवनों – स्कूल भवनों चाहरदिवारी, बालक और बालिकाओं हेतु अलग-अलग स्कूल शौचालय,स्वास्थ्य केंद्र, आईसीडीएस केंद्र आदि का निर्माण तथा नवीकरण ,
- श्मशान घाट, सार्वजनिक शौचालय तथा पेशाब खाना का निर्माण तथा नवीकरण।
- पुलिया तथा सड़क के किनारे नाला आदि सहित गाँव सड़कों का निर्माण।
- वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं , रोक बांध तथा लघु सिंचाई प्रणाली के निर्माण के माध्यम सिंचाई सुविधाएं प्रावधानित करना।

मेजिया ताविके द्वारा बाँकुड़ा में सिंथेटिक टेनिस कोर्ट शेड

कोडरमा ताविके द्वारा गांव के स्कूल के लिए मध्याह्न भोजन

दुर्गापुर स्टील ताविके द्वारा ग्रामीणों के लिए सौर ऊर्जा संचालित जल आपूर्ति प्रणाली

तिलैया बांध के पास गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़क

कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए निवारात्मक कदम :

कोविड -19 महामारी से लड़ने के लिए, डीवीसी ने परियोजना क्षेत्र के संलग्न गरीब जनता को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, हाथ के दस्ताने, भोजन के पैकेट और राशन वितरण जैसे कई कदम उठाये गए थे। परियोजनाओं के आस-पास के क्षेत्रों में सार्वजनिक भवनों जैसे बैंक,डाकघर,बाजार आदि स्थानों को रसायन स्प्रे करके सैनिटाइज़ किया गया, जबकि पानी के कुएं, नालियों के पास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं सड़क को किट नाशक किया गया है।

कोडरमा जिला प्रशासक को एंबुलेंस प्रावधानित किया गया

मेजिया ताविके द्वारा जिला प्रशासक को ऑक्सीज़न सान्द्रकों प्रावधानित किया गया है

वर्ष 2021-22 हेतु सीएसआर विभाग की उपलब्धियाँ

क्र. सं	कार्य का नाम	उपलब्धियां	इकाई
1.	ट्यूब वेल की स्थापना	42	अदद .
2.	डीवीसी स्रोत / रिग बोर ट्यूब वेल से ऊपरी टैंक/वाटर पाइप लाइन सहित पानी की सुविधा के लिए सबमरसिबल इलेक्ट्रिक मोटर पम्प सौर ऊर्जा सबमरसिबल की स्थापना	11	गावों की संख्या
3.	गावों में आरओ वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र	02	अदद
4.	स्कूल शौचालयों का निर्माण	2	अदद
5.	समुदाय भवन का निर्माण	3	अदद
6.	चहारदीवारी का निर्माण	5	अदद
7.	गाँव सड़क का निर्माण (लंबाई मीटर में)	11017.80	मीटर्स
8.	हाई मास्क लाइट की स्थापना	3	अदद
9.	शेड/घाट/प्रतीक्षालय भवन/फर्श का निर्माण /नवीकरण (संख्या में)	12	अदद
10.	तालाब/ जल निकाय /कुआँ का नवीकरण (संख्या में)	2	अदद
11.	व्यक्तिश: घरों में शौचालय का निर्माण		अदद
12.	स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन	41	अदद
13.	चिकित्सा चल वाहन के माध्यम रोगियों का उपचार	11228	अदद
14.	दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना	18	अदद
15.	आय अर्जन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण से लाभान्वित व्यक्ति	2527	अदद
16.	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करना / प्रायोजित करना	20	अदद
17.	गरीब वर्गों हेतु कंबलों का वितरण	409	अदद
18.	वृक्षारोपण हेतु किसानों के बीच पौधो का वितरण	18474	अदद
19.	छात्रों का संसर्ग	10	स्कूलों की संख्या
20	इंटर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता	4	अदद

निगम ने वित वर्ष 2021-22 के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम हेतु 381.48 लाख रुपये तथा आंतसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम हेतु 408.60 लाख रुपये तथा विशेष योजनाओं एवं मुख्यालय अनुमोदित योजनाओं के प्रति 208.20 लाख रुपये प्रतिचिन्हित की गयी थी। आबंटित निधि में से, 2021-22 के दौरान क्रम से सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम के प्रति 354.42 लाख रुपये तथा आंतसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम के प्रति 293.23 लाख रुपये तथा विशेष योजनाओं एवं मुख्यालय अनुमोदित योजनाओं के प्रति 184.80 लाख रुपये रखी गयी थी।

शिक्षा

शिक्षा निजी व्यक्तित्व के साथ-साथ समाज को भी शक्ति प्रदान करती है और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को दृढ़ विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रोन्नयन के लिए एक औद्योगिक इकाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दर्शन शास्त्र का अनुपालन करते हुए, डीवीसी अपनी परियोजनाओं/क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में अवस्थित सभी स्कूलों को सहायता प्रदान करने हेतु लगातार प्रतिबद्ध है। परियोजना प्राधिकरण तथा स्कूल प्रबंधन दोनों मिलकर लगातार निगरानी करते है और स्कूलों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए इष्टतम प्रयास करते है जिससे की सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर शिक्षा के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। डीवीसी परिसरों में अवस्थित स्कूलों में अध्ययनरत सभी बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है।

डीवीसी संचालित सभी स्कूलों ने 12 मार्च, 2021 को भारत की आजादी के 75 वर्ष – "आजादी का अमृत महोत्सव" का जश्न मनाया गया जिसे स्कूल शिक्षा एवं साक्षारता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस दिवस को मनाने के लिए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम संबंधी विभिन्न विषयों पर भाषण, वाद-विवाद तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अनेक छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा भारत की स्वतन्त्रता सेनानी की भूमिका को समझने की अपनी क्षमता को दर्शाया तथा सफलतापूर्वक भाषण दिया।

वर्तमान में, डीवीसी अपनी प्रमुख परियोजना / क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में 15 अदद स्कूलों के मालिक है और उनको चला रहे है जिसमें प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल , उच्चतर माध्यमिक स्कूल शामिल है। इन सभी स्कूलों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य डीवीसी की परियोजनाओं / क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों की परिधि के आस-पास के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आसान पहुँच तथा उपलब्ध्ता को सुनिश्चित करना है।

इसके अलावे , डीवीसी मैथन, चन्द्रपुरा टीपीएस तथा बोकारो टीपीएस में तीन (3) केंद्रीय विद्यालयों तथा मेजिया टीपीएस में एक (1) डीएवी स्कूल को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 10 अन्य सरकारी एवं निजी स्कूल ऐसे भी है जिनके लिए डीवीसी सब्सिडी वाले पानी,भूमि/भवन,डीवीसी की टाउनशिप / कॉलोनियों तथा क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के रूप में आंतसंरचना सहायता प्रावधानित करता है।

फिलहाल, डीवीसी 29 स्कूलों को या तो प्रत्यक्ष स्वामित्व या विभिन्न परियोजनाओं /क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में प्रायोजन द्वारा चलाता है जो आसपास के गावों से सामुदायिक निवासियों के बच्चों स्थानियों लोगों और डीवीसी कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताओं को निश्चित सीमा तक पूरा करता है। स्कूली छात्रों की कुल संख्या में से 94% डीवीसी विद्युत केन्द्र के आसपास के गांवों से सामुदायिक निवासियों के बच्चे हैं। आस-पास के गावों के निवासियों के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए डीवीसी की सामाजिक –आर्थिक विकास के उद्देश्य को सही मायने प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

मानव संसाधन प्रबंधन

जनशक्ति की स्थिति

31.03.2022 को जन शक्ति स्थिति एवं जन मेगावाट अनुपात											
क्र.सं	मेवा/ सीकेएम में क्षमता	केंद्र	धारित								जन: मेवा / जन: सीकेएम
			ग्रुप ए			ग्रुप बी			ग्रुप सी/ डी (3)	कुल (1+2+3)	
			कुल (1)	तक.	गैर-तक.	कुल (2)	तक.	गैर-तक.			
1	500	बीटीपीएस	167	142	25	442	292	150	76	685	1.370
2	210	डीटीपीएस	75	64	11	220	120	100	44	339	1.614
3	2340	एमटीपीएस	385	361	24	643	512	131	173	1201	0.513
4	500	सीटीपीएस	186	161	25	499	328	171	147	832	1.664
5	1000	केटीपीएस	182	167	15	132	113	19	1	315	0.315
6	1000	डीएसटीपीएस	188	173	15	164	135	29	5	357	0.357
7	1200	आरटीपीएस	156	140	16	114	104	10	0	270	0.225
8	63.2	मैथन	110	81	29	252	76	176	21	383	6.06
9	7924.5 सीकेएम*	प्रणाली	229	228	1	454	371	83	26	709	0.089
10	80	पंचेत	25	14	11	67	17	50	16	108	1.350
11		कोनार	7	5	2	36	9	27	5	48	
12	4	तिलैया	3	2	1	25	14	11	0	28	7.000
13		कोलकाता	335	240	95	236	33	203	19	590	
14		हावड़ा (एसएलडीसी)	16	16	0	13	9	4	0	29	
15		हजारीबाग	15	9	6	45	14	31	6	66	
16		बेरमों खदान एवं अन्य विकासाधीन खदान	14	14	0	4	3	1	0	18	
17		नई दिल्ली	8	5	3	6	1	5	0	14	
18		रांची	7	4	3	4	0	4	1	12	
	6897.2 मेवा / 7924.5 सीकेएम	कुल	2108	1826	282	3356	2151	1205	540	6004	0.767 (जन :मेवा) 0.089 (जन :स.कि.मी.)

नोट : 2021-22 के दौरान 426 कर्मचारी सेवानिवृत हुए है (155 ग्रुप ए, 220 ग्रुप बी , एवं 51 ग्रुप सी/डी)

31.03.2022 को डीवीसी की कार्यकलाप वार जनशक्ति मेगावाट अनुपात :

क्र. सं.	कार्य	कर्मचारियों की संख्या	कुल संस्थापित क्षमता (मेवा / सीकेएम)		जन: मेवा/ जन: सीकेएम
1	**उत्पादन** (7 ताविके सहित, मुख्यालय,नई दिल्ली व रांची,हजारीबाग,बेरमो खदान,हावड़ा)	5084	6897.2	मेवा	0.737
2	**प्रणाली** (प्रणाली स्कंध अर्थात पारेषण,टीएससी,सीटीसी,संचार के अधीन पदस्थापित जनशक्ति शामिल है)	709	7924.5	सीकेएमएस	0.089
3	**जल प्रबंधन व अन्य** (डैम डिविजन, हजारीबाग , खदान के अधीन पदस्थापित जनशक्ति शामिल है)	212			
	कुल	**6004**			

महिला सशक्तिकरण

31.03.2022 को डीवीसी कार्यबल में लगभग 6.81% महिला कर्मचारियों से गठित है। लिंग सुग्राहीकरण की सशक्तिकरण तथा विकास योजना हेतु उपायों को अपनाया गया है।

ग्रुप	कुल कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत	
			ग्रुप-वार	कुल वार
ग्रुप ए	2108	112	5.31%	1.87%
ग्रुप बी	3356	219	6.52%	3.65%
ग्रुप 'सी' व 'डी'	540	78	14.44%	1.3%
	6004	409	6.81%	

डीवीसी सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के विकास हेतु स्टैंडिंग कॉनफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज (स्कोप) के तत्वावधान में वोमेन इन पब्लिक सेक्टर (व्हिप्स) का सर्वकालिक सदस्य है। स्कोप, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्हिप्स स्कंध का गठन किया गया था।

बेंचमार्क भिन्न क्षमताओं वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडीएस)

ग्रुप	31.03.2022 को कुल कर्मचारियों की संख्या	भिन्न क्षमता वाले व्यक्ति				भिन्न क्षमता वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता
		वीडी	एचडी	ओडी	कुल	
ग्रुप ए	2108	0	0	20	20	0.95%
ग्रुप बी	3356	03	1	26	30	0.89%
ग्रुप 'सी' व 'डी'	540	0	0	03	03	0.55%
कुल	6004	03	1	49	53	0.88%

कार्य आवंटित करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कर्मचारियों को उनके द्वारा निपटान किये जाने वाली जिम्मेवारियों के निर्वहन में न्यूनतम असुविधाओं का सामना करना पड़े। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कर्मचारियों के लिए सामान्य कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य सामान्य दर से दुगना विशेष यात्रा भत्ता, कार्यस्थल पर आने-जाने की सुगमता के लिए रैम्प तथा इस प्रकार की सुविधाएँ भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार अनुपालित की जाती है।

एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों का कल्याण

ग्रुप	31.03.2022 को कुल कर्मचारियों की संख्या	31.03.2022 को एससी/एसटी व ओबीसी प्रतिनिधित्व				31.03.2022 को एससी/एसटी व ओबीसी की प्रतिशतता वार प्रतिनिधित्व		
		एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी
ग्रुप ए	2108	412	141	543	1096	19.54	6.69	25.76
ग्रुप बी	3356	707	210	762	1679	21.07	6.26	22.71
ग्रुप 'सी' व 'डी'	540	192	82	96	370	35.56	15.19	17.78
कुल	6004	1311	433	1401	3145	21.84	7.21	23.33

i) एम्प्लॉयज डिप्रेस्ड क्लास लीग (ईडीसीएल) जो एससी/एसटी कर्मचारियों का एक अंग है को विशेष मान्यता प्रदान की गयी।

ii) ईडीसीएस द्वारा उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक दर्शन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में निगम द्वारा सभी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाता है।

iii) कर्मचारियों के कल्याण हेतु गठित निगम के सभी समितियों यथा हाउसिंग कमिटि, संयुक्त परियोजना स्तर समिति आदि में ईडीसीएल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व रहता है।

iv) एससी/एसटी कर्मचारियों के मामले तथा शिकायतों के निवारण के लिए डीवीसी प्रबंधन के साथ ईडीसीएल की नियमित बैठक की जाती है।

v) डीवीसी विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों जैसे भीमराव रामजी अम्बेडकर जयंती आदि के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण अनुदान देता है।

vi) मुख्यालय तथा क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में एससी/एसटी तथा ओबीसी के लिए पृथक स्कंध गठित किये गये हैं। एससी/एसटी तथा ओबीसी के लिए सम्पर्क अधिकारियों/नोडल अधिकारियों की नियुक्त हेतु आदेश भी निर्गत किये गये हैं।

vii) भारत के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ईडीसीएल के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

viii) एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी चयन बोर्डों में एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों के सदस्यों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाता है।

औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन नीति

दामोदर घाटी निगम यह विश्वास करता है कि किसी भी संगठन द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त किए जाने के लिए सहायक कार्य संस्कृति को बनाए रखने तथा उसे विकसित किया जाना अति आवश्यक है। डीवीसी अपने पर्णधारकों तथा उपभोक्ताओं को अपनी वचनबद्धता के अनुरूप समर्पित तथा कुशल कार्यदल को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों के हित में बहुत सारी एचआर नीतियों तथा कल्याणकारी उपाय क्रियान्वित किए गए है जिसके आधार पर उन्हें यह अहसास दिलाया जा सके कि वे निगम के प्राथमिक धरोहर में से है।

1. कर्मचारी लाभ तथा कल्याणकारी योजनाएँ

i. **परिवार सहायता योजनाएँ (एफएएस) :** एफएएस डीवीसी की एक संकीर्तक कल्याण योजना है। कोविड-19 के कारण मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवार सदस्यों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गयी है :

- मृत कर्मचारी के आश्रितों (पति/पत्नी के अतिरिक्त , उन्हें जो अंशदायी सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत शामिल हैं) को उनके द्वारा घोषित सेवानिवृत्ति की तिथि तक विद्यमान कर्मचारियों के आश्रितों के समतुल्य चिकित्सा लाभ दिये गये।

- मृत कर्मचारियों के बच्चों को उनके द्वारा घोषित सेवानिवृत्ति की तिथि तक विद्यमान कर्मचारियों के समतुल्य शिशु शिक्षा भत्ता (छात्रावास सहाय्य सहित) प्रदान करना।.
- मृत कर्मचारियों के प्रति सभी बकाया देय तथा अग्रिम (सीपीएफ, जीपीएफ और एनपीएस को छोड़कर) को माफ कर दिया जाना।
- समाज कल्याण योजना के अधीन 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये की वर्धित अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाना।
- सीएसआर कार्यकलापों के माध्यम मृत कर्मचारियों के पति-पत्नी /बच्चों को अप्रेंटिस प्रशिक्षण / आईटीआई/कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। जिसके लिए शुल्क का वहन डीवीसी द्वारा किया गया। डीवीसी समय-समय पर जारी सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार आय अर्जन कार्यकलापों को प्रारम्भ करने के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता भी सुनिश्चित करता है।
- मृत कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान उनकी योग्यता के अनुसार सबसे बड़े बच्चे द्वारा 18 वर्ष तक की उम्र प्राप्त करने तक आवंटित क्वार्टरों / डोरमेट्री (केवल एक स्थान पर) आवास धारित करने की अनुमति।

ii. **अंशदायी सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता योजना :** पेंशनभोगियों को उनके पति-पत्नी समेत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए यह नीति 2014 में लागू की गयी। कैशलेस इनडोर चिकित्सा उपचार के लिए गैर-कार्यकारियों हेतु 7.5 लाख रुपये तथा कार्यपालकों हेतु 10 लाख रुपये का वार्षिक चिकित्सा व्यय भी आवृत की गई थी। इस नीति के अंतर्गत लगभग 15,000 पेंशनभोगी अपने आश्रितों के साथ आवृत है। कुल भुगतेय प्रीमियम में से निगम द्वारा 75% जबकि पेंशनधारकों द्वारा 25% वहन किया जाता है। फिलहाल यह योजना डीवीसी कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध योजना के अनुरूप स्वय: डीवीसी द्वारा परिचालित की जाती है।

iii. **चिकित्सा उपचार अग्रिम और कोविड19 के उपचार के लिए लागत की प्रतिपूर्ति :** कोविड-19 महामारी ने जनमानस के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। निगम ने परियोजना अवस्थानों के नजदीक निवास करने वाली जनता को चिकित्सा सहाय्य और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए अपने नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुपालन किया है। अपने कर्मचारियों को भी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए, डीवीसी ने कोविड-19/संदिग्ध संक्रमित कर्मचारियों /संदिग्ध मामलों आदि के लिए अस्पतालों, डॉक्टरों तथा क्वारेंटाइन केंद्रों की तत्कालीन व्यवस्था के लिए अनेकों प्रयास किया है। डीवीसी ने कोविड-19 से संक्रमित डीवीसी कर्मचारियों के उपचार में निजी / गैर -टाई अप अस्पतालों की लागत की प्रतिपूर्ति हेतु सुविधाएं प्रदान कीं। डीवीसी ने उन कर्मचारियों के लिए भी जो कोविड-19 संदेहास्पद रूप में संक्रमित है उनकी तत्काल सहायता के लिए विभिन्न अवस्थानों में टेलीमेडिसिन,कोविड केयर तथा क्वारेंटाइन केंद्रों हेतु सुविधाएं प्रदान की है।

iv. **फील्ड प्रतिपूरक भत्ता (एफसीए) :** जमशेदपुर, दुर्गापुर तथा रांची में पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से उठाए गए एफसीए के लाभों को मुहैया कराने के लिए निगम ने कर्मचारियों की मांग पर विचार किया तथा पुनरीक्षित मूल वेतन पर 8% की दर से एफसीए स्वीकार्य कराने का अनुमोदन प्रदान किया।

v. **अवकाश यात्रा सहाय्य (एलटीए) :** कर्मचारियों के कल्याणकारी उपायों में एलटीए एक महत्वपूर्ण घटक है। चूंकि विगत दो वर्षों से कोविड-19 के कारण यात्रा प्रतिबंधित था , निगम ने अपने विद्यमान कर्मचारियों हेतु ब्लॉक वर्ष 2018-19 एलटीए के संबंध में और एक वर्ष अग्रेषित करने के साथ –साथ उन सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों जो कोविड-19 के कारण यह सेवा नहीं ले पाए थे , के लिए भी सेवानिवृति के पश्चात छह माह हेतु अवधि को विस्तृत किए जाने की सुविधा भी प्रदान किया है।

vi. **विशेष आकस्मिक अवकाश:** कोविड-19 की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निगम ने महामारी से प्रभावित कर्मचारियों हेतु ड्यूटी से अनुपस्थिति को नियमित करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान करने के लिए की अनुमति प्रदान किया है। उन कर्मचारियों को जिन्हें कोविड-19 की जाँच में पोजिटिव पाया गया उनके द्वारा आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर कोविड उपचार /होम आइसोलेशन / क्वारेंटाइन के कारण उनकी अनुपस्थिति को नियमित किए जाने के लिए अवकाश दिवसों को शामिल करते हुए 15 दिन की अवधि हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश की मंजूरी दी गयी।

vii. **समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (जीपीएआईएस):** 25 लाख रुपये की अधिकतम लाभ सहित दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामलों में यह एक गैर-अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना है।

viii. **नाइट ड्यूटी भत्ता :** निगम ने भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.07.2020 के द्वारा दिये गए सूत्र के अनुसार नाइट ड्यूटी भत्ता में वृद्धि की है। यद्यपि , किसी भी मामले में, कर्मचारियों के वेतन स्तर के अनुरूप विद्यमान एनडीए दरों के दोगुने से अधिक प्रयोज्य एनडीए नहीं होगी।

ix. **नैमित्तिक, आपूर्ति, वानिकी और कैंटीन श्रमिकों को उपदान का भुगतान :** नैमित्तिक कामगारों बीटीपीएस तथा सीटीपीएस के आपूर्ति कामगारों , डीवीसी द्वारा काम पर लगाए गए वानिकी कामगारों तथा कैंटीन कामगारों के संबंध में उपदान के भुगतान का मामला लंबे समय से विभिन्न मंचों से उठाया जाता रहा है। इन कामगारों के मांग को ध्यान में रखते हुए निगम ने ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुरूप इन कामगारों का उपदान के भुगतान हेतु निर्णय लिया है।

x. **डीवीसी टर्म बीमा योजना :** डीवीसी ने कर्मचारी समूह बचत लिंक्ड बीमा योजना (ईजीएसएलआईएस) तथा परिवार कल्याण योजना (एफडब्ल्यूएस) के प्रतिस्थापन में इस नीति को लागू किया है। यह नीति सेवा के दौरान कोविड-19 समेत सभी प्रकार के मृत मामलों को आवृत करता है। यह नीति थर्ड पार्टी बीमा कंपनी द्वारा प्रबंधित की जानी है। यह योजना सभी कर्मचारियों के संबंध में 25 लाख रुपये की टर्म बीमा के लाभ का भुगतान करेगी तथा उसका प्रीमियम 50%: 50% के आधार पर कर्मचारियों तथा निगम द्वारा बराबर – बराबर वहन किया जाएगा।

दुर्घटना के कारण हुए मृत्यु के मामले में, मृत कर्मचारियों के आश्रित डीवीसी टर्म बीमा योजना के साथ-साथ जीपीएआईएस के अधीन प्रतिपूर्ति हेतु योग्य होंगे।

2. नए एचआर पहल :

डीवीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में, निम्नलिखित नये मानव संसाधन पहलों को लागू किया:

i. **डीवीसी आईडीएशन नीति:** डीवीसी ने विद्युत उद्योग में हो रहे निरंतर परिवर्तन में प्रतिस्पर्धा लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मचारियों को लीक से हटकर नवीन विचार एवं दीर्घकालिक सुधार लाने वाले सोच को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईडीएशन नीति को लागू किया गया है।

ii. **थिंक टैंक नीति:** थिंक टैंक कार्यपालकों का एक समूह है जिसका गठन संगठन में प्रतिचिन्हित किए गये किसी संकीर्णताओं के संबंध में प्रबंधन को संबंधित विचार और समाधान प्रदान करने के लिए किया गया है। दो वर्षों की एक अवधि हेतु दो प्रकार के थिंक टैंक अर्थात वरिष्ठ तथा कनिष्ठ थिंक टैंकों का गठन किया गया है।

iii. **फाइल डिजिटाइजेशन और मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस):** डीवीसी पूर्ण स्वसंचालन तथा ई-ऑफिस कार्य संस्कृति की ओर तीव्रगति से अग्रसर कर रहा है। प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मानव संसाधन विभाग ने अपने मुख्यालय के मानव संसाधन विभाग के अनुभाग-वार फाइलों के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की सभी व्यक्तिक तथा गोपनीय फाइलों को डिजिटाइज़ करने की पहल प्रारम्भ की है। फाइलों के डिजिटाइजेशन से पृथक एचआरआईएस हेतु एक नया वेब-आधारित एप्लिकेशन का विकास किया जा रहा है जो मानव संसाधन विभाग को निर्विघन तथा कुशल कार्यकलाप में सहायक सिद्ध होगा।

iv. **फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम:** यह बायोमेट्रिक मशीन के समक्ष कर्मचारियों द्वारा अपने चेहरे को प्रस्तुत कर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने की एक पहल है। डीवीसी मुख्यालय में इसे पहले ही लागू कर दिया गया है तथा अन्य क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में क्रियान्वयन चरण के अधीन है।

3. पुरस्कार व सम्मान योजना

वार्षिक पुरस्कार

कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु स्वतंत्रता दिवस-2012 के अवसर पर एक पुरस्कार व सम्मान योजना आरम्भ की गयी थी। इस योजना में निम्नलिखित पुरस्कारों का प्रावधान है:

क) **वर्ग I:** उन डीवीसी कर्मचारियों के लिए पुरस्कार जिन्होंने अपनी जिम्मेवारियों के निष्पादन के दौरान निगम में अतिविशिष्ट योगदान दिया है।

ख) **वर्ग II:** डीवीसी कर्मचारियों के उन बच्चों को जिन्होंने स्कूल फाइनल तथा प्री-ग्रैजुएट में समकालीन शैक्षणिक वर्ष में अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता का परिचय दिया है, को पुरस्कार प्रदान करना। कर्मचारियों के बच्चे जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लिया है वे भी इस पुरस्कार के पात्र हैं।

2016-2017 से यह योजना सभी डीवीसी परियोजना में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गयी है।

मासिक पुरस्कार

डीवीसी द्वारा माह हेतु कर्मचारी/कामगार को पुरस्कृत किया जाना लागू किया गया है। इस पुरस्कार में नियमित कर्मचारी तथा डीवीसी के नैमित्तिक कामगार शामिल हैं। जिन कर्मचारियों/कामगारों ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है उन्हें चयनित कर मासिक आधार पर पुरस्कृत किया जाता है।

4. वर्ष के सर्वश्रेष्ठ थर्मल उत्पादन केन्द्र हेतु पुरस्कार :

साल के सर्वश्रेष्ठ थर्मल उत्पादित केन्द्र हेतु एक पुरस्कार योजना 2015-16 में आरम्भ की गयी थी। पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य ताप विद्युत संयंत्र प्रचालन संबंधी विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी मापदंडों पर किये गये बेहतर परिणामों के लिए विभिन्न केन्द्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 हेतु पुरस्कार नहीं दिया जा सका।

5. कर्मचारी संचार

क) **संचार बैठक:** डीवीसी के सभी परियोजनाओं में संचार बैठकें तिमाही रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को डीवीसी के सभी क्षेत्रों में लागू की गयी विभिन्न नयी पहलूओं को साझा करना है ताकि वे संगठन की गतिविधियों के बारे में अद्यतन हो सके।

ख) **एचआर न्यूजलेटर:** मासिक एचआर न्यूजलेटर प्रकाशित किया जाता है तथा इसे डीवीसी वेबसाइट में उपलब्ध कराया जाता है। न्यूजलेटर का उद्देश्य सामान्य तौर पर एचआर विभाग और डीवीसी के अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों द्वारा की नयी पहलूओं को प्रभावी ढ़ंग से संवाद करना है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित भी करना है। एचआर न्यूजलेटर में डीवीसी के कर्मचारियों द्वारा दिये गये योगदान संबंधी लेख भी होते हैं।

6. ओपन फोरम सुझाव योजना

कर्मचारियों से संगठन के कारोबार में सुधार संबंधी सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। कर्मचारी निर्दिष्ट मेल आईडी में मेल भेज सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझावों की जाँच की जाती है और इन्हें डीवीसी में लागू किया जाता है।

7. महिला दिवस समारोह

मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों का आयोजन कर सम्पूर्ण घाटी में महिला दिवस मनाया गया ताकि बेहतर समाज के लिए महिलाओं के योगदान को चिह्नित किया जा सके।

8. कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस)

ईएसएस एक आईटी सक्षम प्रणाली है जिसे स्वयं डीवीसी द्वारा विकसित किया गया है जिससे कर्मचारियों को निम्नलिखित कार्यकलापों को करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके :

i. **ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर):** नयी ऑनलाइन प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली नयी एसीआर / एपीएआर प्रारूप के माध्यम से कार्यपालकों हेतु नयी ऑनलाइन प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली प्रारम्भ की गयी है जिसमें कार्यात्मक, व्यवहारिक और तकनीकी दक्षताओं के साथ केपीए पर पारस्परिक रूप से सहमति शामिल है। कार्यपालकों के लक्ष्य निर्धारण तथा समग्र विकास हेतु प्रत्येक संवर्ग के लिए योग्यता और केपीए निर्देशिकाएं बनायी गयी हैं।

ii. ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन

iii. ऑनलाइन एलटीए मॉड्यूल

iv. पे-रोल और छुट्टी खाते के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली

v. ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रणाली

vi. ऑनलाइन ओपन फोरम सुझाव योजना

vii. वार्षिक संपत्ति रिटर्न का ऑनलाइन प्रस्तुति

viii. चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल

ix. ऑनलाइन स्थानांतरण अनुरोध

9. हड़ताल आदि:

यूनियनों एवं कर्मचारी संगठनों के साथ निवारात्मक उपायों एवं बेहतर औद्योगिक सम्पर्क निर्वहन के परिणामस्वरूप 2021-22 के दौरान बंदी आदि जैसे किसी औद्योगिक क्षति के कारण किसी जन-दिवस की हानि नहीं हुई।

10. वर्ष 2021-22 हेतु डीवीसी कर्मचारियों के कैरियर पदोन्नति संबंधी आँकड़े।

क्र.सं.	ग्रुप	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पदोन्नति हेतु अनुशंसा
1	ग्रुप ए (एम5 से एम 10)	188
2	ग्रुप ए (एम2 से एम 4)	441
3	ग्रुप बी से एम1	257
4	ग्रुप बी	615
	कुल	**1501**

11. भर्ती व चयन

डीवीसी इस विश्वास का समर्थन करता है कि निगम की कार्यकुशलता, प्रभावशीलता तथा सफलता कर्मचारियों, जो संगठन के अति महत्वपूर्ण धरोहर हैं, की दक्षता, योग्यता एवं वचनबद्धता पर निर्भर करती है। अतएव, डीवीसी नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी तथा सख्त प्रक्रिया का अनुपालन करता है जिसके जरिए सही प्रतिभाओं का चयन होता है। डीवीसी नियोजन हेतु सही प्रतिभाओं का लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम चयन कर सही समय पर उन्हें उपलब्ध कराता है।

डीवीसी आरक्षण पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों, आदि के पूल से सबसे प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती, विकास और उन्हें बनाए रखने के प्रयासों के माध्यम से कार्यस्थल पर विविधता सुनिश्चित

करता है। हालांकि, विगत नौ वर्षों से विद्युत मंत्रालय द्वारा प्राप्त निदेश के अनुपालन में सीधी भर्ती डीवीसी में नहीं हो रही है फिर भी जन शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठेका आधार के साथ-साथ आंतरिक स्रोतों से नियुक्तियाँ की गयी हैं। वर्ष 2021-22 में , डाक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 46 अदद सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों (जीडीएमओ)की संविदा नियोजन की गयी थी जैसा कि डीवीसी अपनी मेडिकल टीम में डाक्टरों की भारी कमी का सामना कर रहा था।

12. अध्ययन व विकास:

क. 2021-22 के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण जन-दिवस (आंतरिक व बाह्य) उपलब्धियां:

माह	जन-दिवस
अप्रैल 2021	28
मई 2021	58
जून 2021	166
जुलाई 2021	354
अगस्त 2021	1170
सितम्बर 2021	1265
अक्टूबर 2021	1191
नवम्बर 2021	1772
दिसम्बर 2021	1764
जनवरी 2022	1940
फरवरी 2022	3045
मार्च 2022	1387
कुल	**14140**

ख. 2021-22 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान परियोजनाएँ तथा मुख्यालयों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण जन दिवस :-

2021-22	प्रशिक्षण संस्थान, चंद्रपुरा	परियोजनाएँ (अंतर-गृह)	परियोजनाएँ (बाह्य)	कोलकाता (अंतर-गृह)	कोलकाता (बाह्य)	विदेश प्रशिक्षण	कुल
प्रशिक्षण जन-दिवस	1049	1583	35	11183	290	0	14140

ग. 2021-22 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या:

2021 -22	अंतर-गृह प्रशिक्षण	बाह्य प्रशिक्षण	विदेश प्रशिक्षण	कुल
प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	2647	289	0	2936

एससी/एसटी/ओबीसी प्रतिवेदन - I

31.03.2022 को एससी, एसटी तथा ओबीसी के प्रतिनिधित्व को दर्शाता वार्षिक विवरण तथा कैलेण्डर वर्ष 2021-2022 के दौरान किये गये नियुक्तियों की संख्या

संगठन का नाम : दामोदर घाटी निगम

ग्रुप	एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व (31.03.2022 को)					कैलेण्डर वर्ष 2021-22 के दौरान की गयी नियुक्तियों की संख्या															
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा					प्रतिनियुक्ति द्वारा				
	कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल	एसटी	एसटी	ओबीसी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ग्रुप – ए	2108	412	141	543	1012	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	506	80	29	97	300	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग्रुप – बी	3356	707	210	762	1677	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	588	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग्रुप – सी व डी	540	192	82	96	170	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**6004**	**1311**	**433**	**1401**	**2859**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**1094**	**80**	**29**	**97**	**300**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

एससी/एसटी/ओबीसी प्रतिवेदन – II

31.03.2022 को विभिन्न ग्रुप –'ए' में एससी, एसटी तथा ओबीसी के प्रतिनिधित्व तथा कैलेण्डर वर्ष 2021-2022 में विभिन्न ग्रेडों में की गयी नियुक्तियों की संख्या

संगठन का नाम : दामोदर घाटी निगम

वेतनमान (रुपये में)	एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व (31.03.2022 को)				कैलेण्डर वर्ष 2021-22 के दौरान की गयी नियुक्तियों की संख्या											
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
एम1	38	9	5	7	00	00	00	00	127	18	8	15	00	00	00	00
एम 2	261	68	13	47	00	00	00	00	159	32	07	35	00	00	00	00
एम 3	444	81	20	128	00	00	00	00	0	0	0	0	00	00	00	00
एम 4	834	154	78	282	00	00	00	00	71	14	6	20	00	00	00	00
एम 5	284	62	22	63	00	00	00	00	37	5	6	20	00	00	00	00
एम 6	182	34	3	15	00	00	00	00	52	8	2	7	00	00	00	00
एम 7	38	3	00	1	00	00	00	00	27	01	00	00	00	00	00	00
एम 8, एम 9 व एम 10	27	1	00	00	00	00	00	00	33	02	00	00	00	00	00	00
कुल	2108	412	141	543	00	00	00	00	506	80	29	97	00	00	00	00

कोविड -19 का प्रबंधन

पहल, नवोन्मेष व अनुभव

दर्शन तथा दृष्टिकोण

देश को प्रभावित करने वाली महामारी की गंभीरता का अहसास मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा के साथ हुआ। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से जुड़ी आवश्यक सेवाओं में लगे एक संगठन के रूप में, कर्मचारियों, उनके आश्रित और कार्यकर्ता की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना तत्काल प्राथमिकता थी, एक ही समय में, राष्ट्र को विद्युत की निरंतर आपूर्ति डीवीसी का एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार और प्रमुख जिम्मेदारी थी। कोविड-19 में पहली और दूसरी दोनों लहरों में अभूतपूर्व परिस्थितियां देखी गयी जो पहले कभी नहीं देखी या अनुभव नहीं की गयी। टीम डीवीसी के सिद्धांत सामने से वायरस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करना और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सभी प्रयास करना था। प्रेरणा और उद्देश्य की समानता ने प्रत्येक कर्मचारी को एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए एक कोविड योद्धा बना दिया।

यह दस्तावेज़ मानव इतिहास में सबसे एक कठिन चरणों के दौरान डीवीसी द्वारा अपनाई गयी पहल का सारांश प्रस्तुत करता है।

प्रारंभिक प्रतिक्रिया

महामारी के समग्र प्रतिक्रिया को समन्वय करना तत्काल चुनौती था। संचार के सभी साधनों का उपयोग कर्मचारियों और श्रमिकों को आश्वस्त करने के लिए किया गया था कि संगठन द्वारा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। वीसी के माध्यम से दैनिक समीक्षा बैठक की एक पद्धति शुरू की गयी। बैठक में अध्यक्ष, सदस्य, विभागाध्यक्ष, परियोजना प्रधान और डॉक्टर शामिल हुए। महामारी के हर पहलू का विश्लेषण और समाधान किया गया। पॉजिटिव मामलों को कम करने तथा अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से प्रबोधन किया गया और उनके परिवारों को सूचित किया गया। निवारक और एहतियाती उपाय किए गए थे तथा सभी स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। विद्युत केन्द्रों, उपकेंद्र , और संबंधित कार्यालयों का दैनिक आधार पर पूरी तरह सैनिटाइजेशन किया गया। कोविड -19 के रोकथाम प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए माइकिंग और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। महामारी संबंधी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए एसओपी जारी किए गए थे। बाहरी लोगों/आगंतुकों की आवाजाही प्रतिबंधित थी और कॉलोनियों, बाजार परिसरों और आम क्षेत्रों में कोविड -19 रोकथाम प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया गया था।

शीर्ष प्रबंधन ने सभी स्थानों पर कोविड प्रतिक्रिया टीम (सीआरटी) बनाने के लिए कदम उठाए। टीमों ने जमीनी स्तर पर महामारी से निपटने के महत्वपूर्ण कार्य को व्यवस्थित किया।

सी आर टी एस के दायरे के अधीन निम्नलिखित नियम व जिम्मेदारियाँ:

कोविड प्रतिक्रिया टीम (सीआरटीएस) के नियम व जिम्मेदारियाँ;

सभी कोविड - 19 संबंधित मामले हेतु संपर्क के लिए एकल बिंदु के माध्यम से दैनिक प्रबोधन

पॉज़िटिव मामले का अधिसूचना तथा उचित संपर्क अनुरेखण तथा अलगाव

समय समय पर सरकारी निर्देशानुसार टीकाकरण तथा परीक्षण सुनिश्चित करना

आपात स्थिति के दौरान टाई-अप अस्पतालों/ नर्सिंग होम में एम्बुलेंस तथा शय्या की उपलब्धता को सुनिश्चित करना

परामर्श और अन्य व्यावहारिक साधन के माध्यम से डीवीसी कर्मचारियों के आश्रितों / परिवार को यथासंभव मदद करना

पर्याप्त दवाइयां, भोजन तथा आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना

डीवीसी के केंद्रों /प्रतिष्ठानों में प्रतिचिन्हित क्वार्टरों में सुरक्षित गृह/संगरोध/अलगाव केंद्रों की सुविधा उपलब्ध कराना।

संयंत्रों, उपकेंद्रो कॉलोनी तथा अन्य डीवीसी के प्रतिष्ठानों में डीवीसी कर्मचारियों, एम एम सी /एआरसी श्रमिकों, आगंतुकों और अन्य आउटसोर्स किए गए श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड - 19 प्रोटोकोल के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना।

क) मास्क, टेस्ट कीट, सैनिटाइजर, थर्मल गन, बेड, पीपीई किट, दवाइयां तथा अन्य सामानों की आवश्यकताओं का आंकलन करना। सीआरटीएएस सामानों, आंतसंरचना, दवाइयां, उपकरण आदि की क्रय हेतु जैसा तथा जब आवश्यक हो प्रस्ताव तैयार करेगा तथा इससे सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित डीवीसी चिकित्सा आंतसंरचना तथा अन्य सुविधाएं को व्यवहार करने संबंधित मामलों हेतु जिला प्रशासन के साथ समन्वय तथा पारस्परिक विचार विमर्श करना।

ग) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा अन्य अधिकारियों द्वारा डीवीसी मुख्यालय / मानव संसाधन विभाग को आवश्यकता पड़ने पर एमआईएस रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

घ) आपात स्थिति की तैयारी के लिए संयंत्रों / उपकेंद्रों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व रोस्टर तैयार करना

ङ) महामारी के संबंध में सभी संबंधित को महत्वपूर्ण सूचना /सलाह का परिचालन करना।

सीआरटीएस अधिकारी प्राप्त समूह थे जिनके सदस्यों ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए स्वयं को 24X7 समर्पित किया। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन तथा आइसोलेशन बेड की व्यवस्था प्रति घंटे के आधार पर प्रबोधन किया गया था।

आंतसंरचनात्मक सुविधाएं

मृत्यु दर को कम करने और तेजी से ठीक होने के लिए फास्ट ट्रैक आधार पर महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का मुहैया कराया गया। निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गईं:

क) कोलकाता में ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ 25 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर और 24x7 एम्बुलेंस। डॉक्टर और नर्सों को चौबीसों घंटे चिकित्सा सहायता के लिए कोविड केंद्र के लिए लगाया गया था। यह सुविधा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत संगठनों के सभी कर्मचारियों को दिया गया।

ख) कोलकाता में संक्रमित व्यक्तियों के संगरोध/अलगाव के लिए श्रमिकों के लिए 50 बिस्तरों का संगरोध केंद्र और अधिकारियों के लिए 25 बिस्तर।

ग) डीवीसी कर्मचारियों/आश्रितों के लिए हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल दुर्गापुर और आरोग्यम अस्पताल, हजारीबाग में कुछ बिस्तर आरक्षित किये गए।

घ) सभी डीवीसी अस्पतालों में अलगाव बेड बनाए गए थे। हल्के संक्रमण वाले रोगियों को समायोजित करने के लिए प्रत्येक डीवीसी अवस्थान पर अलगाव/ संगरोध केंद्रों को नामित किया गया था। ऐसे कर्मचारियों को भोजन और आवश्यक आपूर्ति प्रदान की गई।

ङ) किसी भी घटना के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और समाहारक को समीप रखा गया था।

च) पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, दवाइयाँ, उपकरण और अन्य सामान की पर्याप्त संख्या में खरीद के लिए और डीवीसी अस्पतालों और डीवीसी द्वारा बनाई जा रही कोविड संबंधित चिकित्सा सुविधाओं के लिए या आपूर्ति के लिए आवश्यकता हेतु तैयार करना।

विशेष नीति हस्तक्षेप

1. परिवार सहायता योजना

मृत्यु महामारी का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है। आश्रितों के यंत्रणा को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता है लेकिन उन्हें कुछ हद तक कम किया जा सकता है क्योंकि जीवन चलते रहना चाहिए। मरने वालों के आश्रितों के साथ खड़े होने के लिए, परिवार सहायता योजना(एफएएस) शुरू की गई है ताकि आश्रित अपने जीवन को बनाए रख सकें। योजना की विशेषताएं इस प्रकार है:

क) मृत कर्मचारियों के आश्रितों की सेवानिवृत्ति की कल्पित तिथि तक मौजूदा कर्मचारियों के आश्रितों के समान चिकित्सा लाभों का विस्तार।

ख) मृत्यु कर्मचारियों के आश्रितों को सेवानिवृत्ति की कल्पित तिथि तक बाल शिक्षा भत्ता (छात्रावास सब्सिडी सहित) मौजूदा कर्मचारियों के बच्चों के बराबर प्रदान करना।

ग) मृत कर्मचारी के प्रति सभी बकाया ऋणों और अग्रिमों (सीपीएफ, जीपीएफ और एनपीएस को छोड़कर) को माफ कर देना।

घ) परिवार कल्याण योजना के अधीन मौजूदा 5 लाख से 15 लाख तक रुपये को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि का अनुदान

ङ) जीवनसाथी को शिशुता प्रशिक्षण /आईटीआई /कौशल विकल्प प्रशिक्षण केंद्र के प्रावधान सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से मृत कर्मचारियों के बच्चे जिसके लिए शुल्क डीवीसी द्वारा वहन किया जाएगा तथा निगम के द्वारा समय समय पर जारी सी एस आर दिशा निर्देशों के अनुसार आय स्रोत गतिविधियों की शुरुआत के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता ही सुनिश्चित करेगा।

च) सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारी की पात्रता के अनुसार, सबसे बड़े बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक आवंटित क्वार्टर / छात्रावास आवास (केवल की एक स्थान पर) बनाए रखना।

2. चिकित्सा उपचार अग्रिम

डीवीसी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को टाई-अप अस्पताल के माध्यम से संगठन के नकदी रहित चिकित्सा नीति के अधीन आवृत किया जाता है। प्रचंड महामारी के कारण,बेड ऐसे टाइ अप अस्पताल में सहज उपलब्ध नहीं थे। कर्मचारियों की अपील के आधार पर सहज ही प्रवेश उपलब्धता के कारण एक चिकित्सा अग्रिम योजना कर्मचारियों तथा आश्रितों के लिए शुरू की गयी थी। गैर टाई-अप चिकित्सा प्रतिष्ठानों में उपचार/ प्रवेश हेतु 2,00,000(2 लाख) रुपए की अग्रिम की अधिकतम राशि था।

3. टेलीमेडिसिन

कई कर्मचारियों/आश्रितों के लिये हल्के सकारात्मक मामलों हेतु होम आइसोलेशन की सिफारिश की गयी थी। इन रोगियों की सहायता के लिए, सेवानिवृत्त डीवीसी डॉक्टरों और बाहरी डॉक्टरों (पल्मोनोलॉजिस्ट) को कर्मचारियों / आश्रितों को होम आइसोलेशन/ संगरोध में टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाया गया था। इस हस्तक्षेप से सैकड़ों कर्मचारी लाभान्वित हुए।

4. गैर टाई-अप अस्पतालों में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति

टाई-अप अस्पतालों में मरीजों की अचानक भीड़ को देखते हुए निजी तथा गैर टाई-अप अस्पतालों में चिकित्सा पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति योग्य था।

संगठन से परे सेवा

मानवता पीड़ित थी तथा समाज की सेवा के संकल्प के साथ विद्युत् क्षेत्र में स्थानीय समुदायों और अन्य सहयोगी संगठनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया।

क) डीवीसी प्रतिष्ठानों के पास के गांवों में भोजन, पानी और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया।

ख) मानेसर के पावर ग्रिड कोविड केयर सेंटर में एक डीवीसी डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

ग) एक डीवीसी डॉक्टर को बेरमो के जरांगडीह के कोविड अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया गया था।

घ) डीसी कोडरमा को 23 लाख रुपये की एक एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस दान की गयी।

ड) डीसी धनबाद को 10 लाख रुपये की मौद्रिक सहायता प्रदान की गयी।

च) पंचेत हिल अस्पताल को आम जनता के लिए एक कोविड अस्पताल में बदल दिया गया था।

मिशन मोड में टीकाकरण

डीवीसी में दैनिक प्रचलन में लगे करीब 7000 कर्मचारियों तथा 12,000 श्रमिकों का टीकाकरण यह एक चुनौती था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निरंतर समर्थन के साथ पश्चिम बंगाल तथा झारखंड सरकार के सहयोग से रिकॉर्ड समय में टीकाकरण किया गया। डीवीसी प्रतिष्ठानों में लगे सभी डीवीसी संविदा श्रमिकों, ड्राइवरों, कैंटीन स्टाफ तथा अन्य बाहरी श्रमिकों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। कोलकाता, कोडरमा ताप विद्युत केंद्र, चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र, बोकारो ताप विद्युत केंद्र, मेजिया ताप विद्युत केंद्र तथा मैथन में टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए।

स्मरण

हम सभी महामारी द्वारा प्रभावित हुए। व्यक्तिगत रूप से तथा एक संगठात्मक रूप से कोविड- 19 के प्रभाव को कम किया गया। तथापि, दुर्भाग्यवश हम लोगो ने महामारी के दोनों लहरों में अपने 32 प्रियजनों को खो दिया। हम उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे और उन्हें हमेशा याद करेंगे। वास्तविकता यह है कि इस तरह के अभियान से हम लोगों ने बहुत जान बचा सके थे। हम प्रार्थना करते है कि मानव जाति भविष्य में ऐसे दिन फिर कभी न देखें।

अभिस्वीकृति

डीवीसी महामारी से लड़ने के लिए निरंतर समर्थन और प्रेरणा के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का आभारी हैं। हम डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी तथा स्थानीय प्रशासन/ अन्य पर्णधारकों को उनके निस्वार्थ सहायता के लिए ऐसे कोविड योद्धाओं के भी आभारी हैं।

सतर्कता कार्यकलाप

दामोदर घाटी निगम का सतर्कता विभाग पारदर्शिता उद्देश्यात्मकता एवं गुणवत्ता सतर्कता कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सतर्कता अधिकारी के समग्र निगरानी एवं नियंत्रणाधीन कार्यरत है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न कार्यकलापों का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

1. शिकायतों का निवारण:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 94 शिकायतें प्राप्त हुई तथा 9 शिकायतें पिछला वित्त वर्ष से आगे लाया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 103 शिकायतें की जाँच की गई जिसमें से 91 शिकायतें निपटाये गये तथा शेष 12 शिकायतें जाँच के विभिन्न चरणों में है।

2. कार्यों, सेवाओं, अनुबंधों आदि का निरीक्षण:

अवधि के दौरान कुल 48 **औचक निरीक्षण** तथा 102 **आवधिक निरीक्षण** किये गये। निरीक्षण के दौरान परिलक्षित कार्रवाई योग्य बिन्दुओं को व्यवस्थित सुधारगत उपायों के पहल किये जाने तथा पर्याप्त निवारात्मक एवं प्रशासनिक उपायों हेतु भी संबंधित विभागाध्यक्षों परियोजना प्रधान और अन्य कार्यालयों के संज्ञान में लाया गया। उपरोक्त निरीक्षण के अतिरिक्त 9 अदद सीटीई प्रकार के निरीक्षण निष्पादित किये गये तथा पायी गई संगति/विसंगति आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के संज्ञान में लाया गया।

3. अनुशासनात्मक मामले:

अवधि के दौरान सतर्कता मामलो के संबंध में 13 (तेरह) अधिकारियों के विरूद्ध प्रमुख दंडात्मक विभागीय प्रक्रिया शुरू किये गये।

4. लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं एपीआर इत्यादि की संवीक्षा:

वर्ष के दौरान , 92 अदद (45 सीएजी व 47 आंतरिक लेखा परीक्षा) की जाँच तथा संवीक्षा की गयी।

901 अदद कर्मचारियों (ग्रुप ए और ग्रुप बी) की वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) की संवीक्षा की गयी व विभिन्न उद्देश्यों अर्थात पदोन्नति/ अपग्रेडेशन, त्यागपत्र,वाह्य नियुक्ति /प्रति नियुक्ति, सेवानिवृत्ति (स्वैच्छिक / अधिवर्षिता) आदि हेतु सतर्कता स्वीकृति तथा पासपोर्ट आदि हेतु एनओसी प्राप्त करने जैसे 1679 कर्मचारियों को संस्वीकृति प्रदान की गयी थी।

5. अध्यक्ष महोदय के साथ संरचनात्मक बैठक :

अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष/बोर्ड सदस्यों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 3 संरचनात्मक बैठक 2021-22 के दौरान हुई थी। ऐजेन्डा नोट पर वार्तालाप हुई तथा कार्रवाई एवं क्रियान्वयन के अनुपालन हेतु बैठकों की कार्यसूची जारी की गयी।

6. सतर्कता जागरुकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू):

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिपत्र सं. 021/वीजीएल/045 दिनांक 01.09.2021 के दिशा-निर्देशों के अवलोकन में,दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) में ***'स्वतंत्र भारत @ 75 ; एकनिष्ठता के साथ आत्मनिर्भर'*** विषय-वस्तु के साथ कोलकाता स्थित मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रीय

प्रतिष्ठानों में 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू)-2021 मनाया गया था। ऑनलाइन तथा प्रत्यक्ष तरीका से विभिन्न कार्यकलापों के रूप में व्याख्यान/वाद-विवाद, स्लोगान/निबंध लेखन/प्रश्नोत्तरी/चित्रकला प्रतियोगिताओं वालकथोन /ड्रामा /वेंडर मीट /उपभोगताओं मीट इत्यादि का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों/कार्यकलापों की सांकेतिक सूची यथा भूमि प्रबंधन, मकानों/क्वाटरों की आवंटन एवं संबंधी मामले, संगठन में आउटसोर्स सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को भुगतान, संपत्तियों का प्रबंधन, लिंग संवेदीकरण के मुद्दे, प्रौद्योगिकी का लाभ-आईटी उपयोग एवं ई-गवर्नेंस, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों का अद्यतनीकरण आदि को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक हिस्से के रूप में अभियान तरीकों में अपनाया गया।

7. सीबीआई अधिकारियों के साथ बैठक:

वर्ष 2022 हेतु सहमति सूची की अन्तिम रूप देने पर सीबीआई अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गयी थी।

8. प्रणालीगत सुधार:

विद्यमान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा निम्नलिखित संस्तुतियाँ किये गये/प्रणाली में सुधार के सुझाव दिये गये थे।

पहले संबंधित सांविधिक संगठनों के आउटसोर्स सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के समय पर ऑनलाइन भुगतान एवं ईपीएफ तथा ईएसआई में जमा के संबंध में पर्याप्त जागरूकता का अभाव था। आउटसोर्स मजदूरों के संबंध में मासिक मजदूरी भुगतान की तारीख में भी संदिग्धता थी क्योंकि इस प्रकार के भुगतान के संबंध में विभिन्न केन्द्रों में विभिन्न तारीख प्रचलन में था।

अब, सतर्कता विभाग के हस्तक्षेप के कारण समय पर मजदूरी भुगतान में चूक होने तथा ईपीएफ तथा ईएसआई के जमा में विलम्ब होने पर एजेंसियों के संबंध में एक्सेपशन रिपोर्ट जेनेरेट करने के प्रावधान के समक्ष एक्सेपशन रिपोर्ट जेनेरेट किया जा रहा है तथा प्रबंधन द्वारा समय पर मजदूरी भुगतान तथा ईपीएफ/ईएसआई के जमा को सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा की जा रही है। प्रबंधन ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि मासिक भुगतान परवर्ती माह के सात दिनों के भीतर किया जाए।

i) आउटसोर्स कामगारों को ईपीएफ/ईएसआई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा प्रत्येक कामगारों द्वारा ईपीएफ/ईएसआई के अद्यतन स्थिति के बारे में सुग्राही बनाने हेतु अनेक उपाय भी किये गये है।

ii) यह देखा गया कि कोयले और राख की माप हेतु प्रयोग होने वाले वे ब्रीज में अनेक अनाचार जारी था।अनाचार पर नियंत्रण रखने हेतु वे ब्रीज प्रचालक के निकास एवं प्रवेश को दर्ज करना,प्रत्येक प्रचालक हेतु पृथक पासवर्ड , वे ब्रीज कंप्यूटर प्रणाली में लगाये गये वाहन सूचना में आरएफआईडी टैग /स्टीकर अधिदेशित करना ,तौल स्लीप में सभी आपेक्षित ब्यौरा की प्रविष्टि तथा दूसरा एवं परवर्ती प्रति में डुप्लिकेट चिन्हित करने जैसे अनेक व्यवस्थित सुधार कार्यन्वित किये गये।

iii) पहले प्रभावी भुगतान हेतु एजेंसियों /ठेकेदारों से प्राप्त बिल की सूची के रख-रखाव हेतु मैन्युल प्रणाली थी। परिणामस्वरूप बिल भुगतान के संबंध में एफआईएफओ सिद्धांत के उल्लंघन की संभावना को इंकार नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त कठिनाइयों से बचने के लिए बिक्रेता बिल प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु ऑनलाइन बिल ट्रेकिंग प्रणाली कार्यन्वित किया गया। जागरूकता हेतु डीवीसी के सभी विक्रेताओं को बिल ट्रेकिंग प्रणाली तथा डीवीसी के गृह पृष्ठ पर हाइपर लिंक के साथ विक्रेता बिल ट्रेकिंग प्रणाली हेतु स्क्रोल मैसेज के माध्यम बिल प्रस्तुति के समय आपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए ,के बारे में सूचित किया गया। यूजर गाइडलाइंस तथा हेल्पलाइन नंबर को भी परिचालित किया गया।

iv) यह प्रकट किया गया कि 9-10 टन के लगभग मानक भार के जगह अविश्वसनीय रूप से कम यहाँ तक कि 8-10 कि.ग्रा. की सीमा तक वाहन का खालीभार राख की ढुलाई हेतु दर्ज की जाती रही है। परिणामस्वरूप कुंड राख का कुल भार बहुत ज्यादा प्रदर्शित किया जाता था। सतर्कता विभाग के निरीक्षण के बाद न केवल राख के परिवहन के मौजूदा बिलिंग प्रणाली के खामियों को दूर किया गया तथा फिल्टर के व्यवस्था द्वारा सुधार किया गया जो कि संकेत देता है जब प्रणाली में खाली भार मानक भार से कम दिखता है। परिणामस्वरूप इसके वजह से बढ़े हुए भुगतान की संभावना को रोका गया।

v) पहले डीवीसी में हवाई टिकट के क्रय के संबंध में कोई एसओपी नहीं था। सतर्कता विभाग के नियमित प्रयास के माध्यम से इस वर्ष डीवीसी में हवाई टिकट के क्रय हेतु एसओपी को कार्यन्वित किया गया।

vi) यह देखा गया है कि संबंधित कार्यपालक निदेशक द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन में अत्याधिक समय लिया जाता था।डब्ल्यू एंड पी मैन्युल तथा ईबीए मॉड्यूल में सैद्धांतिक अनुमोदन का प्रावधान नहीं है। सतर्कता विभाग के सुझाव के बाद यदि एआरसी /एएमसी कार्य से संबंधी पहले के ठेका के कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन /संशोधन नहीं है तो सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप इस प्रकार के कार्य हेतु एनआईटी निर्गत करने में लिए गए समय में महत्वपूर्ण कमी होगी।

vii) यह पाया गया कि एमटीपीएस की एक इकाई में पंखा ब्लेड की जगह ऊर्जा दक्षता पंखा ब्लेड संयोजन से 20% से अधिक विद्युत बचत परिलक्षित हुई। सतर्कता विभाग ने समान इकाई के पंखा ब्लेड को ऊर्जा दक्षता पंखा ब्लेड संयोजन में प्रतिस्थापन का सुझाव दिया जिसे दूसरे इकाई में क्रियान्वित किया जा रहा है तथा दूसरे इकाई में चरणबद्ध तरीके में इसका क्रियान्वयन जारी है।

viii) उपरोक्त के अलावा , सतर्कता विभाग ने समान्य निविदा प्रक्रिया से विचलन /अपवाद के मामले में प्रणाली में संकेत उत्पन्न करने के लिए ईबीए मॉड्यूल में जाँच बिन्दु समाविष्ट करने का सुझाव दिया है।

ix) दस्तावेजों के जाँच के दौरान यह प्रकट किया गया कि अनेक परियोजनायें विभिन्न मील पत्थर प्राप्त करने में समयसीमा से पीछे रह रहे थे तथा प्रभावी परियोजना अनुश्रवण प्रणाली का अभाव था। सभी चालू परियोजनाओं के बेहतर अनुश्रवण हेतु सतर्कता विभाग ने बार चार्ट के अनुसार समाप्ति के निर्धारित समयसीमा के संबंध में परियोजना के विकास से संबंधी सभी आवश्यक निविष्टयों के साथ परियोजना अनुश्रवण प्रणाली मॉड्यूल के विकास हेतु सुझाव दिया है ताकि किसी परियोजना के समाप्ति के निर्धारण हेतु एमआईएस रिपोर्ट जेनेरेट किया जा सके।

राजभाषा प्रोन्नयन

डीवीसी राजभाषा विभाग, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप हिंदी पुस्तकों की खरीद, तिमाही बैठकों का आयोजन करना, नराकास बैठकों में प्रतिभागिता, विभिन्न इकाईयों में निर्धारित निरीक्षण तथा प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन, राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन, वॉयस टाइपिंग पर प्रशिक्षण प्रदान कर निगम में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन करने में नए मानकों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।

कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति में प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। भाषा प्रशिक्षण के अलावा,चंद्रपुरा में प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कार्य के विभिन्न पहलूओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। वर्ष के दौरान हिंदी माध्यम में कुल 24 व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए। डीवीसी ने मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के बीच हिंदी ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र हिंदी शिक्षण योजना, सरकार के सहयोग से स्थापित किया है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षेत कार्यसाधक ज्ञान को विकसित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु अलग कार्यशालाएँ आयोजित किया गया। इन कार्यशालाओं में, प्रतिभागियों को राजभाषा में दैनिक कार्यालयीन कार्य के लिए नियमित अभ्यास कराया जाता है। उपर्युक्त के अलावा ,पूरे वर्ष के दौरान कुल 16(सोलह) कार्यशालाएँ संचालित की गई। उपर्युक्त तिमाही रिपोर्ट और राजभाषा नीति के महत्व के संबंध में विशेष राजभाषा कार्यशालाएं का आयोजन किया गया जिसमें 1202 कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की।

हिन्दी दिवस/माह भी 14.09.2021 से 30.09.2021 तक मनाया गया जिसमें अनेक प्रतियोगिताएं जैसे आशुभाषण, भावपल्लवन, हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन, कविता पाठ और प्रश्नोत्तरी से संबंधित हिन्दी में कार्यालयीन कार्य निष्पादन हेतु आयोजित किए गये। बड़ी संख्या में हिंदीत्तर तथा हिंदी भाषी कर्मचारियों ने प्रतियोगिता की और सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। एक संगोष्ठी "आजीविका में राजभाषा की भूमिका" विषय पर गूगल मीट की सहायता से दिनांक 20.08.2021 को आयोजित किया गया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा त्वरित अनुवाद प्रशिक्षण 24.09.2021 को आयोजित किया गया। अधिकतम कार्यालयीन कार्य हिन्दी में निपटाने की प्रक्रिया पर 'कंठस्थ' प्रशिक्षण का आयोजन 24.09.2021 आईआईटी, खड़गपुर से आमंत्रित संकाय द्वारा किया गया। "साहित्य उत्सव 2021" का आयोजन सुप्रसिद्ध लेखकों द्वारा 29.09.2021 को आयोजित किया गया। । इस अवसर पर "कवि सम्मेलन" का आयोजन 'नीलाम्बर', एक साहित्यिक संगठन द्वारा किया गया था। साथ ही मन्नू भंडारी की 'अंथाही गहराइयां' साहित्यिक रचना पर एकांकी नाटक का मंचन किया गया। विश्व अनुवाद दिवस के अवसर पर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा एक कार्यशाला 30.09.2021 को आयोजन किया गया। राजभाषा पत्रिका 'कल्याणी' का उद्घाटन 30.09.2021 को किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर 02.11.2021 को एक राजभाषा संगोष्ठी आयोजित किया गया। निगम की महिला कर्मचारियों के मध्य राजभाषा हिन्दी में रुचि विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08.03.2022 के अवसर पर एक "महिला कवि सम्मेलन" भी आयोजित किया गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, डीवीसी मुख्यालय को हिन्दी दिवस यानि 14.09.2021 के अवसर पर समग्र 'ग' क्षेत्र में 2019-20 और 2020-21 हेतु राजभाषा कार्यकलापों के उत्कृष्ट निष्पादन हेतु "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - प्रथम पुरस्कार" प्राप्त हुआ। पुरस्कारों एवं सम्मान के क्रम में दामोदर घाटी निगम के बोकारो तापिके, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्यों को आवृत करते हुए पूर्वी क्षेत्र में भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 18.12.2021 को वर्ष 2020-21 हेतु द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

डीवीसी को हिंदी दिवस के अवसर पर 2019-20 और 2020-21 के लिए राजभाषा कार्यकलापों हेतु "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - प्रथम पुरस्कार" प्राप्त हुआ

बोकारो टीपीएस, डीवीसी को वर्ष 2020-21 के लिए 18.12.2021 को भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार मिला।

स्वास्थ्य सेवाएँ

अस्पतालों/डिस्पेंसरियों/पीएच विभाग के कार्यकलाप हेतु 2021-22 का वार्षिक विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	रोगियों को प्रदान की गयी सेवाएँ		2021 - 22
1	आउटडोर उपचार		
	ओपीडी में उपचारित रोगियों की संख्या		
	क)	डीवीसी	153877
	ख)	गैर-डीवीसी	69651
2	इनडोर उपचार		
	उपचारित रोगियों की संख्या		
	क)	डीवीसी	2036
	ख)	गैर-डीवीसी	1968
3	किये गये ऑपरेशन		
	क)	प्रमुख	79
	ख)	गौण	3104
4	टीकाकरण कार्यक्रम		
		कुल लाभार्थी	6949
5	सीएसआर कार्यक्रम चिकित्सा चल इकाइयाँ (एमएमयू) शिविर		
	क)	समूहों की संख्या	50
	ख)	उपचारित/लाभांवित रोगियों की संख्या	6949
6	डॉक्टर शुल्क,बिस्तर प्रभार इत्यादि के माध्यम अर्जित राजस्व		Rs. 31,98,235

विभिन्न परियोजनाओं में डीवीसी की ग्यारह (11) चिकित्सा चल इकाइयां (एमएमयू) हैं। ग्रामीण आबादी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 में परिवार नियोजन शिविर, मुफ्त नेत्र शिविर, स्कूली स्वास्थ्य जाँच, जलजनित रोगों पर जागरुकता शिविर, कैंसर, मधुमेह आदि की जाँच हेतु कई शिविर आयोजित किये गये।

डीवीसी डीएसटीपीएस में कोविड-19 वैकसिनेशन शिविर

कोविड-19 वैकसिनेशन अभियान

सूचना अधिकार अधिनियम

डीवीसी में आरटीआई के कार्यान्वयन की प्रणाली को सुदृढ़ करने के क्रम में सचिवालय विभाग, डीवीसी, मुख्यालय, कोलकाता में एक आरटीआई सेल स्थापित किया गया। डीवीसी मुख्यालय के साथ-साथ डीवीसी के क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में सभी आरटीआई क्रियान्वयन के मामलों के लिए सीपीआईओ, डीवीसी मुख्यालय में एक नोडल अधिकारी (आरटीआई) सहित डीवीसी, कोलकाता में एक निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी तथा इसकी प्रमुख परियोजनाओं में क्षेत्रीय स्तर पर दस केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के लिए आरटीआई स्कंध नोडल बिन्दु के रूप में कार्यरत है।

डीवीसी ने अपने वेबसाइट www.dvc.gov.in लिंक - आरटीआई को पारदर्शी तथा सामान्य जन सुलभ बनाने के लिए नियमित अंतराल पर सक्रिय आधार पर पब्लिक डोमेन में सूचनाओं के स्वतः संज्ञान पर विशेष बल दिया है।

आरटीआई स्कंध ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पद्धति से आवेदन प्राप्त करता तथा तदनुसार उनका निपटान भी है।

डीवीसी मुख्यालय व 10 क्षेत्रीय परियोजनाओं में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आरटीआई आवेदन प्राप्त स्थिति निम्नानुसार है:

प्राप्त आरटीआई आवेदन (संख्या)	अस्वीकृत आरटीआई आवेदन (संख्या)	निपटान किये गये आरटीआई आवेदन (संख्या)
434	41	379

जन शिकायत

डीवीसी सीधे तौर पर शिकायत याचिका दाताओं या केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण एवं प्रबोधन प्रणाली (सीपीजीआरएएम) /पीएमओपीजी द्वारा अग्रेषित पीजी पोर्टल / डीएआरपीजी, एमओपी, डीओपीपीडब्ल्यू तथा अध्यक्षीय सचिवालय से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटान करता है।

जन शिकायत स्कंध ऑनलाइन पद्धति से आवेदन प्राप्त तथा तदनुसार उनका निपटान करता है।

वित्त वर्ष 2021- 22 के दौरान जन शिकायत आवेदनों की स्थिति

क्र.सं.	वित्त वर्ष 20-21 से अग्रेषित किये गये जन शिकायत आवेदन (संख्या)	प्राप्त जन शिकायत आवेदन (संख्या)	निपटान किये गये जन शिकायत आवेदन (संख्या)	अग्रेषित किये गये जन शिकायत आवेदन (संख्या)
1.	35	70	104	1

वित्त तथा लेखा

विगत वर्ष सहित चालू वर्ष 2021-22 हेतु निगम का वित्तीय परिणाम नीचे प्रस्तुत है :

(रू.करोड़ में)

	2021-22	2020-21
1. राजस्व आय		
i. विद्युत की बिक्री		
स्थायी घरेलू बिक्री	11345	6122
व्यवसायियों के माध्यम स्थायी निर्यात बिक्री	8880	9522
शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस [एसटीओए]	1178	1109
विनिमय एवं अन्य के माध्यम से बिक्री	396	444
कुल	21,799	17,197
ii. विविध आय [विद्युत]	979	1356
iii. कुल आय (i+ii)	**22,778**	**18,553**
2. राजस्व व्यय [विद्युत]		
i. ईंधन	11170	9734
ii. विद्युत की खरीद	1353	815
iii. कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ	2427	1331
iv. उत्पादन, वितरण, प्रशासन व अन्य व्यय	1481	1381
v. मूल्यह्रास	2697	2674
vi. उपभोक्ता बकाया तथा अन्य हेतु प्रावधान	155	11
3. प्रचालन लाभ [1(i)-2]	**2,515**	**1,251**
4. वित्त लागत	2341	2517
5. विद्युत पर चालू वर्ष का अधिशेष/(घाटा) [3+1(ii)-4]	1,154	90
6 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर अधिशेष/(घाटा)	263	212
7. अधिशेष / (घाटा) [5-6]	1,417	302
8. अपवाद मदें	-782	0
9. कर पूर्व लाभ [7-8]	635	302
10. आयकर (आस्थागित कर साख)	-	-
11. कर पश्चात् निवल अधिशेष / (घाटा) [9-10]	635	302
12. सकल लाभ [1(i)-2(i) से 2(iv)]	5,368	3,936

विद्युत की बिक्री

वर्ष के दौरान विगत वर्ष के 17,197 करोड़ रूपये से विद्युत की बिक्री में 21,799 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। बिक्री में वृद्धि का मुख्य कारण वर्ष 2017-18 के लिए वितरण शुल्क हेतु 2014-19 (ट्रू-अप) के लिए सीईआरसी द्वारा निर्गत आदेश तथा डब्लूबीआरसी आदेश को लागू करने के लिए 3644 करोड़ रूपये के विनियामक परिसंपत्तियों को मान्यता देना है।

विद्युत पर लाभ/हानि

चालू वित्त वर्ष के दौरान निगम ने विगत वर्ष के 90 करोड़ रूपये की तुलना में विद्युत उद्देश्य पर 372 करोड़ रूपये का अधिशेष प्राप्त किया। चालू वर्ष विद्युत अधिशेष रु. 372 करोड़ रुपये की असाधारण मद के एकमुश्त समायोजन के बाद 782 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ है।

ईंधन लागत

ईधन लागत- वर्ष के दौरान विगत वर्ष के 9,734 करोड़ रूपये से विद्युत लागत में 111,70 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई।

विद्युत पर प्रचालन व अनुरक्षण प्रभार

वित्त वर्ष 2020-21 हेतु प्रचालन व अनुरक्षण लागत तथा कर्मचारियों के लाभ लागत के प्रति 2,712 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 3,908 करोड़ रुपये की लागत हुई। लागत में वृद्धि का मुख्य कारण पेंशन तथा उपदान देयता, छुट्टी नकदीकरण हेतु देयता तथा सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना में वृद्धि है।

वित्त लागत

वर्ष के दौरान वित्त लागत में 2,519 करोड़ रुपये से 2,343 करोड़ रुपये तक की कटौती हुई।

द्रष्टब्य :- अल्पावधि उधार(वित्त लागत हिस्सा) पर ब्याज 2020 में मामला संख्या 15 तथा 2020 की अपील संख्या 170 में माननीय एपीटीईएल द्वारा पारित बाद के निर्णय दिनांक 28.01.2021 में झारखंड के स्थायी उपभोक्ताओं से संबंधित अप्रैल 2020 से जून 2020 तक अनुबंध प्रभारों के भुगतान का स्थगन लागत देखें जेएसईआरसी आदेश दिनांक 21.09.2020 के प्रति 0.65 करोड़ तथा पश्चिम बंगाल स्थायी उपभेक्ताओं हेतु मार्च 2020 तथा अप्रैल 2020 खपत माह हेतु देय तिथि स्थगन देखें मामला संख्या एसएम-22/20-21 डब्ल्यूबीईआरसी आदेश दिनांक 21.09.2020 की लागत के प्रति1.96 करोड़ रुपये शामिल है।

पूंजीगत लेखा

वर्ष के प्रारम्भ में पूँजीगत लेखा 5196 करोड़ रुपये शेष था। चालू वित्त वर्ष के दौरान पूँजीगत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सदस्यों की निधि की सारांशित स्थिति को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(रू.करोड़ में)

मद	केन्द्रीय सरकार	पश्चिम बंगाल सरकार	बिहार सरकार	कुल
प्रारम्भिक शेष	1,820	1,594	1,782	5,196
सिंचाई वस्तु पर पूँजीगत व्यय समायोजन				
कुल सदस्य निधि	1,820	1,594	1,782	5,196

तीन प्रतिभागी सदस्य सरकारों के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व डीवीसी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अनुमोदित किया गया:

केन्द्रीय सरकार:

वर्ष 2021-22 हेतु विद्युत उद्देश्य पर चालू वर्ष के 9.53 करोड़ रूपये के अधिशेष के साथ केन्द्र सरकार को यथा प्रोद्भूत 2.46 करोड़ की पूँजी पर ब्याज वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक 2344.42 करोड़ रूपये के निवल घाटा आगे लाने के प्रति समायोजन निगम द्वारा किया जाना है। उपर्युक्त समायोजन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा भुगतेय घाटा 2,332.43 करोड़ रुपये बनता है। यह राशि डीवीसी अधिनियम की धारा 37(2) के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार से प्राप्य है जो केन्द्रीय सरकार को परवर्ती लेखागत वर्ष(र्षों) में जमा किये जाने वाले बकायों के हिस्से के प्रति समायोजित किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल सरकार :

विद्युत उद्देश्य पर 9.53 करोड़ रूपये तथा सिंचाई उद्देश्य पर 268.86 करोड़ रूपये के चालू वर्ष अधिशेष सहित वर्ष 2021-22 हेतु पश्चिम बंगाल सरकार पर उपार्जित 4.30 करोड़ रूपये पूँजी पर ब्याज कुल मिलाकर 282.69 करोड़ रूपये तथा वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 7.07 करोड़ रूपये का बाढ़ नियंत्रण पर घाटा वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक 1191.06 करोड़ रूपये के अग्रेनित निवल घाटा के प्रति निगम द्वारा समायोजित किया जाना है। उपर्युक्त समायोजन के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भुगतेय घाटा 915.44 करोड़ रूपये बनता है।

डीवीसी अधिनियम की धारा 37(2) के प्रावधानों के अनुसार यह राशि पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्य योग्य है जिसे परवर्ती लेखा वर्ष(र्षों) पश्चिम बंगाल सरकार के खाता में बकाया शेयरों के प्रति साख में समायोजित किया जाएगा।

बिहार सरकार:

विद्युत उद्देश्य पर 9.53 करोड़ रुपये के चालू वर्ष के अधिशेष सहित वर्ष 2021-22 हेतु बिहार सरकार पर कुल उपार्जित 2.26 करोड़ रुपये की पूँजी पर ब्याज पर कुल 12.57 करोड़ को वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में 2362.33 करोड़ रुपये के निवल घाटा के प्रति निगम द्वारा समायोजित किया जाना है। उपर्युक्त समायोजन के पश्चात् बिहार सरकार भुगतेय शेष घाटा 2349.76 करोड़ रुपये बनता है। डीवीसी अधिनियम की धारा 37(2) के प्रावधानों के अनुसार यह राशि बिहार सरकार से प्राप्य योग्य है जिसे परवर्ती वर्षों में बिहार सरकार के खाता में बकाया शेयरों के प्रति साख में समायोजित किया जाएगा।

सामान्य आरक्षित निधि

31 मार्च, 2022 को 2,973 करोड़ रुपये शेष है। विगत वर्ष 2,938 करोड़ रुपये के आंकड़े में 35 करोड़ रुपये अधिशेष स्थानांतरण के कारण वृद्धि हुई।

पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि

31 मार्च, 2022 को 5,127 करोड़ रुपये शेष है। विगत वर्ष की तुलना में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निवल लाभ

2021-22 के अंत तक निगम का शुद्ध लाभ विगत वर्ष की समनुरूप अवधि के 5,807 करोड़ रुपये की तुलना में 6,739 करोड़ रुपये (5,127 करोड़ रुपये की पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि छोड़कर) हुआ।

दीर्घावधि उधार

विगत वर्ष के 15,804 करोड़ रुपये के आंकड़ों की तुलना में 31 मार्च, 2022 को 15,677 करोड़ रुपये शेष रहा। वित्तीय संस्थानों से परियोजना विशिष्ट ऋण के पुनर्भुगतान के कारण मुख्यत: यह कमी हुई। ब्रेक-अप का विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया है :

(रु. करोड़ में)

परियोजना ऋण	2021-22	2020-21
जमायती ऋण		
वित्तीय संस्थान का नाम		
पावर फिनांस कॉर्पोरेशन(पीएफसी)	2,270	4,221
ग्रामीण विद्युतीकरण(आरईसी) - टी एण्ड डी	-	527
ग्रामीण विद्युतीकरण(आरईसी) -बीटीपीएस-ए	1,907	2,063
बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण - आरटीपीएस (पीएफसी ऋण विकल्प)	1,010	1,248
पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास व वित्तीय कॉर्पोरेशन लिमिटेड डब्ल्यूबीआईडीएफसीएल (आरटीपीएस- I)	368	459
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत 9.30 % पीएसयू बॉण्ड	4,400	4,400
बैंक संकाय से सिंडिकेट ऋण - एफजीडी	945	205
बैंक ऑफ इंडिया से ऋण-डीएसटीपीएस	1594	
बैंक ऑफ इंडिया से ऋण – तुबेद कोयला ब्लॉक	67	
पंजाब एवं सिंध बैंक से ऋण	435	
उपजोड़ : जमानती ऋण	**12,996**	**13,123**
गैर-जमानती ऋण		
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत 8.69 % पीएसयू बॉण्ड	2,600	2,600
ड्रिप हेतु भारत सरकार ऋण	80	80
भारत सरकार से आरवीपी ऋण	1	1
उपजोड़: गैर-जमानती ऋण	**2,681**	**2,681**
कुल	**15,677**	**15,804**

ऋण सूची करारों के सेवी परिपत्र सं. सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/18/2013 दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 तथा खंड 2 ए के अनुसरण में डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण :

सीरिज - 14	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एपीजे हाउस, 6ठा तल, वेस्ट विंग, 3, दिनसाव वक्चा रोड, चर्च गेट, मुम्बई– 400020. दूरभाष सं. : 022-4302 5555, फैक्स सं. : 022-2204 0465 ई-मेल आईडी: ajit.joshi@sbicaptrustee.com
सीरिज - 15	कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड. जीडीए हाउस, प्लॉट सं. 85, भुसारी कॉलोनी (राइट), पाउद रोड, पुणे – 411038. दूरभाष सं. : 020-2528 0081 फैक्स सं. : 020-2528 0275 ई-मेल आईडी: dt@ctltrustee.com

अन्य दीर्घावधि देयताएँ

मार्च, 2021 में रु. 1108 की तुलना में मार्च, 2022 को अन्य दीर्घावधि देयताओं पर शेष बढ़कर रु.1483 करोड़ रह गई है जो परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु प्रतिभूति जमा व प्रतिधारण राशि एवं पूँजी व्यय में वृद्धि के कारण हुई है।

(रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
प्रतिभूति जमा व प्रतिधारण राशि	1075	823
प्रतिभागी सरकारों को भुगतेय ब्याज	9	9
नियत परिसम्पतियों हेतु पीएसडीएफ सरकारी अनुदान	129	128
पूँजीगत व्यय हेतु भुगतेय (गैर-चालू)	270	148
कुल	**1483**	**1108**

दीर्घावधि प्रावधान

दीर्घावधि प्रावधान में मुख्यतः कर्मचारियों को भुगतेय अवकाश नकदीकरण लाभ तथा सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ में वृद्धि के कारण मार्च 2021 के 93 करोड़ रूपये से मार्च 2022 में 685 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई।

अल्पावधि उधार

1 अप्रैल, 2021 को 6,213 करोड़ रुपये की राशि शेष थी। इसमें 31 मार्च, 2022 तक 9,603 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यत: बैंक सुविधा के उपयोग में वृद्धि के कारण हुई। विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(रु. करोड़ में)

वित्तीय संस्थानों के नाम	2021-22	2020-21
अल्पकालिक पूरक ऋण:		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	600	600
बैंक ऑफ इंडिया	1,800	1,750
कैनरा बैंक	600	-
आंध्रा बैंक	500	250
बैंक ऑफ बड़ौदा	700	900
इलाहाबाद बैंक		150
सिंडिकेट बैंक	-	-
पंजाब नेशनल बैंक	500	100
भारतीय बैंक	300	-
कुल अल्पकालीन पूरक ऋण	**5,000**	**3,750**
एचडीएफसी बैंक से अप्रतिभूति पूरक ऋण	**900**	**-**
नकद उधार	**3,703**	**2,463**
कुल अल्पकालिक उधार	**9,603**	**6,213**

व्यवसाय भुगतेय

विगत वर्ष के 4,223 करोड़ रुपये के ऑंकड़ों की तुलना में 31 मार्च, 2022 को व्यवसाय भुगतेय 1,429 करोड़ रुपये है। कमी का कारण वर्ष के दौरान कोयला तेल हेतु फुटकर लेनदारों में कमी है।

(रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
ईंधन	883	3,734
विद्युत व यूआई की खरीद	162	127
कार्य ठेका, उपभोज्य आपूर्ति तथा अन्य विविध	384	362
कुल	**1,429**	**4,223**

अन्य चालू देयताएँ

अन्य चालू देयताएँ विगत वर्ष 4,530 करोड़ रुपये की तुलना में से 31 मार्च, 2022 को 5,045 करोड़ रुपये तक रही।

अल्पावधि प्रावधान

शुल्क समायोजन , कर्मचारी लाभ एवं दीर्घावधि अनुबंध के कारण अल्पावधि प्रावधान हेतु देयता विगत वर्ष के 71 करोड़ रूपये की तुलना में 31 मार्च 2022 को 993 करोड़ रूपये तक रही। अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि रोजगार के बदले क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान तथा रिलायंस इनफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड को भुगतेय दीर्घावधि अनुबंध में वृद्धि के कारण है।

नियत परिसम्पत्तियों

मूर्त परिसम्पत्तियों (निवल) में विगत वर्ष की 24,720 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च, 2022 को 22,587 करोड़ रुपये है। नियत परिसम्पतियों का ब्रेक-अप निम्नानुसार है ;

(रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
मूर्त परिसम्पत्तियॉं (निवल)	22,587	24,720
अमूर्त परिसम्पत्तियां (निवल)	-	11
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	4,500	2,620
विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	-	-
कुल	**27,087**	**27,351**

अप्रचलित निवेश

निगम का कुल अप्रचलित निवेश 31 मार्च, 2022 को 557 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में अप्रचलित निवेश में कोई परिवर्तन नहीं है।

(रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
संयुक्त उद्यम कम्पनियॉं	547	547
अन्य कम्पनियॉं	10	10
कुल	**557**	**557**

संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश

मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल)

मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन 26-07-2000 को डीवीसी तथा बीएसईएस लिमिटेड के बीच हुआ तथा एमपीएल से बीएसईएस लिमिटेड के निष्कासन के बाद टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड ने मैथन, झारखण्ड में 1050 मेवा (2 x 525 मेवा)विद्युत संयंत्र के निर्माण हेतु डीवीसी (26%) तथा टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (74%) की साझेदारी के साथ संयुक्त ईंधन साझेदार के रूप में 02.09.2005 को प्रवेश किया। दोनों इकाइयां चालू कर दी गयी हैं तथा वाणिज्यिक प्रचालन आरम्भ हो चुका है। 31 मार्च,2022 तक डीवीसी ने एमपीएल में 392.32 करोड़ इक्विटी निवेश किया है। संक्षिप्त वित्तीय आंकड़े निम्नानुसार है :

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22 (रुपये करोड़ में)	वित्त वर्ष 2020-21 (रुपये करोड़ में)
सकल आय/कुल राजस्व	2804.66	2,520.53
कर के पश्चात कुल व्यापक आय	280.50	311.96
प्रति शेयर आय (मूल)	1.86	2.06

बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएससीएल)

बीपीएससीएल 17-08-2001 को गठित हुआ था तथा बोकारो स्टील, झारखण्ड में सेल के विद्यमान कैप्टिव विद्युत संयंत्र चलाने हेतु 25.01.2002 से प्रत्येक द्वारा 50% इक्विटी प्रतिभागिता सहित डीवीसी तथा सेल के संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित हुआ।

बीपीएससीएल की कुल संस्थापित क्षमता 338 मेवा /2180 टन स्टीम पीएच है तथा उत्पादित कुल विद्युत सेल के बोकारो स्टील संयंत्र को आपूर्ति कर दी जाती है। विद्युत की आपूर्ति के अतिरिक्त, बीपीएससीएल बोकारो इस्पात संयंत्र को वाष्प भी आपूर्ति करता है।

31 मार्च 2022 तक इक्विटी में डीवीसी का निवेश 124.02 करोड़ रुपये है।

कम्पनी को वित्तीय विशिष्टताएँ निम्नानुसार है :

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22 (रुपये करोड़ में)	वित्त वर्ष 2020-21 (रुपये करोड़ में)
सकल आय/कुल राजस्व	775.58	752.03
कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्)	72.93	80.41
प्रति शेयर आय (मूल)	2.95	3.24

डीवीसी एम्टा कोल माइन्स लिमिटेड (डीईसीएमएल)

डीवीसी को अपने विद्युत संयंत्रों हेतु कोयला खनन के लिए कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया गया था। खनन प्रचालन विकसित करने के लिए डीवीसी ने 13-04-2005 को एम्टा के साथ एक संयुक्त उद्यम करार तथा संयुक्त उद्यम कम्पनी में प्रवेश किया। डीईसीएमएल डीवीसी (26%) तथा एम्टा (74%) की इक्विटी प्रतिभागिता के साथ 05.07.2005 को गठित हुआ। यद्यपि, डीवीसी की इक्विटी प्रतिभागिता नकद को छोड़कर कोयला ब्लॉकों के खाते में की गयी है। बरजोरा (उत्तर) तथा खगरा – जयदेव नाम के दो कोयला ब्लॉक को उपर्युक्त संयुक्त उद्यम कम्पनी के अधीन लिया गया था।

यद्यपि, माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी कोयला ब्लॉक वर्ष 2014-15 के दौरान गैर आबंटित किये गए। 31-03-2022 को डीईसीएमएल की कुल प्रदत्त इक्विटी पूँजी का 26% डीवीसी की इक्विटी पूँजी 26 लाख रुपये (रुपये 10 प्रत्येक के 2,60,000 शेयर) है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएलपीएल)

डीवीसी, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रत्येक द्वारा 25% इक्विटी अंशदान सहित 22-05-2009 को एक संयुक्त कम्पनी गठित की गयी थी। तदनंतर सीपीआरआई को भी संयुक्त उद्यम कम्पनी में शामिल किया गया तथा संयुक्त उद्यम में प्रत्येक की पुनरीक्षित इक्विटी प्रतिभागिता 20% है। देश में शॉर्ट सर्किट जॉच सुविधाएँ हेतु ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी किये जाने हेतु संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन किया गया है।

31-03-2021 को डीवीसी ने कम्पनी में 30.40 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

दामोदर घाटी पर्यटन विकास प्राइवेट लिमिटेड (डीवीटीडीपीएल)

दामोदर घाटी क्षेत्र में पर्यटन मास्टर प्लानिंग, पर्यटन परियोजना तैयारी तथा पर्यटन परियोजनाओं हेतु परियोजना विकास के लिए डीवीसी तथा आईएल एण्ड एफएस आईडीसी लिमिटेड के बीच 50:50 की इक्विटी हिस्सेदारी पर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी डीवीटीडीपीएल का गठन किया गया था। कम्पनी का गठन 03-08-2007 को किया गया था। भारत सरकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी 2022 के अनुसरण में डीवीसी तथा आईएल एंड एफएस लिमिटेड के मध्य संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स दामोदर वैली ट्यूरिज्म डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम कंपनी के रेजिस्टर से हटा लिया गया है तथा उक्त कंपनी 3 फरवरी 2022 से समाप्त हो गया है। निगम ने संयुक्त उद्यम कंपनी में 0.23 करोड़ रूपये का निवेश किया है।

एमएएमसी लिमिटेड

कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कार्यालयीन परिसमापक से एमएएमसी लिमिटेड की परिसम्पत्तियॉ अर्जित करने के लिए बीईएमएल, सीआईएल तथा डीवीसी के बीच अन्य संयुक्त उद्यम प्रक्रिया में है। डीवीसी ने इसके लिए 33.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। संयुक्त उद्यम का गठन तथा संयुक्त उद्यम करार का अंतिम रूप दिया जाना प्रगति पर है। .

पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी)

पीटीसी, भारत में विद्युत व्यवसाय समाधान प्रावधानित करने वाला अग्रदूत, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भिक पब्लिक – प्राइवेट साझेदार के रूप में वर्ष 1999 में स्थापित किया गया जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में व्याप्त वाणिज्यिक अस्थायी विद्युत बाजार को विकसित करना था। डीवीसी ने 10 करोड़ रुपये की एक राशि हेतु पीटीसी के इक्विटी शेयर में निवेश किया है।

एकल आधार पर कम्पनी की वित्तीय विशिष्टताएँ निम्नानुसार है :

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22 (रुपये करोड़ में)	वित्त वर्ष 2020-21 (रुपये करोड़ में)
डीवीसी इक्विटी में निवेश	10.00	10.00
सकल आय/कुल राजस्व	15631.39	16,963.29
कर के पश्चात् कुल व्यापक आय	434.78	410.96
प्रति शेयर आय (मूल)	14.35	13.86

दीर्घकालिक ऋण तथा अग्रिम

31 मार्च 2022 को दीर्घकालिक ऋण तथा अग्रिम की राशि 31 मार्च, 2021 की 729 करोड़ रुपये की तुलना में 646 करोड़ रुपये हैं। यह कमी मुख्यत: पूँजी अग्रिम में कमी के कारण हुई है।

वर्तमान निवेश

बैंक तथा एफएल राशि सहित अल्पावधि जमा 8.35 करोड़ रुपये।

सामान-सूची

2021-22 में सामान-सूची में 2020-21 से 200 करोड़ रुपये की कमी हुई। सामान सूची में कोयले की कमी के परिणामस्वरूप भंडार स्तर समाप्त हो गया।

(रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
ईंधन-कोयला	598	848
ईंधन-तेल व नैप्था	83	65
खुले पूर्जे व अन्य	2	4
भंडारण व पूर्जे	977	947
कुल	1,660	1,864
घटाएँ, प्रावधान	175	179
कुल	**1,485**	**1,685**

व्यवसाय प्राप्ययोग्य

विवरण	2021-22 (रुपये करोड़ में)		2020-2021 (रुपये करोड़ में)	
	विद्युत	सिंचाई	विद्युत	सिंचाई
क. छह माह से अधिक अवधि हेतु बकाया ऋण				
गैर जमानती, अच्छा माना गया	1,577	-	6,506	82
संदिग्ध माना गया	835	87	978	87
घटाएँ, खराब व संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	835	87	978	87
ख. छह माह से कम अवधि हेतु बकाया ऋण				
गैर जमानती, अच्छा माना गया	6,123	82	1,001	18
संदिग्ध माना गया				
घटाएँ, खराब व संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान				
कुल (क+ख)	**7,700**	**82**	**7,507**	**100**

31 मार्च, 2022 को विद्युत की आपूर्ति खाते में कुल 8,535 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 8,485 करोड़ रुपये) की कुल बकाया राशि (सकल) में 6,025 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 2,293 करोड़ रुपये) का अनबिल्ड राजस्व शामिल नहीं है।

31 मार्च, 2022 को 165 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 187 करोड़ रुपये) का औद्योगिक तथा घरेलू विद्युत के लिए जल की आपूर्ति हेतु कुल बकाया राशि (सकल) में 14 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 10 करोड़ रुपये) का अनबिल्ड राजस्व शामिल नहीं है।

नकद तथा नकद समतुल्य

(रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
चालू लेखा	198.55	110.67
नकद शेष	0.06	0.09
अग्रदाय	0.14	0.14
कुल	**198.75**	**110.90**

अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम

31 मार्च 2022 को 534 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2021 को अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम की राशि 592 करोड़ रुपये रही।

पूँजीगत व्यय-निधियन पद्धति

(रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	राशि	%	राशि	%
स्त्रोत				
क. सदस्य निधि- पूँजी	5,196	19.18	5,196	19.00
ख. बाजार से ऋण, केन्द्रीय ऋण व अन्य	16,675	61.56	16,702	61.06
ग. आंतरिक संसाधन	89	0.33	326	1.19
घ. पूनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	5,127	18.93	5,127	18.75
कुल (क+ख+ग+घ) :	27,087	100.00	27,351	100.00
उपयोगिता				
मूर्त परिसम्पत्तियॉं(निवल)	22,587	83.39	24,720	90.38
अमूर्त परिसम्पत्तियॉं	-	-	11	0.04
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4,500	16.61	2,620	9.58
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियॉं	-	-	-	-
कुल	**27,087**	**100**	**27,351**	**100**

टिप्पणी : विगत वर्ष के ऑंकड़े आवश्यकतानुसार पुन: संशोधित/पुनर्गठित किये गये हैं।

1. सकल मूर्त परिसम्पत्तियों में नियत परिसम्पत्तियों की पुनर्मूल्यांकन लागत शामिल है।

आय का नियोग

(रू. करोड़ में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	राशि	%	राशि	%
ईंधन	11,170	48.36	9,734	51.76
कर्मचारी लाभ	2,436	10.55	1,340	7.13
प्रचालन व अनुरक्षण तथा सामान्य प्रशासनिक प्रभार	1,680	7.27	1,422	7.56
विद्युत की खरीद	1,353	5.86	815	4.33
मूल्यह्रास	2,698	11.68	2,675	14.22
वित्त लागत	2,343	10.14	2,519	13.39
अपवाद मदें	782	3.39	-	0.00
वर्तमान कर / आस्थगित कर	-	0.00	-	0.00
बचत	635	2.75	302	1.61
कुल	**23,097**	**100.00**	**18,807**	**100.00**
आय	**23,097**	**100.00**	**18,807**	**100.00**

मूल अनुपात

विवरण	2021-22	2020-21
1. वृद्धि (%)		
(i) प्रचालन से राजस्व में वृद्धि (विद्युत)	26.76	(-)3.77
(ii) मूर्त परिसम्पतियॉं (निवल) कारोबार अनुपात(विद्युत)	117.58	83.19
(iii) देनदारों में वृद्धि (विद्युत + जल)	2.29	(-) 4.48
(iv) सामान सूची (ईंधन) में वद्धि/(कमी)	(-) 5.42	(-) 33.54
2.लाभप्रदता (%)		
(i) सकल मुनाफा /बिक्री (विद्युत)	24.63	22.89
(ii) प्रचालन लाभ - विद्युत /कुल आय	13.56	6.74
(iii) निवल लाभ/(हानि) - विद्युत/ कुल आय-विद्युत	1.63	0.49
3. शोधन क्षमता/देयताएँ		
(i) निवल मूल्य अनुपात पर घाटा (पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर)	2.33	2.72
(ii) चालू अनुपात	1.08	0.95
(iii) त्वरित अनुपात	0.99	0.84
4. कारोबार अनुपात		
(i) सामान सूची धारित- ईंधन (दिनों में)	22	34
(ii) धारित देनदार (माह में) (विद्युत)	4.24	5.24

टिप्पणी : विगत वर्ष के ऑंकड़े जहॉं अपेक्षित हो पुन: संशोधित व पुनर्गठित किये गये हैं।

चयनित वित्तीय सूचना

(रु.करोड़ में)

	2021-22	2020-21	2019-20
राजस्व आय			
विद्युत की बिक्री	21,799.31	17,197.34	17,870.30
जल की बिक्री	305.91	253.74	237.95
रेन्टल एंड व्हीलिंग			-
अन्य आय	991.67	1,355.66	504.74
कुल	**23,096.89**	**18,806.74**	**18,612.99**
राजस्व आय			
ईंधन	11,169.89	9,733.61	9,716.13
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	4,116.22	2,762.39	2,876.54
विद्युत खरीद की लागत	1,353.07	814.59	1,277.70
अवधि पूर्व व्यय- अन्य	शून्य	(0.16)	(1,157.00)
कुल	**16,639.18**	**13,310.43**	**12,713.37**
मूल्यह्रास, ब्याज और कर के पूर्व लाभ	**6,457.71**	**5,496.31**	**5,899.62**
मूल्यह्रास	2697.89	2,674.86	2,706.83
ब्याज और कर के पूर्व लाभ	**3,759.82**	**2,821.45**	**3,192.79**
ब्याज तथा वित्त प्रभार	2342.93	2,519.49	2,837.91
कर के पूर्व लाभ (हानि)	**1,416.89**	**301.96**	**354.88**
अपवाद मदें	**782.00**		
आस्थगित कर/चालू कर	शून्य	शून्य	169.56
कर पश्चात लाभ(हानि)	**634.89**	**301.96**	**185.32**
स्वामित्व धारण			
सकल वित्त परिसम्पत्तियॉं	59,432.84	58,882.25	57,816.42
घटाएँ मूल्यह्रास	36,845.77	34,161.97	31,534.29
निवल ब्लॉक	22,587.07	24,720.28	26,282.13
अमूर्त परिसम्पत्तियॉं	0.06	10.87	12.61
डब्ल्यूआईपी पूँजी	4,499.79	2,619.92	2,805.44
निवेश, दीर्घकालिक अग्रिम आदि	1,251.55	1,286.57	1,202.91
चालू परिसम्पत्तियॉं, ऋण तथा अग्रिम	18,443.97	14349.23	14,772.31
कुल निवल परिसम्पत्तियॉं	**46,782.44**	**42,986.87**	**45,075.40**
स्वामित्व धारण			
दीर्घकालिक ऋण	15,677.39	15,804.06	16,803.35
आस्थगित कर/चालू कर	-	-	-
अन्य गैर चालू देयताएँ तथा प्रावधान	2,168.05	1,200.97	855.14
कार्यरत पूँजी ऋण	9,603.28	6,212.62	9,280.67
चालू देयताएँ तथा प्रावधान	7,467.59	8,824.22	7,739.48
राजस्व खाता/ सरकारी चालू पूँजी खाता			
कुल देयताएँ	**34,916.31**	**32,041.87**	**34,678.64**
अन्य			
घटाएँ अमूर्त परिसम्पत्तियॉं	0.06	10.87	12.61
कुल स्वामित्व	**11,866.07**	**10,934.13**	**10,384.15**
द्वारा प्रतिनिधित्व			
पूँजी-साझेदार सरकार	5,196.20	5,196.20	5,196.20
आरक्षित निधियॉं	6,669.93	5,748.80	5,200.56
घटाएँ विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियॉं	0.06	10.87	12.61
कुल	**11,866.07**	**10,934.13**	**10,384.15**

टिप्पणी : विगत वर्ष के आंकड़े अपेक्षानुसार पुन: संशोधित व पुनर्गठित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा विवरणी
2021-22

दामोदर घाटी निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) नियमावली, 1948 की धारा 47 तथा दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अधीन हमने दामोदर घाटी निगम(डीवीसी) के 31 मार्च 2022 तक के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निगम का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत रखना है।

भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा का नियोजन एवं निष्पादन इस प्रकार करें कि इन तथ्यों की जांच हो सके कि वित्तीय विवरण में वस्तुगत गलतबयानी नहीं हुई है। परीक्षण आधार पर जांच, वित्तीय विवरणों में दर्ज राशि तथा प्रकटीकरण को समर्थित करने वाले साक्ष्य लेखापरीक्षा में शामिल होते हैं। वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखागत नीतियों तथा किये गये सार्थक आकलनों का मूल्यांकन करना भी लेखापरीक्षा में शामिल होता हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करती है।

अपने लेखापरीक्षा के आधार पर हम, हम प्रतिवेदन करते हैं कि:

i. हमनें सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक थे;

ii. इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण दाघानि अधिनियम,1948 की धारा 47 तथा दामोदर घाटी निगम नियमावली, 1948 के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रारूप में तैयार किए गए है;

iii. हमारी जांच के हिसाब से निगम द्वारा दाघानि अधिनियम, 1948 के अनुसार वांछित एवं यथा अपेक्षित लेखाओं की उपयुक्त बहियों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का उचित रखरखाव किया गया है; निम्नलिखित विवरणों को छोड़कर;

तुलन - पत्र

परिसंपत्तियाँ

चालू परिसंपत्तियाँ

नकदी तथा नकदी समतुल्य (टिप्पणी - 20) : 198.75 करोड़ रूपए

1 (क) फरवरी -2020 से मार्च 2022 के दौरान उपभोक्ताओं से डीवीसी के बैंक खाते में ईबीए के माध्यम से सीधे प्राप्त ऊर्जा प्रभारों की गणना नहीं होने के कारण इसे रु. 36.28 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार प्राप्तियों में भी उसी राशि तक की अधिक बयानी हुई है।

(ख) विद्युत संयंत्रों हेतु एफजीडी उपकरण की आपूर्ति के प्रति एल सी के माध्यम से किये गये भुगतानों की गणना नहीं होने के कारण यह शेष 49.67 करोड़ रूपये तक अधिक दर्शाया गया है। इनवॉइस/ बिलों तथा एसआरआईएन के विवरण नहीं होने के कारण, परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर इनके प्रभाव की जांच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

(ग) वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक प्रोसेसिंग शुल्क के प्रति निगम के नकद जमा खाते से पंजाब नेशनल बैंक(पूर्व में यू बी आई) द्वारा 1.25 करोड़ रुपये की राशि 15.06.2021 सीधे काट ली गयी। डीवीसी ने बताया कि बैंक द्वारा काटी गयी प्रोसेसिंग शुल्क डीवीसी से संबंधित नहीं थी। उन्होंने रकम की वापसी हेतु बैंक से अनुरोध किया है। यद्यपि, यह राशि 10 अगस्त, 2022 को बोर्ड द्वारा लेखे के अनुमोदित होने तक वापस (वापस जमा) नहीं की गयी थी। अतएव, उपर्युक्त शेष में उतनी राशि अधिक दर्शायी गयी है।

लाभ एवं हानि विवरण

राजस्व

प्रचालन से राजस्व(टिप्पणी-23)

विद्युत की आपूर्ति : 21,799.31 करोड़ रुपये

2. अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2021 तक (21.72 करोड़ रूपये) तथा जनवरी से मार्च 2022 तक(2.91 करोड़ रूपये) की अवधि के दौरान मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) से विद्युत की लागत के प्रति "बिल रहित राजस्व" के रूप में दर्ज 24.63 करोड़ रूपये की राशि इसमें सम्मिलित है । एमपीएल ने सीईआरसी के दिनांक 8 जनवरी 2022 के शुल्क दर आदेश के आधार पर मार्च से मई 2022 के दौरान बिलों की उगाही की है। डीवीसी ने एमपीएल द्वारा उगाहे गये बकाया विद्युत प्रक्रय लागत को 'व्यय' के रूप में परिकलित किया है तथा साथ ही उसे 'बिल रहित राजस्व ' के रूप में 'राजस्व' में यह प्रत्याशित करते हुए जमा किया है कि इसकी वसूली वितरण शुल्क दर क रूप में कर ली जाएगी । वास्तविकता यह है कि डीवीसी राज्य विनियम आयोगों (एसईआरसी) द्वारा अधिसूचित मौजूदा शुल्क दर के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति बिल जारी करती है। विगत वर्षों में विद्युत प्रक्रय पर आयी लागत की वसूली, डीवीसी द्वारा दायर की जाने वाली याचिकाओं के आधार पर, सीईआरसी द्वारा जारी समायोजित (ट्रूइंग अप) शुल्क दर आदेश के अनुसार की जाती है ।

अतएव, विनियमन आयोगों द्वारा जारी किसी शुल्क दर के बगैर ही पूरी राशि को राजस्व मान लेने का परिणाम, प्रचालन से राजस्व के अतिरिक्त दर्शाने में हुआ है । इसके परिणामस्वरूप लाभ तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों (बिल – रहित राजस्व) दोनों में ही प्रत्येक में 24.63 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त रूप से दर्शाया गया है।

अन्य आय (टिप्पणी-24)

विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस): 571.95 करोड़ रूपए

3. डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा पारित(मार्च/ जून 2020) शुल्क दर आदेश के आधार पर 2006-2013 की अवधि हेतु 10 औद्योगिक उपभोक्ताओ पर जनवरी 2021 से जून 2021 के दौरान डीवीसी द्वारा निर्गत किये गये विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस) बिलों के रूप में 66.39 करोड़ रूपए का योग इसमें शामिल है ।

विद्युत अधिनियम 2003 (जून 2003 से प्रभावी) लागू होने के बावजूद, डीवीसी ने अपने शुल्क दर के निर्धारण के लिए सीईआरसी / राज्य आयोगों से विनियामक संपर्क नहीं किया तथा डीवीसी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार अपने शुल्क दरों का निर्धारण करता रहा । शुल्क दर निर्धारण के लिए डीवीसी के प्राधिकार को विभिन्न अदालतों में चुनौती दी गयी थी तथा अंततः भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर, डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा 2006-2013 की अवधि हेतु शुल्क दर निर्धारित किया गया । इसके फलस्लवरूप , डीवीसी ने बकाया भुगतानों के प्रति उपभोक्ताओं को डीपीएस सहित बिल जारी किया । डीवीसी के उपर्युक्त निर्णय को उपभोक्ताओं ने कलकत्ता के उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमें न्यायालय ने दिनांक 24-01-2022 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया कि अंतिम शुल्क दर निर्धारण के पश्चात पहली बार बिल जारी किये गये थे, अतः डीपीएस प्रभारित करना अवैध तथा आधारहीन है, और इस प्रकार डीपीएस शामिल करते हुए डीवीसी द्वारा जारी बिलों को निरस्त एवं रद्द किया जाता है।

अतएव, न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण आदेश के बावजूद तथा इसकी अपनी लेखागत नीतियों जो कहती है कि (संदर्भ कंडिका 13.3) "डीपीएस तभी मान्य होगा यदि उसकी उगाही में किसी प्रकार का संदेह न हो ।" को उल्लघंन करते हुए डीपीएस को मान्यता के परिणामस्वरूप चालू परिसम्पत्तियों (व्यापार प्राप्ति) के अतिरिक्त विवरण के समतुल्य 66.39 करोड़ रुपये तक लाभ के बताये जाने से उपर्युक्त शीर्ष में भी अधिक बयानी हुई है ।

व्यय

विद्युत प्रकय की लागत (टिप्पणी-25)

विनियम के माध्यम से विद्युत की खरीद : 342.19 करोड़ रूपये

4. अगस्त 2021, माह के दौरान, पावर एक्सचेंज- आईईएक्स से विद्युत प्रक्रय की लागत की परिगणना नहीं होने के कारण 23.24 करोड़ रूपये कम दर्शाया गया है, जिसके लिए एसबीआई, कॉरपोरेट एकाउंट शाखा,कोलकाता में विद्यमान आईईएक्स सेटलमेंट एकाउंट के माध्यम उसी माह में ऑन-लाइन भुगतान किया गया था ।

इसके परिणामस्वरूप उक्त वर्ष हेतु लाभ में रु. 23.24 करोड़ रुपए की अधिक बयानी हुई और साथ ही उसी सीमा तक नकदी तथा नकदी समतुल्य को भी अधिक दर्शाया गया ।

प्रचालन तथा अनुरक्षण एवं सामान्य प्रशासनिक प्रभार (टिप्पणी-29)

राख निष्क्रमण तथा उपयोगिता व्यय : 166.28 करोड़ रूपये

5. सितम्बर 2021 में ऐश डाइक के टूटने के कारण, मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (एमटीपीएस) मे फसलों तथा कृषियोग्य भूमि की क्षति के प्रति देयताओं का प्रावधान नहीं होने के कारण यह 20 करोड़ रूपये तक कम दर्शाया गया है। नैशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल के आदेश के अनुसार अनंतिम रूप से यह राशि 36.88 करोड़ रूपये आँकी गयी थी। दावा के लंबित अंतिम मूल्यांकन के पूर्व डीवीसी ने एनजीटी के आदेश (9 मई 2022) के अनुसार अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में डीएम, बांकुड़ा के पास 20 करोड़ रूपये जमा किया ।अतएव लेखे में जमा की गयी राशि की सीमा तक देयताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

   उपर्युक्त का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप 20 करोड़ रुपये तक लाभ अधिक दर्शाया गया।

लेखे पर टिप्पणियां :-

6 (क). डीवीसी द्वारा दायर ए.आर.आर. याचिका के आधार पर, डब्ल्यूबीईआरसी ने अप्रैल 2017 के बाद से प्रभावी कर तथा डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा अगला आदेश जारी किये जाने तक वर्ष 2017-18 हेतु शुल्क दर आदेश (5 मई,2022) पारित किया। कथित शुल्क दर आदेश में, डब्ल्यूबीईआरसी ने डीवीसी को कुछ अतिरिक्त व्यय करने की अनुमति दी थी। तदनुसार, डीवीसी ने 1767.62 करोड़ रुपये को बिल रहित राजस्व तथा 136.75 करोड़ रुपये को इलेक्ट्रिक ड्यूटी के रूप में दर्ज किया। फलस्वरूप, इसने उपभोक्ताओं को बिल जारी किया जिसे विद्युत की अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) में चुनौती दी गयी। अधिकरण (ट्राईब्यूनल) ने अपने दिनांक 21 जून 2022 के आदेश द्वारा बकायों के भुगतान पर रोक लगा दी। चूँकि, दर्ज राजस्व विवादित हो गया था इसकी अहमियत को देखते हुए, लेखो में इस संबंध में एक उचित प्रकटीकरण किया जाना चाहिए था।

(ख) व्यापार प्राप्ति (टिप्पणी -19) में बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) से प्राप्ययोग्य 341.77 करोड़ की राशि शामिल है, जो बीवाईपीएल द्वारा इस आधार पर विवादित था कि डीवीसी ने डीपीएस के विगत बकायों के प्रति भुगतान के समायोजन के बाद निकाले गये बकाया राशि (अक्तूबर 2011 से जनवरी 2017) तथा उसके साथ मूल राशि पर डीवीसी परिगणना किया था। पहले डीपीएस तथा उसके बाद मूल राशि के प्रति भुगतान के समायोजन की नीति ना ही बीवाईपीएल के साथ निष्पादित पीपीए में उल्लिखित थी और न ही सीईआरसी द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश / अनुदेश में इसका उल्लेख किया गया था। सीईआरसी ने बाद में इलेक्ट्रिसिटी (एलपीएससी) नियम 2021 अधिसूचित (22 फरवरी, 2021) किया जिसमें उपर्युक्त नीति अधिसूचना की तिथि से लागू की गयी थी। यद्यपि, डीवीसी ने इस संबंध में अनुकूल निर्णय पारित करने हेतु सीईआरसी के समक्ष याचिका (319/एमपी/2019) दायर किया जो अभी लंबित है। इस तथ्य को लेखे में दर्शाया जाना चाहिए।

iv. इस प्रतिवेदन से संबंधित निगम के तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं ;

v. हमारे विचार, तथा जानकारी एवं हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे, लेखागत नीतियों एवं उन पर की गयी टिप्पणियों के साथ पठित, तथा अनुलग्नक में, उल्लिखित हमारी अभ्युक्तियों के साथ एक सही और निष्पक्ष दृष्टि प्रस्तुत करते है :

   1. जहां तक कि यह 31 मार्च, 2022 तक निगम के मामलों से संबंधित तुलन-पत्र से संबंधित है; तथा

   2. जहां तक कि यह उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ / हानि के लाभ व हानि विवरण से संबंधित है।

(सुपर्णा देब)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक

1. आभ्यंतरीय लेखापरीक्षा प्रणाली

निगम अपने विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों की कार्रवाइयों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य के साथ आभ्यंतरीय लेखापरीक्षा स्कंध का प्रचालन करता रहा है। वर्ष 2021 -22 के दौरान, 339 प्रतिष्ठानों में से 240 प्रतिष्ठानों में (वार्षिक, द्विवार्षिक और त्रिवार्षिक सहित) आभ्यंतरीय लेखापरीक्षा संचालित किये जाने की आवश्यकता थी। वास्तव में, विशेष लेखापरीक्षा सहित 241 प्रतिष्ठानों में ही लेखापरीक्षा संचालित किया गया। अपर्याप्त कार्मिकों के कारण (20 के एसएस के प्रति 11 का एमआईपी) लेखापरीक्षा के आसार तथा अवसर सीमित थे।

2. आभ्यंतरीय नियंत्रण प्रणाली

आभ्यंतरीय नियंत्रण प्रणाली को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है ;

- विभिन्न ऋणों व अग्रिमों का समायोजन तथा इनके शेषों का समाधान :
- अपने नकद तथा बैंक बही के साथ बैंक लेन देन के आवधिक मिलान की प्रणाली
- लेनदारों /देनदारों के साथ आंकड़ो के मिलान की प्रणाली

3. नियत परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

12 इकाइयों (नैगम कार्यालय समेत) में से वर्ष 2021-22 हेतु दो इकाइयों (रघुनाथपुर ताप विद्युत केंद्र तथा मेजिया ताप विद्युत केंद्र) की नियत परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जांच हेतु लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया गया। अन्य 10 इकाइयों के संबंध में लेखा परीक्षा को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी।

4. वस्तु-सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संचालित सामान सूचियों (कोयला छोड़कर) का भौतिक सत्यापन अपर्याप्त रही। 12 इकाइयों में से चार इकाइयों (दुर्गापुर इस्पात ताप विद्युत केंद्र, चन्द्रपुरा ताप विद्युत केंद्र, दुर्गापुर ताप विद्युत केंद्र तथा मैथन परियोजना) का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जांच हेतु लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया गया।

5. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की पर्याप्तता

निगम में अभी भी ईआरपी प्रणाली लागू किया जाना है। यद्यपि, इसने डीवीसी नैगम कार्यालय समेत विभिन्न इकाइयों में संयंत्र अनुरक्षण कार्यकलाप, क्रय एवं भण्डारण, वित्त एवं लेखा, ईंधन प्रबंधन प्रणाली आवृत्त करते हुए एक अनुकूल इंटरप्राइज बिजनेस एप्लीकेशन (ईबीए) का संस्थापन एवं क्रियान्वयन किया है।

(सुपर्णा देब)

महानिदेशक sलेखापरीक्षा (खान), कोलकाता

लेखा विवरणी
2021-22

31.03.2022 को तुलन पत्र

(रू. करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	31.03.2022					31.03.2021				
		विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	अन्य कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	अन्य कार्यकलाप	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I इक्विटी तथा देयताएँ											
(1) सरकारी निधि											
(क) पूंजी	2	5,081.64	95.09	19.47	-	5,196.20	5,081.64	95.09	19.47	-	5,196.20
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	5,665.69	1,059.18	(54.94)	-	6,669.93	5,008.97	788.10	(48.27)	-	5,748.80
(2) अप्रचलित देयताएँ											
(क) दीर्घकालिक उधार	4	15,596.07	-	-	81.32	15,677.39	15,722.45	-	-	81.61	15,804.06
(ख) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	6	1,466.54	15.41	0.60	0.01	1,482.56	1,092.10	15.37	0.60	0.01	1,108.08
(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	7	4.80	-	-	680.69	685.49	5.30	-	-	87.59	92.89
(3) चालू देयताएँ (क) अल्पकालिक उधार	8	9,603.28	-	-	-	9,603.28	6,212.62	-	-	-	6,212.62
(ख) व्यापार भुगतेय	9	1,421.33	0.03	-	7.47	1,428.83	4,209.62	0.03	-	13.54	4,223.19
(ग) अन्य चालू देयताएँ	10	3,992.08	1.39	0.41	1,051.55	5,045.43	3,799.82	0.14	0.36	730.12	4,530.44
(घ) अल्पकालिक प्रावधान	11	867.35	-	-	125.98	993.33	42.99	-	-	27.60	70.59
कुल						**46,782.44**					**42,986.87**

31.03.2022 को तुलन पत्र

(रू. करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	31.03.2022					31.03.2021				
		विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	अन्य कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	अन्य कार्यकलाप	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II परिसम्पत्तियाँ											
(1) अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ											
(क) नियत परिसम्पत्तियाँ											
(i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	12	18,539.96	3,646.84	400.27	-	22,587.07	20,672.42	3,647.13	400.73		24,720.28
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	12	-	-	-	0.06	0.06	2.80	-	-	8.07	10.87
(iii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	13	4,419.00	32.09	48.70	-	4,499.79	2,541.15	31.31	47.46		2,619.92
(iv) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ विकास के अधीन	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) अप्रचलित निवेश	14	557.23	-	-	-	557.23	557.23	-	-	-	557.23
(ग) दीर्घकालिक ऋण तथा अग्रिम	15	688.61	-	-	5.71	694.32	723.60	-	-	5.74	729.34
(घ) अन्य अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31.03.2022 को तुलन पत्र

(रू. करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	31.03.2022					31.03.2021				
		विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	अन्य कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	अन्य कार्यकलाप	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(2) चालू परिसम्पत्तियाँ											
(क) चालू निवेश	17	8.35	-	-	-	8.35	4.48	-	-	-	4.48
(ख) सामानसूची	18	1,484.56	-	-	-	1,484.56	1,685.22	-	-	-	1,685.22
(ग) व्यपार प्राप्य योग्य	19	7,699.90	81.64	-	-	7,781.54	7,506.88	100.10	-	-	7,606.98
(घ) नकद तथा नकद सम्तुल्य	20	42.28	-	-	156.47	198.75	25.77	-	-	85.13	110.90
(ड़) अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम	21	451.36	-	-	82.58	533.94	512.42	-	-	79.95	592.37
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	22	8,378.21	14.37	-	44.25	8,436.83	4,302.19	9.95	-	37.14	4,349.28
कुल						**46,782.44**					**42,986.87**

उल्लेखनीय लेखागत नीतियाँ - 1

अरूप सरकार
सदस्य (वित्त)

आर.एन. सिंह
अध्यक्ष

31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि विवरण

(रू. करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी	31.03.2022				31.03.2021			
			विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राजस्व:									
I	प्रचालन से राजस्व	23	21,799.31	305.91	-	22,105.22	17,197.34	253.74	-	17,451.08
II	अन्य आय	24	979.25	10.98	1.44	991.67	1,355.48	0.09	0.09	1,355.66
III	कुल राजस्व (I + II)		**22,778.56**	**316.89**	**1.44**	**23,096.89**	**18,552.82**	**253.83**	**0.09**	**18,806.74**
IV	व्यय:									
	विद्युत प्रक्रय की लागत	25	1,353.07	-	-	1,353.07	814.59	-	-	814.59
	ईंधन की लागत	26	11,169.89	-	-	11,169.89	9,733.61	-	-	9,733.61
	कर्मचारी लाभ व्यय	27	2,427.45	5.04	3.18	2,435.67	1,331.20	5.35	3.87	1,340.42
	वित्त लागत	28	2,340.89	1.44	0.60	2,342.93	2,517.47	1.42	0.60	2,519.49
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		2,697.19	0.38	0.32	2,697.89	2,673.76	0.54	0.56	2,674.86
	प्रचालन व अनुरक्षण तथा सामान्य प्रशासनिक प्रभार	29	1,635.75	40.39	4.41	1,680.55	1,391.95	25.78	4.24	1,421.97
	पूर्व अवधि मद (निवल)		-	-	-	-	**(0.16)**	-	-	**(0.16)**
	कुल व्यय		**21,624.24**	**47.25**	**8.51**	**21680.00**	**18,462.42**	**33.09**	**9.27**	**18,504.78**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि विवरण

(रू. करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी	31.03.2022				31.03.2021			
			विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	अपवादात्मक तथा असाधारण मदों के पूर्व लाभ/ (हानि) तथा कर (III - IV)		1,154.32	269.64	(7.07)	1,416.89	90.40	220.74	(9.18)	301.96
VI	अपवादात्मक मदें		782.00	-	-	782.00	-	-	-	-
VII	असाधारण मदों के पूर्व लाभ / (हानि) तथा कर (V - VI)		372.32	269.64	(7.07)	634.89	90.40	220.74	(9.18)	301.96
VIII	असाधारण मदें		-	-	-	-	-	-	-	-
IX	कर पूर्व लाभ / (हानि) (VII - VIII)		372.32	269.64	(7.07)	634.89	90.40	220.74	(9.18)	301.96
X	कर व्यय :									
	(1) चालू कर		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-	-	-	-	-	-	-
XI	निरंतर प्रचालन से अवधि हेतु लाभ (हानि) (IX - X)		**372.32**	**269.64**	**(7.07)**	**634.89**	**90.40**	**220.74**	**(9.18)**	**301.96**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि विवरण

(रू. करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी	31.03.2022				31.03.2021			
			विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	प्रचालन स्थगन से लाभ / (हानि)									
XIII	प्रचालन स्धगन का कर व्यय									
XIV	प्रचालन स्थगन से लाभ / (हानि) (कर पश्चात्) (XII - XIII)		-	-	-	-	-	-	-	-
XV	अवधि हेतु लाभ (हानि) (XI + XIV)		372.32	269.64	(7.07)	634.89	90.40	220.74	(9.18)	301.96
XVI	शोधन निधि तथा ऋण पत्र उनमोचन आरक्षित निधि		308.82	-	-	308.82	90.40	-	-	90.40
XVII	सामान्य अरक्षित		34.92	-	-	34.92	-	-	-	-
XVIII	पूँजी आरक्षित		-	-	-	-	-	-	-	-
XIX	उप जोड़ (XVI + XVII + XVIII)		**343.74**	**-**	**-**	**343.74**	**90.40**	**-**	**-**	**90.40**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि विवरण

(रू. करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी	31.03.2022				31.03.2021			
			विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XX	केन्द्रीय सरकार को आबंटित		9.53	-		9.53	-	-		-
XXI	पश्चिम बंगाल सरकार को आबंटित		9.53	268.86	(7.07)	271.32	-	220.10	(9.18)	210.92
XXII	बिहार सरकार को आबंटित		9.53	0.78	-	10.31	-	0.64	-	0.64
XXIII	उप जोड़ (XX + XXI + XXII)		**28.59**	**269.64**	**(7.07)**	**291.16**	**-**	**220.74**	**(9.18)**	**211.56**
XXIV	कुल (XIX + XXIII)		**372.32**	**269.64**	**(7.07)**	**634.89**	**90.40**	**220.74**	**(9.18)**	**301.96**

अरूप सरकार
सदस्य (वित्त)

आर.एन. सिंह
अध्यक्ष

31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणी

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022		31.03.2021	
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ, समायोजन तथा असाधारण मदें		634.89		301.96
समायोजन हेतु :				
मूल्यह्रास / परिशोधन	2,697.89		2,674.86	
ब्याज तथा अन्य वित्तीय प्रभार	2,342.93		2,519.49	
ब्याज आय	(3.78)		(15.27)	
लाभांश से आय	(19.90)		(110.11)	
नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	(34.22)	4,982.92	(1.25)	5,067.72
कार्यकारी पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालनगत लाभ		5,617.81		5,369.68
समायोजन हेतु : चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि) / कमी				
व्यापार तथा अन्य प्राप्य योग्य	(32.18)		388.81	
सामान सूची	205.02		435.53	
ऋण तथा अग्रिम	(275.89)		691.89	
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	(3,936.08)	(4,039.13)	(433.01)	1,083.22
समायोजन हेतु : चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)				
व्यापार भुगतेय	(2,598.73)		966.24	
अल्प कालिक प्रावधान	927.97		(42.41)	
दीर्घकालिक प्रावधान	592.60		-	
अन्य चालू देयताएँ	485.09	(593.07)	321.29	1,245.12
प्रचालन से नकद उगाही		985.61		7,698.02
प्रत्यक्ष कर		(50.58)		(0.35)
आयकर वापसी पर ब्याज		(0.40)		(12.33)
प्रचालनगत कार्यकलापों से निवल नकद - क		1,036.59		7,710.70
ख. निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह				
नियत परिसम्पत्तियों से प्रक्रय	(2,198.43)		(902.39)	
नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री	44.39		1.71	

31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणी

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022		31.03.2021	
निवेशों की खरीद	(4.94)		(1.02)	
निवेशों की बिक्री	1.08		0.94	
ब्याज प्राप्त	3.38		2.94	
लाभांश प्राप्त	19.90		110.11	
निवेशित क्रियाकलापों में व्यवहृत निवल नकद - ख		**(2,134.62)**		**(787.71)**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह				
दीर्घकालिक ऋण का आहरण	910.53		204.64	
दीर्घकालिक ऋण का पुनर्भुगतान	(937.15)		(1,537.34)	
अल्पकालिक ऋण तथा नकद जमा में वृद्धि/(ह्रास)	3,390.66		(3,068.05)	
ब्याज भुगतान व अन्य वित्त प्रभार	(2,178.16)		(2,498.49)	
वित्तीय क्रियाकलापों - ग से निवल नकद प्रवाह		1,185.88		(6,899.24)
नकद तथा नकद समतुल्य (क + ख + ग) में निवल वृद्धि / (ह्रास)		87.85		23.75
अवधि के आरम्भ में नकद और नकद समतुल्य [टिप्पणी नीचे (क)]		110.90		87.15
अवधि के अंत पर नकद और नकद समतुल्य [टिप्पणी नीचे (क)]		198.75		110.90
टिप्पणी :-				
क) नोट-20 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण में नकद तथा नकद समतुल्य सम्मिलित है		198.75		110.90
तीन माह से अधिक मैच्युरिटी सहित बैंक जमा		शून्य		शून्य
कुल		**198.75**		**110.90**

ख) उपर्युक्त शेष में उपयोग के लिए अनुपलब्ध कोई राशि शामिल नहीं है।

ग) पिछले वर्ष के ऑकड़ा को जहॉ भी आवश्यक समझा गया, पुनर्व्यवस्थित / पुन: समूहित किया गया है।

अरूप सरकार
सदस्य (वित्त)

आर.एन. सिंह
अध्यक्ष

31 मार्च,2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. उल्लेखनीय लेखागत नीतियाँ

1. लेखागत पद्धतियाँ

वित्तीय विवरण नियत परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा डीवीसी अधिनियम, 1948 के प्रासंगिक प्रावधानों को छोड़कर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखागत पद्धतियों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन लेखा प्रणाली के बीमांकिक आधार पर तैयार किये जाते हैं।

2. प्राक्कलन का व्यवहार

वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों. देयताओं, राजस्व तथा व्यय की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करने वाले प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमान की अपेक्षा होती है। हालांकि, सभी उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए उचित तथा यथोचित आधार पर इन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों को तैयार किया जाता है फिर भी वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं तथा इन भिन्नताओं की पहचान उस समय होती है जब इन परिणामों को निश्चित रूप दी जाती है।

3. सामान्य आरक्षित निधि

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से, विद्युत अधिशेष निम्नलिखित रूप में विनियोजित किया जाता है :-

क) प्रथम ऋण प्रभार के रूप में शोधन निधि का आवंटन

ख) उपर्युक्त (क) के समायोजन के पश्चात् सामान्य आरक्षित निधि - 55%

ग) उपर्युक्त (क) के समायोजन के पश्चात् 45% विभाजन अधिशेष के रूप में प्रतिभागी सरकारें

4. ऋण शोधन निधि

4.1 31 मार्च, 2012 तक जारी किये गये बॉण्ड

बॉण्डों के मोचन हेतु शोधन निधि में प्रतिवर्ष समानुपातिक वार्षिकी प्रावधानित करते हुए शोधन निधि का सृजन किया गया है। यह राशि निगम द्वारा खुद व्यवहार की जाती है अतएव उस शोधन निधि लेखा में वार्षिक तौर पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जमा की जाती है।

4.2 1 अप्रैल, 2012 से जारी बॉण्ड

बांडों के मोचन हेतु शोधन निधि में प्रतिवर्ष समानुपातिक वार्षिकी प्रावधानित करते हुए शोधन निधि का सृजन किया गया है। राशि को एसक्रो पद्धति के माध्यम से प्रबंधित तथा संचालित किये जाने के लिए पृथक निधि लेखा में रखा जाएगा। ऐसी निधि के निवेश पर ब्याज वार्षिक आधार पर शोधन निधि खाता में जमा की जाएगी।

बॉण्डों की मैच्यूरिटी पर पुनर्भुगतान के पश्चात् एक समतुल्य राशि दोनों मामलों में सामान्य आरक्षित निधि को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

5. नियत परिसंपत्तियाँ

5.1 नियत परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण के ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है।

5.2 जहाँ नियत परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, परिसम्पत्तियों को पुनर्मूल्यन लागत पर दर्शाया गया है।

31 मार्च,2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. उल्लेखनीय लेखागत नीतियाँ

5.3 परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत व्यय पूरे होने की अवधि तक पूँजीगत कार्य प्रगति पर या जब व्यवहार तथा तत्पश्चात् नियत परिसम्पत्तियों में अंकित किये गये हैं।

5.4 एक उत्पादक इकाइयों से अधिक सामान्य परिसम्पत्तियों तथा प्रणालियों का अभियांत्रिकी मूल्यांकन के आधार पर पूँजीकृत किया गया है।

5.5 भूमि धारण के सापेक्ष प्रतिपूर्ति, पुनर्वासन तथा अन्य व्यय के प्रति अनंतिम रूप से किये गये जमा, भुगतान/देयताएँ भूमि की लागत के रूप में दर्शाये गये हैं।

6. निर्माण कार्य प्रगति पर

6.1 कमीशिंग के अधीन परियोजनाएँ तथा प्रगति पर अन्य पूँजीगत कार्य लागत में रखे गये हैं।

6.2 निर्माण के अधीन परियोजनाओं, के संबंध में, निर्माण के अधीन व्यवहार्य में नियत परिसम्पत्तियों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास शामिल करते हुए प्रासंगिक तथा आरोप्य व्यय (आय का निवल) , परियोजना चालू होने पर प्रमुख अचल परियोजना परिसम्पत्तियों पर आवंटित किये जाने के लिए निर्माण के दौरान भूमि को छोड़कर प्रासंगिक व्यय के रूप में रखे गये हैं।

6.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच के संबंध में व्यय पूँजीगत कार्य प्रगति पर में रखे गये हैं। ऐसा व्यय परियोजना की लागत के रूप में पूँजीकृत है। परियोजना के स्टार्ट-अप तथा चालू किये जाने पर उपगत व्यय, परीक्षण रन तथा प्रायोगिक उत्पादन पर उपगत व्यय सहित सामान्यतः निर्माण लागत के परोक्ष तत्व के रूप में पूँजीकृत किये जाते हैं।

6.4 आपूर्ति-सह-उत्थापन ठेकाओं के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त तथा स्वीकृत आपूर्तियों के मूल्य पूँजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में रखें गये हैं।

6.5 नियत परिसम्पत्तियों के निर्माण पर आरोप्य प्रशासन तथा सामान्य ऊपरी प्रभार व्यय उनके अभिप्रेत व्यवहार हेतु उपगत तैयारी तक संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत पर सुव्यवस्थित आधार पर प्रतिचिह्नित एवं आबंटित किये जाते हैं।

6.6 जमा कार्यों /संविदा लागत ठेकाओं को ठेकेदारों से प्राप्त लेखा विवरणी के आधार पर लेखागत किया गया है।

6.7 निर्माण परियोजनाओं द्वारा खपत की गयी बिजली को लागत पर प्रभारित किया गया है।

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियाँ तभी प्रतिचिह्नित की जाती हैं जब अनुमान हो कि भावी आर्थिक लाभ जो परिसम्पत्तियों पर आरोप्य योग्य है, निगम के पास उपलब्ध हैं तथा परिसम्पत्तियों की लागत विश्वसनीयता पूर्वक आंकी जा सके तथा ऐसी परिसम्पत्तियों को लागत पर दर्शायी जाती है।

8. निवेश

8.1 दीर्घ आवर्ती राशि अवधि निवेश लागत पर निर्धारित की जाती है। जब दीर्घ अवधि निवेश के लागत में कमी आती है, अस्थायी को छोड़कर कमी का पता लगाने के लिए घटा दी जाती है।

31 मार्च,2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. उल्लेखनीय लेखागत नीतियाँ

9. सामान सूची

9.1 कोयला तथा तेल को छोड़कर सामान सूचियाँ भारित औसत पर लागत पर निर्धारित होते हैं।

9.2 कोयला तथा तेल की समान सूचियाँ मालभाड़ा औसत लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

10. सहायता अनुदान

10.1 राजस्व व्यय के प्रति सरकार तथा अन्य अभिकरणों से अनुदान अवधि , जिसमें संबंधित लागत उपगत किये जाते हैं, के साथ दर्शायें तथा संबंधित व्यय से घटाये जाते हैं।

10.2 पूँजीगत परिसम्पत्तियों की खरीद से संबंधित अनुदान परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य में संबंधित परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य में कटौती के रूप में दर्शायी गयी है।

11. उधारी लागत

11.1 ऋण पर ब्याज भुगतान उपचित आधार पर राजस्व लेखा में प्रभारित किये जाते हैं।

11.2 परियोजना विशिष्ट ऋण के संबंध में. परियोजनाओं के चालू होने के पूर्व ब्याज प्रभारों का भुगतान पूँजीकृत किया जाता है तथा चालू होने की तिथि के पश्चात् भुगतेय ब्याज राजस्व लेखा में प्रभारित किये जाते हैं।

12. विदेशी मुद्राः

विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारम्भिक तौर पर लेनदेन की तिथि को विद्यमान विनिमय पर रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण वर्ष के अंत में विद्यमान विनिमय दरों के संदर्भ में प्रतिवेदित है तथा ऐसे विनिमय के परिणामस्वरूप तथा अचल परिसम्पत्तियों/कार्य प्रगति पर से संबंधित विदेशी मुद्रा में देयताओं के भुगतान/निष्पादन के कारण अंतर उनके रखाव लागत में समायोजित है तथा जो चालू परिसम्पत्तियों के संबंधित वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में प्रतिचिह्नित है।

13. राजस्व मान्यता

13.1 विद्युत की बिक्री केन्द्रीय विद्युत विनियिमन आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित तथा अपीलीय न्यायालय के आदेशों द्वारा यथा संशोधित यथा प्रयोज्य टैरिफ दरों के आधार पर लेखागत किये गये हैं। विद्युत केन्द्रों के मामले में, जहाँ टैरिफ दरों का अनुमोदन किया जाना अभी बाकी है, अनंतिम दरें स्वीकार की गयी हैं।

13.2 जल प्रभारों तथा अन्य प्रभारों से राजस्व उपभोक्ताओं के बिल के आधार पर लेखागत है तथा लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित अनबिल्ड राजस्व शामिल है

31 मार्च,2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. उल्लेखनीय लेखागत नीतियाँ

13.3 ऊर्जा की बिक्री हेतु विलंब भुगतान /बकाया फुटकर देनदारों पर अधिभार तब दर्शाये जाते हैं जब मूल्यांकन या संग्रहण की कोई विशिष्ट अनिश्चितता नहीं दिखती।

13.4 उपचय आधार पर ब्याज आय भी शामिल किये जाते हैं।

13.5 चालू किये जाने के पूर्व नयीं परियोजनाओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा उत्पादन के समय व्याह्न भारित औसत बिक्री मूल्य पर प्रभारित किये जाते हैं।

13.6 स्टील स्क्रैप के अलावा अन्य स्क्रैप को बिक्री के समय लेखागत किया जाता है।

13.7 लाभ की हानि हेतु बीमा दावा स्वीकृति के वर्ष में लेखागत किये जाते हैं। अन्य बीमा दावा उगाही की निश्चितता के आधार पर लेखांकित है।

14. व्यय

14.1 परिसम्पत्तियों की ऐतिहासिक लागत पर भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ.सं. 266ई दिनांक 29 मार्च, 1994 तथा एस.ओ. सं. 265 ई दिनांक 27 मार्च, 1994 द्वारा यथा अनुमोदित 10 % अवशिष्ट मूल्य सहित सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रभारित किये जाते हैं।

14.2 प्रदान की गयी पुनर्मूल्यांकित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास तथा मूल्यांकक द्वारा दिये गये दरें मूल्यों पर सीधी रेखा पद्धति पर आधारित है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर आधारित प्रदान की गया मूल्यह्रास के बीच अंतर तथा पुनर्मूल्यांकन आरक्षित लेखा पर प्रभारित की कोई ऐतिहासिक लागत नहीं है।

14.3 राजस्व लेखा में नियत परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास माह से/तक, जिसमें व्यवहार/निपटान/खारिज/गिराये जाने हेतु परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध हैं, के प्रथम द्रष्टया आधार पर दर्शाये गये हैं। यद्यपि निगम के लेखाओं में प्रकटीकरण तभी किया जाएगा. यदि निपटान, खारिज, गिराये गये या नष्ट किये गये किसी अवक्षयी परिसम्पत्तियों का निवल अधिशेष या कमी भौतिक है।

14.4 वर्ष के दौरान रु.5000/- से कम की खरीदी गयी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास वर्ष के दौरान शेष मूल्य रु. 1/- सहित पूर्णतः मूल्य ह्रसित आंकी जाएगी।

14.5 प्रचालनों की पुष्टि हेतु माध्यम आवधिक लाभ धारित विविध व्यय पाँच वर्षों की अवधि से अधिक परिशोधित किये गये हैं।

14.6 रोजगार के बदले अनुकम्पा आधार पर भुगतेय एक मुश्त प्रतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि से अधिक परिशोधित किये गये हैं।

14.7 अमूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में प्रतिचिह्नत सॉफ्टवेयर की लागत व्यवहार के वैधिक अधिकार की अवधि या 3 वर्षों, जो कम है, से अधिक परिशोधित की जाती है।

14.8 चालू वित्तीय वर्ष के पहले शुरू किये गये विद्यमान परियोजना के मामले में कारपेट कोयला खपत पर प्रभारित है। यद्यपि चालू किये जाने के अवधि के पूर्व, कारपेट कोयला को समानसूची में रखा जाता है तथा वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष में खपत के लिए प्रभारित किया जाता है।

15. कर्मचारी लाभ

15.1 पारिभाषित अंशदान योजना:

31 मार्च,2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. उल्लेखनीय लेखागत नीतियाँ

भविष्य निधि: भविष्य निधि में वर्ष के दौरान निगम के अंशदान भुगतान/भुगतेय को समेकित राजस्व लेखा विवरणी में दर्शाया जाता है। यह निधि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश तथा निगम द्वारा प्रबंधित की जाती है। निगम का भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सदस्यों को प्रतिफल एक न्यूनतम दर पर भुगतान का एक अनुबंध है।

नयी पेंशन योजना: 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् पदभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी के संबंध में पेंशन की भुगतान के प्रति निगम की अंशदाय आवश्यक है पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी(पीएफआरडीए) को मासिक आधार पर अंशदान जमा की जाती है।

15.2 पारिभाषित लाभ योजना: पेंशन व ग्रैच्युटी के प्रति निगम की देयताएँ स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है। ग्रैच्युटी की देयता एक पृथक ट्रस्ट के माध्यम परिशासित एक निधि में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार जमा करायी जाती है। अधिवर्षिता पर निगम पेंशन के संबंध में कर्मचारियों को भुगतान करता है, वापसी योग्य के रूप में ग्रैच्युटी जमा करा दी जाती है। तदनंतर, डीवीसी पेंशन व ग्रेच्युटी ट्रस्ट राशि की प्रतिपूर्ति करता है।

15.3 छुट्टी यात्रा सहायता, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा सेवानिवृति के बाद चिकित्सा सुविधाओं को उस वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में बिना छूट राशि पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिससे उन्हें भुगतान किया जाता है।

16. डाइवर्टेड-इन/ आउट वॉगन

16.1 डाइभर्टेड-आउट/ मिसिंग वॉगनों हेतु रेलवे दावा एकाउन्ट कोयले की लागत तथा वॉगनों पर आरोप्य किराया प्रभार सहित विकलित किया जाएगा। मिसिंग वॉगनों की प्राप्ति के मामलें में रेलवे दावा एकाउन्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। यद्यपि, बशर्ते कि तीन वर्षों से अधिक की अवधि हेतु मिसिंग वॉगन हों।

16.2 डाइभर्टेड-इन वॉगनों हेतु कोयला लागत की राशि तथा इन वॉगनों पर आरोप्य किराया प्रभार सहित रेलवे दावा एकाउन्ट को क्रेडिट दिया जाएगा तथा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

17. क्षीणता

17.1 नकद अर्जन इकाईयों की आवर्ती राशि प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में समीक्षा की जाती है जहाँ आंतरिक/वाह्य सूचकों पर आधारित क्षीणता का संकेत है। एक क्षीणता हानि लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है जहाँ वसूली योग्य राशि से आवर्ती राशि अधिक है तथा ऐसी हानि या तो अभी विद्यमान नहीं है या घट गयी है।

18. प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएँ

18.1 प्रावधान तब निर्धारित किये जाते हैं जब कंपनी के पास विगत अवसर के परिणाम स्वरूप वर्तमान उत्तरदायित्व होता है तथा यह संभावना होती है कि उत्तरदायित्वों के निपटान के लिए संसाधनों का आउटफ्लो अपेक्षित है तथा जिसके संबंध में एक भरोसेमंद आकलन किया जा सकता है। तुलन-पत्र तिथि में उत्तरवायित्वों का निर्वाह करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन आकलन के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण होता है तथा उनको वर्तमान मूल्य पर भुनाया नहीं जाता। प्रबंधन /स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा चालू प्रबंधन अनुमान दर्शाने के लिए समायोजित किये जाते हैं।

18.2 मामला-दर-मामला आधार पर अन्य संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान किये जाते हैं।अशोध्य घोषित ऋण उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन से बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

18.3 औद्योगिक तथा घरेलू उद्देश्य हेतु जल की आपूर्ति के लिए बकायों के मामलें में तीन वर्षों से अधिक के बकाया देयताओं के लिए प्रावधान बनाए गए हैं।

2. पूँजी

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022				31.03.2021			
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल
केन्द्रीय सरकार								
प्रारम्भिक शेष	1,813.67	-	7.00	1,820.67	1,813.67	-	7.00	1,820.67
जोड़ें - राजस्व लेखा से स्थानांतरण				-	-			-
उप जोड़	1,813.67	-	7.00	1,820.67	1,813.67	-	7.00	1,820.67
पश्चिम बंगाल सरकार								
प्रारम्भिक शेष	1,486.69	94.82	12.47	1,593.98	1,486.69	94.82	12.47	1,593.98
जोड़े - राजस्व लेखा से स्थानांतरण / वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		--		--
उप जोड़	1,486.69	94.82	12.47	1,593.98	1,486.69	94.82	12.47	1,593.98
बिहार सरकार								
प्रारम्भिक शेष	1,781.28	0.27	-	1,781.55	1,781.28	0.27	-	1,781.55
जोड़े - राजस्व लेखा से स्थानांतरण				-				-
उप जोड़	**1,781.28**	**0.27**	**-**	**1,781.55**	**1,781.28**	**0.27**	**-**	**1,781.55**
कुल	**5,081.64**	**95.09**	**19.47**	**5,196.20**	**5,081.64**	**95.09**	**19.47**	**5,196.20**

2. पूँजी

टिप्पणी

1. डीवीसी अधिनियम, 1948 (डीवीसी अधिनियम) के अनुसार, दामोदर घाटी निगम(निगम) की पूँजीगत आवश्यकता साझीदार सदस्य सरकारों द्वारा प्रावधानित की जाती है। 1968-69 तक रु. 214.72 करोड़ राशि की पूँजी प्रावधानित की गयी है। तत्पश्चात्, प्रत्यक्ष अंशदान के माध्यम से साझीदार सदस्य सरकारों द्वारा कोई पूँजी प्रावधानित नहीं की गयी, लेकिन पूँजीगत वृद्धि उनके संबंधित पूँजीगत लेखा के जमा सहित इन सरकारों के लाभ का हिस्से को पुनर्निवेश द्वारा ग्रहण की गयी।
2. 2011 में संसद द्वारा डीवीसी अधिनियम 1948, संशोधित किया गया, तथा इसे 9 जनवरी, 2012 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। डीवीसी बोर्ड की पुनर्सरचना की गयी तथा अध्यक्ष, सदस्य (तकनीकी), सदस्य (वित्त), सदस्य (सचिव), केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड सरकार प्रत्येक से एक प्रतिनिधि सदस्य तथा सिंचाई, जल आपूर्ति और उत्पादन अथवा पारेषण अथवा विद्युत वितरण क्षेत्र से तीन स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा गठित दस सदस्य इसका प्रतिनिधित्व करेंगे।
3. डीवीसी बोर्ड जो तीनों सरकारों के संबंधित पूँजीगत लेखाओं में प्रतिधारित ब्याज तथा लाभ के पुनर्निवेश को अंतरित करने का अनुमोदन प्रदान करता है। वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित साझीदार सदस्य सरकारों के माध्यम से संबंधित राज्य तथा केन्द्रीय विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु भी भेजे जाते हैं।
4. निगम ने पूर्व बिहार सरकार की पूँजीगत लेखा के पुनराबंटन हेतु भारत सरकार से बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार आवश्यक निर्णय हेतु पहल किया है जो अभी भी प्रतीक्षित है।

3. आरक्षित एवं अधिशेष

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022				31.03.2021			
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल
आरक्षित निधियाँ पूँजीगत निधि								
उप जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि विगत तुलन पत्र के अनुसार घटाएँ: वर्ष के दौरान मूल्याह्रास आरक्षित निधि को स्थानांतरण	5,127.31	-	-	5,127.31 -	5,127.31	-	-	5,127.31 -
उप जोड़	5,127.31	-	-	5,127.31	5,127.31	-	-	5,127.31
शोधन आरक्षित निधि विगत तुलन पत्र के अनुसार	3,501.91	-	-	3,501.91	2,984.18	-	-	2,984.18
जोड़ें: ब्याज साख	245.13	-	-	245.13	208.89	-	-	208.89
जोड़ें: अधिशेष से स्थानांतरण	308.82	-	-	308.82	90.40	-	-	90.40
जोड़ें: सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण	-	-	-	-	218.44	-	-	218.44
उप जोड़	**4,055.86**	**-**	**-**	**4,055.86**	**3,501.91**	**-**	**-**	**3,501.91**

3. आरक्षित एवं अधिशेष

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022				31.03.2021			
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल
राख उपयोगिता आरक्षित निधि								
विगत तुलन पत्र के अनुसार:	88.41	-	-	88.41	60.03	-	-	60.03
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन	41.40	-	-	41.40	28.39	-	-	28.39
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोगिता	9.33	-	-	9.33	0.01	-	-	0.01
उप जोड़	120.48	-	-	120.48	88.41	-	-	88.41
सामान्य आरक्षित निधि								
विगत तुलन पत्र के अनुसार	2,938.00	-	-	2,938.00	3,156.44	-	-	3,156.44
जोड़ें : अधिशेष से स्थानांतरण	34.92	-	-	34.92	-	-	-	-
घटाएँ : शोधन निधि को स्थानांतरण	-	-	-	-	218.44	-	-	218.44
उप जोड़	2,972.92	-	-	2,972.92	2,938.00	-	-	2,938.00
अधिशेष (सरकारी चालू पूँजीगत लेखा)								
विगत तुलन पत्र के अनुसार :								
केन्द्रीय सरकार	(2,346.86)	-	-	(2,346.86)	(2,349.32)	-	-	(2,349.32)
पश्चिम बंगाल सरकार	(1,933.67)	786.58	(48.27)	(1,195.36)	(1,936.15)	565.05	(39.48)	(1,410.58)
बिहार सरकार	(2,366.13)	1.52	0.01	(2,364.60)	(2,368.38)	0.87	0.01	(2,367.50)
उप जोड़	(6,646.66)	788.10	(48.26)	(5,906.82)	(6,653.85)	565.92	(39.47)	(6,127.40)

3. आरक्षित एवं अधिशेष

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022				31.03.2021			
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	कुल
वर्ष के दौरान समायोजन								
केन्द्रीय सरकार	2.46	-	-	2.46	2.46	-	-	2.46
पश्चिम बंगाल सरकार	2.48	1.43	0.39	4.30	2.48	1.43	0.39	4.30
बिहार सरकार	2.25	0.01	-	2.26	2.25	0.01	-	2.26
उप जोड़	7.19	1.44	0.39	9.02	7.19	1.44	0.39	9.02
वर्ष हेतु निवल लाभ/हानि का विनियोग (लाभ व हानि विवरणी के अनुसार)								
केन्द्रीय सरकार	9.53	-	-	9.53	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल सरकार	9.53	268.86	(7.07)	271.32	-	220.10	(9.18)	210.92
बिहार सरकार	9.53	0.78	-	10.31	-	0.64	-	0.64
उप जोड़	28.59	269.64	(7.07)	291.16	-	220.74	(9.18)	211.56
इतिशेष								
केन्द्रीय सरकार	(2,334.87)	-	-	(2,334.87)	(2,346.86)	-	-	(2,346.86)
पश्चिम बंगाल सरकार	(1,921.66)	1,056.87	(54.95)	(919.74)	(1,933.67)	786.58	(48.27)	(1,195.36)
बिहार सरकार	(2,354.35)	2.31	0.01	(2,352.03)	(2,366.13)	1.52	0.01	(2,364.60)
उप जोड़	**(6,610.88)**	**1,059.18**	**(54.94)**	**(5,606.64)**	**(6,646.66)**	**788.10**	**(48.26)**	**(5,906.82)**
कुल	**5,665.69**	**1,059.18**	**(54.94)**	**6,669.93**	**5,008.97**	**788.10**	**(48.27)**	**5,748.80**

3. आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष

1. लाभ का विनियोग /हानि का समायोजन

1.1 डीवीसी अधिनियम के धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार सीएण्डएजी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, वर्ष हेतु उपलब्ध लाभ के प्रति एक प्रथम प्रभार शोधन निधि है। शोधन निधि के प्रति विनियोग के पश्चात् उपलब्ध विद्युत अधिशेष का 55% सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। शेष 45% पर तीन साझेदार सरकारों यथाः केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा बिहार सरकार के मध्य समान रूप से वितरित वितरण योग्य अधिशेष के रूप में विचार किया गया है। विद्युत पर घाटा के मामले में, इसे प्रतिभागी सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, जो डीवीसी अधिनियम की धारा 37(2) के अनुसार उनके द्वारा वहन किया जाएगा।

1.2 भारत सरकार के मामलें में, शोधन निधि तथा सामान्य आरक्षित निधि के विनियोग, यदि हो, के पश्चात् विद्युत व्यवसाय में उपलब्ध अधिशेष का 1/3 हिस्सा, पूँजी पर ब्याज तथा धारित पूँजी के ब्याज पर लगे ब्याज पर पुनर्निवेशित निधि के रूप में विचार किये गये हैं तथा निगम के अनुमोदन से अनुवर्ती वर्ष के संबंधित पूँजीगत लेखा में अंतरित किये गये हैं। डीवीसी अधिनियम के अनुसार, विद्युत पर निवल घाटा संबंधित सरकार द्वारा विद्युत उद्देश्य पर आरोपित कुल लागत पूँजी में उनके निजी हिस्सों के अनुपात में पूरा किया जाएगा। तथापि, साझीदार सरकारों द्वारा अंशदायी कोई निधि की अनुपस्थिति में, विद्युत उद्देश्य पर निवल राजस्व घाटा या तो वही लेखागत वर्ष तथा/या भावी वर्षों में साझीदार सरकारों को उनका बकाया जमा के हिस्से से समायोजित की जाती है। परवर्ती वर्षों में साझीदार सरकारों से राजस्व घाटा निधि की प्राप्ति के मामलें में वही सरकारों के संबंधित पूँजी लेखा में पुनर्निवेश किया जाएगा।

1.3 पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में, सिंचाई उद्देश्य पर अधिशेष घाटा का हिस्सा, बाढ़ नियंत्रण उद्देश्य पर समग्र घाटा तथा कृषिगत जल की आपूर्ति हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्य जल बकाये को पूँजी पर ब्याज तथा धारित पूँजी के ब्याज पर लगे ब्याज के प्रति समायोजित किया गया है। तत्पश्चात् उपलब्ध निवल शेष पर पुनर्निवेशित निधि के रूप में विचार किया गया है तथा निगम के अनुमोदन से अनुवर्ती वर्ष के संबंधित पूँजीगत लेखा में अंतरित किया गया है। विद्युत पर निवल घाटा संबंधित सरकार द्वारा विद्युत उद्देश्य पर आरोपित कुल पूँजी में उनके निजी हिस्सों के अनुपात में पूरा किया जाएगा।

1.4. बिहार सरकार के मामले में, सिंचाई उद्देश्य पर अधिशेष मूल्यह्रास घाटा का हिस्सा उनके द्वारा प्रावधानित पूँजी पर जमा हुए ब्याज के प्रति समायोजित किया गया है। वितरण योग्य अधिशेष का 1/3 हिस्सा सहित उपर्युक्त के समायोजन के पश्चात् उपलब्ध शेष ब्याज राशि पर बिहार सरकार के संबंध में पुनर्निवेशित निधि के रूप में विचार किया गया है तथा निगम के अनुमोदन से अनुवर्ती वर्ष के संबंधित पूँजीगत लेखा में अंतरित किया गया है। विद्युत पर निवल घाटा संबंधित सरकार द्वारा विद्युत उद्देश्य पर आरोपित कुल पूँजी में उनके निजी हिस्सों के अनुपात में पूरा किया जाएगा।

2. शोधन निधि व डिवेंचर मोचन निधि

1 अप्रैल, 2021 को प्रारम्भिक शेष रु.3501.91 करोड़ (विगत वर्ष रु. 2984.18 करोड़) रहा। वर्ष के दौरान 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में रु. 245.13 करोड़ (विगत वर्ष रु. 208.89 करोड़.) की राशि जमा की गयी। वर्ष के दौरान रु.308.82 करोड़ (विगत वर्ष रु.308.84 करोड़.) की राशि का इस लेखा के सामान्य आरक्षित निधि से शोधन निधि में योगदान किया गया है। इस निधि का अलग लेखा निधि को उसी तरह जमा के बदले निगम द्वारा पूरी तरह उपयोग किया गया है तथा एस्क्रो मैकानिज्म के माध्यम संचालित किया गया

3. राख उपयोग आरक्षित

शुष्क उड़न राख से ब्रिकी प्रकिया के खर्च नहीं किये गये शेष को 31.03.2022 को 120.48 करोड़ रू. (विगत वर्ष 88.41 करोड़ रु) राख उपयोगिता आरक्षित शेष के खाते पर है। वर्ष के दौरान 9.33 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया

4. दीर्घकालिक उधार

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
दीर्घकालिक उधार बंधपत्र प्रतिभूति बंधपत्र भारत सरकार द्वारा मंजूरीकृत (निजी स्थान नियोजन आधार पर) 9.30% जमानती शोधन योग्य अपरिवर्तनीय असंचयी उन्मोचन (सीरिज-14 ए तथा 14बी) प्रकृति का कर योग्य बॉण्ड 4400 करोड़ रुपये प्रत्येक 10,00,000/- रुपये 30 मार्च, 2025 को 30%, 30 मार्च 2026 को 30% तथा 30 मार्च, 2027 को 40% शोध्य	4400	-	-	-	-	-	4400	4400	-	-	-	-	-	4400
अप्रतिभूति बंधपत्र भारत सरकार द्वारा मंजूरीकृत (निजी स्थान नियोजन आधार पर) 30 मार्च, 2026 को 30%, 30 मार्च, 2027 को 30% तथा 30 मार्च, 2028 को 40% शोध्य कुल रु.2600 करोड़ प्रत्येक रु.10,00,000/- का ऋण-पत्र (क्रम-15) के रूप में 8.69% जमानती शोधन योग्य अपरिवर्तनीय असंचयी कर योग्य बॉण्ड	2600	-	-	-	-	-	2600	2600	-	-	-	-	-	2600

4. दीर्घकालिक उधार

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
बैंकों से आवधिक ऋण (रुपये ऋण) प्रतिभूति	4,599.68	-	-	-	-	-	4,599.68	1,693.63	-	-	-	-	-	1,693.63
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण प्रतिभूति	4,993.80	-	-	-	-	-	4,993.80	7,926.18	-	-	-	-	-	7,926.18
भारत सरकार से ऋण अप्रतिभूति	-	-	-	1.46	80.15	-	81.61	-	-	-	1.75	80.15	-	81.90
कुल दीर्घकालिक उधार	16,593.48	-	-	1.46	80.15	-	16,675.09	16,619.81	-	-	1.75	80.15	-	16,701.71
घटाएँ : दीर्घकालिक ऋण का चालू परिपक्वता - टिप्पणी 10 में शामिल	997.41			0.29			997.70	897.36			0.29			897.65
निवल दीर्घकालिक उधार - (अप्रचलित)	15,596.07	-	-	1.17	80.15	-	15,677.39	15,722.45	-	-	1.46	80.15	-	15,804.06

4. दीर्घकालिक उधार

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022 की स्थिति		31.03.2021 की स्थिति	
	अप्रचलित	प्रचलित	अप्रचलित	प्रचलित
क. जमानती ऋण का विवरण (दीर्घकालिक) **बंधपत्र** 1) भारत सरकार द्वारा मंजूरीकृत (निजी स्थान नियोजन आधार पर) 9.30% जमानती शोधन योग्य अपरिवर्तनीय असंचयी उन्मोचन (सीरिज-14 ए तथा 14बी) प्रकृति का कर योग्य बॉण्ड रुपये प्रत्येक 10,00,000/- रुपये मार्च, 2025 को (30%), मार्च 2026 को (30%) तथा मार्च, 2027 को (40%) शोध्य । निगम की ताप विद्युत परियोजनाओं (भूमि छोड़कर) यथाः एमटीपीएस(इकाई सं. 5 व 6), सीटीपीएस (इकाई सं. 7 व 8), केटीपीएस (इकाई सं. 1व 2) तथा डीएसटीपीएस (इकाई सं. 1व 2)देनदारों के बीच समरूप रैंकिंग के साथ नियत परिसंपत्तियों को दृष्टि बंधक के माध्यम इन बॉण्डों की जमानत की गयी है ।	4,400.00		4,400.00	
बैंकों / वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण 2) रघुनाथपुर ताप विद्युत केन्द्र, चरण-I (इकाई सं. 1 व 2) हेतु परियोजना ऋण , देनदारों (पीएफसी तथा पश्चिम बंगाल आंतसंरचना विकास वित्त निगम लिमिटेड) के बीच समरूप रैंकिंग द्वारा फर्स्ट चार्ज के रूप में रघुनाथपुर ताविके चरण- I (इकाई सं.- 1 व 2) की वर्तमान तथा भावी नियत और चल परिसंपत्तियों को दृष्टि बंधक के द्वारा आरक्षित किया गया । पीएफसी ऋण को बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ।	1,041.14	278.53	1,319.67	278.53
3) रघुनाथपुर ताप विद्युत केन्द्र के लिए रेलवे ट्रैक, जल प्रणाली, टाउनशिप आदि के निर्माण हेतु डब्ल्यूबीआईडीएफसीएल से अतिरिक्त आवधिक ऋण लिये गये । आरटीपीएस के संयंत्र व मशीनरी, मशीनरी पूर्जे, टूल व सहायक उपकरण तथा अन्य राजस्व पर समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया गया ।	337.50	50.00	387.50	50.00
4) दुर्गापुर स्टील ताविके (इकाई सं. 1 व 2) हेतु पीएफसी से परियोजना ऋण , डीएसटीपीएस (इकाई सं. 1 व 2) को वर्तमान तथा भावी नियत और चल परिसंपत्तियों को दृष्टि बंधक के द्वारा सुरक्षित किया गया । (पीएफसी ऋण बैंक आफॅ इण्डिया से ऋण द्वारा पुनर्वित्तीयन किया गया ।)	-	-	1,749.31	155.49
5) दुर्गापुर स्टील ताविके (इकाई सं. 1 व 2) हेतु पीएफसी से परियोजना ऋण, डीएसटीपीएस (इकाई सं. 1 व 2) को वर्तमान तथा भावी नियत और चल परिसंपत्तियों को दृष्टि बंधक के द्वारा सुरक्षित किया गया । (पीएफसी ऋण बैंक आफॅ इण्डिया से ऋण द्वारा पुनर्वित्तीयन किया गया ।) (पीएफसी ऋण का पुनर्वित्तीयन)	1,593.81	155.49	-	-

4. दीर्घकालिक उधार

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022 की स्थिति		31.03.2021 की स्थिति	
	अप्रचलित	प्रचलित	अप्रचलित	प्रचलित
6) डीवीसी की टीएण्डडी परियोजनाओं हेतु परियोजना ऋण डीवीसी को वर्तमान तथा भावी नियत और चल परिसंपत्तियों को दृष्टि बंधक के द्वारा सुरक्षित किया गया। आरईसी एक मात्र देनदार। आरईसी ऋण पंजाब तथा सिंध बैंक दवारा पुनर्वित्तीयन किया गया।			526.64	52.66
7) डीवीसी की टीएण्डडी परियोजनाओं हेतु परियोजना ऋण डीवीसी को वर्तमान तथा भावी नियत और चल परिसंपत्तियों को दृष्टि बंधक के द्वारा सुरक्षित किया गया। आरईसी एक मात्र देनदार ।आरईसी ऋण पंजाब तथा सिंध बैंक दवारा पुनर्वित्तीयन किया गया। (आरईसी ऋण का पुनर्वित्तीयन)	434.48	52.66		
8) एमटीपीसी के रेलवे ट्रैक के निर्माण, राख तालाब तथा अन्य निर्माण कार्यों (बैंको के संघाय) के लिए अतिरिक्त आवधिक ऋण लिया गया। एमटीपीएस के उन सम्पत्तियों पर एक प्रभार द्वारा सुरक्षित किया गया।	-		-	3.20
9)आरईसी से बीटीपीएस ए हेतु परियोजना ऋण लिया गया ,बीटीपीएस-ए के प्रथम प्रभार की वर्तमान तथा भावी नियत और चल परिसम्पत्तियों को दृष्टिबंधक के द्वारा सुरक्षित किया गया।	1,907.22	155.69	2,062.91	155.69
10) केटीपीएस हेतु पीएफसी से परियोजना ऋण, केटीपीएस की वर्तमान और भविष्य नियत परिसंपत्तियों को दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित किया गया।	1,277.96	113.60	1,391.55	113.60
11) वर्धित परियोजना लागत वित्त पोषण के लिए केटीपीएस हेतु पीएफसी से परियोजना ऋण, केटीपीएस की वर्तमान और भावी नियत परिसंपत्तियों को दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित किया गया।	992.05	88.18	1,080.23	88.18
12) 500 मेवा या उससे अधिक विद्युत संयंत्रों - यथा एमटीपीएस 7-8, केटीपीएस, डीएसटीपीएस, आरटीपीएस तथा बीटीपीएस के एफजीडी संयंत्रों हेतु संबद्ध ऋण, एफजीडी संयंत्रों तथा संयंत्रों की परिसम्पत्तियों पर एक ही वक्त में प्रभार के दृष्टिबंधक द्वारा लिया गया।	945.00	103.25	204.64	-
13) बैंक ऑफ इण्डिया से तुबेद कोल ब्लॉक के लिए सावधि ऋण-सीटीपीएस के चल नियत परिसम्मपति पर प्रथम समरूप रैकिंग,कोयला खनन अधिकारों के असाइनमेंट द्वारा सुरक्षित किया गया।	66.91	-	-	-
कुल (प्रतिभूत ऋण) (क)	**12,996.07**	**997.41**	**13,122.45**	**897.35**

4. दीर्घकालिक उधार

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022 की स्थिति		31.03.2021 की स्थिति	
	अप्रचलित	प्रचलित	अप्रचलित	प्रचलित
ख. अप्रतिभूत ऋणों का विवरण (दीर्घकालिक)				
ड्रिप हेतु भारत सरकार से ऋण	80.15	-	80.15	-
भारत सरकार से आरवीपी ऋण	1.17	0.29	1.46	0.29
अप्रतिभूत बंधपत्र	**-**	**-**	**-**	**-**
8.69% भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत बंधपत्र	2,600.00	-	2,600.00	-
कुल (अप्रतिभूत ऋण) (ख)	2,681.32	0.29	2,681.61	0.29
सकल जोड़ (क+ख)	**15,677.39**	**997.70**	**15,804.06**	**897.65**

टिप्पणी

i) जमानती दीर्घकालिक रूपये मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार सहित 5.75% प्रतिवर्ष से 9.98% प्रतिवर्ष के बीच निर्धारित, फ्लोटिंग ब्याज दर धारण करते हैं। इन ऋणों को संबंधित ऋण करार के अनुसार त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान किया जाता है। पुनर्भुगतान अवधि साढ़े तीन साल की अधिस्थगन अवधि के बाद दस से पंद्रह वर्षों तक बढ़ाया जाता है।

ii) आरवीपी योजना के अधीन भारत सरकार से गैर-जमानती रुपया ऋण मासिक अंतराल सहित प्रति वर्ष 9% के ब्याज दर पर है। 20 वर्षों हेतु वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतेय है।

5. आस्थगित कर देयताएँ

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
आस्थगित कर देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-						-
जोड़ें आस्थगित कर देयताएँ	582.06	-	-	-	-	-	582.06	721.49	-	-	-	-	-	721.49
घटाएँ आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	582.06	-	-	-	-	-	582.06	721.49	-	-	-	-	-	721.49
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी :

अनवशोषित मूल्यह्रास पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आगे व्यापार ऋण मूल्यह्रास की समय की विभिन्नता हेतु लेखा पर उठे आस्थगित कर देयता की विस्तार से आंशिक विचार किया गया।

6. अन्य दीर्घकालिक देयताएँ

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
प्रतिभूति जमा व प्रतिधारण (परवर्ती)	1,060.74	13.97	-	-	0.01	-	1,074.72	809.34	13.93	-	-	0.01	-	823.28
प्रतिभागी सरकार को भुगतेय ब्याज	6.98	1.44	0.60	-	-	-	9.02	6.98	1.44	0.60	-	-	-	9.02
अधिग्रहण नियत परिसम्पत्ति हेतु पीएसडीएफ सरकारी अनुदान	129.30	-	-	-	-	-	129.30	128.32	-	-	-	-	-	128.32
पूंजीगत व्यय हेतु भुगतेय (परवर्ती)	269.52	-	-	-	-	-	269.52	147.46	-	-	-	-	-	147.46
कुल	1,466.54	15.41	0.60	-	0.01	-	1,482.56	1,092.10	15.37	0.60	-	0.01	-	1,108.08

टिप्पणी :

पूंजी पर ब्याज: डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के अनुसार, निगम प्रतिभागी सरकारों के द्वारा प्रदान की गयी राशि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा तथा इस प्रकार के ब्याज को निगम द्वारा किये जाने वाले व्यय के रूप में समझी जाएगी। तदनुसार,डीवीसी ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम दर के अनुरूप 5.75% प्रतिवर्ष की दर से 2021-22 के दौरान सांविधिक व्यय के रूप में संचयी हानि के समायोजन के पश्चात प्रतिभागी सरकारों द्वारा प्रावधानित पूंजी पर ब्याज का भुगतान किया हे।

7. दीर्घकालिक प्रावधान

(रुपये करोड़ में

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
दीर्घकालिक प्रावधान - अन्य	4.80	-	-	-	-	-	4.80	5.30	-	-	-	-	-	5.30
सेवानिवृत पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान						391.00	391.00							-
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	289.69	289.69	-	-	-	-	-	87.59	87.59
जोड़ें : चालू वर्ष हेतु देयता						68.89	68.89						57.95	57.95
घटाएँ: लाभ भुगतान						68.89	68.89						57.95	57.95
अंतिम शेष	4.80	-	-	-	-	680.69	685.49	5.30	-	-	-	-	87.59	92.89

8. अल्पकालिक उधार

(रुपये करोड़ में

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
बैंक (नकद जमा)	3,703.28	-	-	-	-	-	3,703.28	2,462.62	-	-	-	-	-	2,462.62
लाइन ऑफ क्रेडिट (अल्पकालिक बैंक उधार)	5,900.00	-	-	-	-	-	5,900.00	3,750.00	-	-	-	-	-	3,750.00
कुल	**9,603.28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,603.28**	**6,212.62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,212.62**

अल्पकालिक बैंक उधार (नकद साख):

कार्यकारी पूँजी हेतु रुपये 3703.28 करोड़ (विगत वर्ष रु 2462.62 करोड़) का अल्पकालिक बैंक उधार (नकद उधार) प्रथम प्रभार के रूप मे निगम के कच्चे माल,उपभोज्य भंडारों तथा ओएंडएम परियोजनाओं के बुक ऋण वर्तमान तथा भावी दोनों के दृष्टिबंधक के प्रति प्राप्त किया गया।

अल्पकालिक बैंक उधार (लाइन ऑफ क्रेडिट):

रु.5,900 करोड़ (विगत वर्ष रु. 3,750 करोड़) का अल्पकालीन लाइन आफ क्रेडिट जिसमें सम्मलित है यूनियन ऑफ इंडिया का 600 करोड़,बैंक ऑफ इंडिया 1800 करोड़,आंध्रा बैंक 500 करोड़,बैंक ऑफ बड़ौदा का 700 करोड़,पीएनबी का 500करोड़,केनरा बैंक 600 करोड़ तथा इंडियन बैंक का 300 करोड़ रुपए नियत परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य पर अधीनस्थ प्रभार के प्रति आरक्षित है तथा एचडीएफ़सी बैंक से 900 करोड़ की असुरक्षित लाइन ऑफ क्रेडिट है। तीन माह से एक वर्ष तक भुगतेय ब्याज दर प्रति वर्ष 4.00% से 7.00%तक परिवर्तित रहेगा।

9. व्यापार भुगतेय

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सह्याक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
ईंधन	5,256.19	-	-	-	-	-	5,256.19	7,912.14	-	-	-	-	-	7,912.14
घटाएँ :रेलवे (समायोजित टिप्पणी-22) को देय असंबद्ध कोयले की देयता की सीमा को मिसिंग वैगन हेतु रेलवे से प्राप्य योग्य के साथ समा-योजित किया जाता है।	1,547.70	-	-	-	-	-	1,547.70	1,636.74	-	-	-	-	-	1,636.74
घटाएँ : कोयला आपूर्तिकारों को अग्रिम टिप्पणी 21 में समायोजित	2,825.82	-	-	-	-	-	2,825.82	2,541.16	-	-	-	-	-	2,541.16
उप जोड़	882.67	-	-	-	-	-	882.67	3,734.24	-	-	-	-	-	3,734.24
विद्युत की खरीद तथा यूआई	162.27	-	-	-	-	-	162.27	127.38	-	-	-	-	-	127.38
कार्य अनुबंध	10.52	0.03	-	0.02	0.19	0.41	11.17	9.26	0.03	-	-	0.19	0.35	9.83
उपभोग्य आपूर्ति तथा अन्य विविध	365.87	-	-	0.25	0.99	5.61	372.72	338.74	-	-	0.14	2.42	10.44	351.74
कुल	**1,421.33**	**0.03**	**-**	**0.27**	**1.18**	**6.02**	**1,428.83**	**4,209.62**	**0.03**	**-**	**0.14**	**2.61**	**10.79**	**4,223.19**

10. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
उपचय ब्याज परंतु उधार के लिए देय नहीं	17.96	-	-	-	-	0.06	18.02	106.86	-	-	-	-	0.06	106.92
देनदारों को भुगतेय ब्याज	3.97	-	-	-	-	-	3.97	4.43	-	-	-	-	-	4.43
पूँजीगत माल आपूर्ति तथा पूँजीगत कार्य हेतु भुगतेय	345.65	0.03	-	0.06	-	0.10	345.84	187.44	0.02	-	0.06	-	0.13	187.65
उपभोक्ताओं व अन्य से अग्रिम	5.50	-	-	-	-	-	5.50	3.27	-	-	-	-	-	3.27
जमा व प्रतिधारण राशि	535.03	0.05	-	3.20	7.68	14.10	560.06	733.60	0.06	-	3.07	9.52	19.69	765.94
टीडीएस (आयकर) भुगतेय	8.31	0.01	0.38	0.76	1.73	-	11.19	5.02	0.01	0.33	0.66	1.66	0.02	7.70
को-ऑपरेटिव सोसाइटी	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.02
व्यावसायिक कर	0.19	0.01	0.01	0.04	-	-	0.25	0.28	0.01	0.01	0.03	-	-	0.33
विद्युत शुल्क	412.49	-	-	-	-	-	412.49	246.49	-	-	-	-	-	246.49
ब्रिकी व वाणिज्यिक कर	12.78	0.47	-	0.20	0.43	-	13.88	13.20	0.03	-	0.11	0.42	-	13.76
ईएसआई वसूली	0.02	-	-	-	-	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	0.05
परिवार कल्याण योजना	2.71	-	-	0.06	0.09	-	2.86	2.54	-	-	0.05	0.09	-	2.68
छटनी लाभ	4.14	-	-	-	-	-	4.14	4.15	-	-	-	-	-	4.15
पेंशन ट्रस्ट को देय राशि						734.00	734.00						410.00	410.00
एचबी हेतु अनुकम्पा निधि	-	-	-	-	-	0.69	0.69	-	-	-	-	-	0.69	0.69
भुगतेय वेतन पारेश्रमिक	41.06	-	0.02	1.11	-	-	42.19	24.76	0.01	0.02	1.10	-	-	25.89
जमा कार्य-आरईपी चालू देयताएं	1,151.43	-	-	-	-	-	1,151.43	1,151.43	-	-	-	-	-	1,151.43

10. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
बिल्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर उपकर	4.77	-	-	0.02	0.45	-	5.24	0.44	-	-	0.01	0.44	-	0.89
अन्य विविध देयताएँ - सामान्य	448.66	0.82	-	5.17	17.35	38.39	510.39	418.33	-	-	3.55	6.51	48.19	476.58
अनुमानित भविष्य निधि अंशदान देयताएँ	-	-	-	-	-	77.37	77.37	0.16	-	-	-	-	83.18	83.34
उप जोड़	2,994.67	1.39	0.41	10.63	27.73	864.71	3,899.54	2,902.46	0.14	0.36	8.65	18.64	561.96	3,492.21
भविष्य निधि	-	-	-	-	-	952.21	952.21	-	-	-	-	-	1,005.98	1,005.98
घटाएँ: भविष्य निधि निवेश	-	-	-	-	-	804.02	804.02	-	-	-	-	-	865.40	865.40
उप जोड़	-	-	-	-	-	148.19	148.19	-	-	-	-	-	140.58	140.58
जोड़ -टिप्पण -4 से दीर्घकालिक उधार का चालू परिपक्वता	997.41	-	-	0.29	-	-	997.70	897.36	-	-	0.29	-	-	897.65
कुल	**3,992.08**	**1.39**	**0.41**	**10.92**	**27.73**	**1,012.90**	**5,045.43**	**3,799.82**	**0.14**	**0.36**	**8.94**	**18.64**	**702.54**	**4,530.44**

11. अल्पकालिक प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान														
विगत तुलन पत्र के अनुसार	38.53	-	-	-	-	0.06	38.59	34.01	-	-	-	-	-	34.01
वर्ष के दौरान समायोजन	42.59	-	-	-	0.04	0.03	42.66	4.52	-	-	-	-	0.06	4.58
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजित राशि	0.23	-	-	-	-	-	0.23		-	-	-	-	-	-
उप जोड़:	80.89	-	-	-	0.04	0.09	81.02	38.53	-	-	-	-	0.06	38.59
शुल्क दर समायोजन हेतु प्रावधान														
विगत तुलन पत्र के अनुसार	4.46	-	-	-	-	-	4.46	4.46	-	-	-	-	-	4.46
वर्ष के दौरान संयोजन		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़:	4.46	-	-	-	-	-	4.46	4.46	-	-	-	-	-	4.46
अनकम्पा आधार पर रोजगार के बदले में अनुकम्पा हेतु प्रावधान														
विगत तुलन पत्र के अनुसार	-	-	-	-	-	27.54	27.54	-	-	-	-	-	27.54	27.54
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-	-	-	98.31	98.31	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ :	-	-	-	-	-	125.85	125.85	-	-	-	-	-	27.54	27.54
विगत तुलन पत्र के अनुसार दीर्घकालिक अनुबंध हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान संयोजन	782.00	-	-	-	-	-	782.00	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ :	782.00	-	-	-	-	-	782.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**7.35**	**-**	**-**	**-**	**0.04**	**125.94**	**993.33**	**42.99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.60**	**70.59**

12. नियत परिसम्पत्तियाँ - मूर्त तथा अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यह्रास ब्लॉक			निवल ब्लॉक
	31.03.2021 की स्थिति	संयोजन/ समायोजन	31.03.2022 की स्थिति	31.03.2021 की स्थिति	संयोजन/ समायोजन	31.03.2022 की स्थिति	31.03.2022 की स्थिति
1. मूर्त परिसंपतियाँ भूमि एवं भूमि अधिकार	1,698.41	(5.00)	1,693.41	32.31	1.34	33.65	1,659.76
भवनें	3,931.33	17.95	3,949.28	2,079.17	141.70	2,220.87	1,728.41
सड़क पुलिया एवं रेलवे साइडिंग	1,750.99	66.84	1,817.83	273.68	52.31	325.99	1,491.84
बाँध तथा स्पिल वे	38.13	-	38.13	24.88	0.68	25.56	12.57
बराज, फाटकें तथा अन्य	1,365.29	79.13	1,444.42	710.05	90.65	800.70	643.72
रेगुलेटर, ताले, फॉल्स आदि.	7.72	-	7.72	6.95	-	6.95	0.77
नहरें एवं सेवा सड़कें	10.00	5.38	15.38	8.19	0.04	8.23	7.15
संयंत्र एवं मशीनरी	30,986.36	224.67	31,211.03	18,174.98	2,205.01	20,379.99	10,831.04
घटाएँ: हानि	35.23	-	35.23	-	-	-	35.23
निवल संयंत्र एवं मशीनरी	30,951.13	224.67	31,175.80	18,174.98	2,205.01	20,379.99	10,795.81
संयंत्र एवं मशीनरी (खनन व रोप वे)	0.85	-	0.85	0.77	-	0.77	0.08
उप केन्द्र उपस्कर	1,416.23	56.34	1,472.57	1,047.76	63.18	1,110.94	361.63
स्वीच गियर	482.38	1.49	483.87	308.28	28.29	336.57	147.30

12. नियत परिसम्पत्तियाँ - मूर्त तथा अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यह्रास ब्लॉक			निवल ब्लॉक
	31.03.2021 की स्थिति	संयोजन/ समायोजन	31.03.2022 की स्थिति	31.03.2021 की स्थिति	संयोजन/ समायोजन	31.03.2022 की स्थिति	31.03.2022 की स्थिति
मीनार खम्भे तथा जुड़नार	1,464.80	94.50	1,559.30	837.00	93.81	930.81	628.49
निर्माण उपस्कर	27.71	-	27.71	23.40	0.95	24.35	3.36
अन्य परिसम्पत्तियाँ	360.91	6.86	367.77	300.83	5.84	306.67	61.10
निपटान हेतु धारित परिसम्पत्तियाँ (एफए)	106.53	-	106.53	-	-	-	106.53
कुल नियत परिसम्पत्ति लागत (ऐतिहासिक मूल्य)	43,612.41	548.16	44,160.57	23,828.25	2,683.80	26,512.05	17,648.52
परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन - परिसम्पत्ति मूल्य में वृद्धि	15,461.04	-	15,461.04	10,333.72	-	10,333.72	5,127.32
सकल कुल नियत परिसम्पत्ति लागत (ऐतिहासिक तथा पुनर्मूल्यांकन मूल्य)	59,073.45	548.16	59,621.61	34,161.97	2,683.80	36,845.77	22,775.84
घटाएँ : नियत परिसम्पत्तियों पर हानि के प्रति प्रावधान	191.20	(2.43)	188.77	-	-	-	188.77
निवल कुल नियत परिसम्पत्ति लागत (ऐतिहासिक तथा पुनर्मूल्यांकन मूल्य)	58,882.25	550.59	59,432.84	34,161.97	2,683.80	36,845.77	22,587.07
विगत वर्ष	57,816.42	1,065.83	58,882.25	31,534.29	2,627.68	34,161.97	24,720.28
ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	20.50	(9.07)	11.43	9.63	1.74	11.37	0.06
विगत वर्ष	20.49	0.01	20.50	7.88	1.75	9.63	10.87

13. पूँजीगत कार्य प्रगति पर तथा विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 की स्थिति	संयोजन / समायोजन	31.03.2022 की स्थिति
i) पूँजीगत कार्य प्रगति पर			
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.13	(0.04)	0.09
भवनें	190.55	(8.72)	181.83
सड़क पुलिया एवं रेलवे साइडिंग	90.37	(1.67)	88.70
बाँध तथा स्पिल वे	109.95	2.83	112.78
बराज, फाटक तथा अन्य	1.24	1.43	2.67
विद्युत गृह संयंत्र तथा मशीनरी	377.64	1,546.14	1,923.78
उप केन्द्र उपस्कर	260.13	58.92	319.05
मीनार खम्भे तथा जुड़नार	347.69	(36.81)	310.88
अन्य परिसम्पत्तियाँ	1.66	(0.18)	1.48
निर्माण के दौरान आकास्मिक व्यय (विप) - ऊपरी शीर्ष	81.85	(7.23)	74.62

13. पूँजीगत कार्य प्रगति पर तथा विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 की स्थिति	संयोजन / समायोजन	31.03.2022 की स्थिति
निर्माण के दौरान ब्याज	47.52	49.02	96.54
प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा जाँच एवं सीएलजी ऊपरी शीर्ष - पुराने बही खाते	31.53	2.79	34.32
नये तापीय परियोजनाएँ - टर्नकी - ईपीसी	147.71	(122.76)	24.95
नये तापीय परियोजनाएँ - टर्नकी - ईपीसी इतर	319.39	55.44	374.83
पूँजीगत भंडार - निर्माण तथा ओएण्डएम परियोजनाएँ	261.05	180.27	441.32
कोयला ब्लॉक का विस्तार	264.58	291.14	555.72
सौर विद्युत	0.46	1.59	2.05
पारेषण प्रणाली का नवीकरण तथा संवर्धन	86.49	23.16	109.65
कुल सीडब्ल्यूआईपी परिसम्पत्ति मूल्य	2,619.92	2,035.32	4,655.26
घटाएँ : सीडब्ल्यूआईपी पर हानि के प्रति प्रावधान (खगरा - जयदेव)	-	155.47	155.47
निवल कुल सीडब्ल्यूआईपी परिसम्पत्ति मूल्य	2,619.92	1,879.85	4,499.79
विगत वर्ष	2,805.44	(185.52)	2,619.92
ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ विकास के अधीन	-	-	-
विगत वर्ष	-	-	-

14. अप्रचलित निवेश

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
में निवेश	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
इक्विटि (समादृत-अन्य निर्देश नहीं मिलने तक)														
संयुक्त उद्यम कम्पनियाँ	547.23	-	-	-	-	-	547.23	547.23	-	-	-	-	-	547.23
अन्य कम्पनियाँ	10.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	-	-	-	-	-	10.00
कुल	**557.23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**557.23**	**557.23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.23**

15. दीर्घकालिक ऋण तथा अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
पूँजीगत अग्रिम														
गैर जमानती - साकारात्मक	681.32	-	-	-	-	3.93	685.25	715.42	-	-	-	-	3.93	719.35
जमा - गैर जमानती, साकारात्मक	7.28	-	-	-	0.20	1.58	9.06	8.17	-	-	-	0.20	1.58	9.95
ऋण कर्मचारियों को ऋण - जमानती	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.04
कुल	**688.61**	**-**	**-**	**-**	**0.20**	**5.51**	**694.32**	**723.60**	**-**	**-**	**0.01**	**0.21**	**5.52**	**729.34**

16. अन्य अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
अपरिशोधित व्यय	-	-	-	-	-	-	-							-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

17. चालू निवेश

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
इक्विटि उपकरणों में निवेश							-	-						-
बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में अल्पावधि जमा में निवेश	8.35	-	-	-	-	-	8.35	4.48						4.48
कुल	**8.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.35**	**4.48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.48**

18. सामान सूची

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
भंडार														
ईंधन तेल	82.47	-	-	-	-	-	82.47	64.43	-	-	-	-	-	64.43
ईंधन कोयला	598.21	-	-	-	-	-	598.21	848.52	-	-	-	-	-	848.52
खुले पूर्जे	1.43	-	-	0.04	0.01	0.01	1.49	1.49	-	-	0.04	0.01	0.01	1.55
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	2.58	-	-	-	-	-	2.58
भंडार तथा पूर्जे	974.70	-	-	-	0.48	1.79	976.97	944.82	-	-	-	0.48	1.79	947.09
नपथा	0.33	-	-	-	-	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	0.33
घटाएँ : कमी, अप्रयोग आदि हेतु प्रावधान	172.60	-	-	0.04	0.49	1.80	174.93	176.95	-	-	0.04	0.49	1.80	179.28
कुल	**1,484.56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,484.56**	**1,685.22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,685.22**

टिप्पणी

सामान सूची

1. कोयले और तेल के स्टॉक का मूल्यांकन माल ढुलाई सहित भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

2. निपटान योग्य/अनुपयोगी भंडारों के वसूली योग्य मूल्य का आकलन किया जाएगा।

3. सामान सूची में शामिल बीमा पूर्जों के मूल्यों की अलग से पहचान नहीं की जाती है।

19. व्यापार प्राप्य योग्य

(रुपये करोड़ में))

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
छह माह से अधिक अवधि हेतु बकाया ऋण														
गैर जमानती साकारात्मक	1,576.41	0.33	-	-	-	-	1,576.74	6,506.27	81.78	-	-	-	-	6,588.05
साकारात्मक संदिग्ध	835.39	86.96	-	-	-	-	922.35	977.79	86.96	-	-	-	-	1,064.75
घटाएँ : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	835.39	86.96	-	-	-	-	922.35	977.79	86.96	-	-	-	-	1,064.75
छह माह से कम की अवधि हेतु बकाया ऋण														
अन्य ऋण - गैर जमानती - साका-रात्मक	6,123.49	81.31	-	-	-	-	6,204.80	1,000.61	18.32	-	-	-	-	1,018.93
साकारात्मक संदिग्ध							-							-
घटाएँ : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान							-							-
कुल	**7,699.90**	**81.64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,781.54**	**7,506.88**	**100.10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,606.98**

टिप्पणी

फुटकर देनदार

1. आपूर्तित विद्युत हेतु फुटकर देनदारों के लेखागत 31.03.2022 को रु 8535.29 करोड़ (विगत वर्ष रु 8,484.67 करोड़) के कुल बकाया में रु.6024 .89 करोड़ (विगत वर्ष रु.2293.27 करोड़) की बिल रहित राजस्व शामिल नहीं की गयी है।

2. 31.03.2022 को जल आपूर्ति हेतु रु 168 .6 करोड़ (विगत वर्ष रु. 187.06 करोड़) की कुल बकाया राशि में रु14.36 करोड़ (विगत वर्ष रु 9.94 करोड़) की बिल रहित राजस्व शामिल नहीं की गयी है।

20. नकद तथा नकद समतुल्य

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
नकद तथा नकद समतुल्य														
चालू खाता	42.17	-	-	-	2.00	154.38	198.55	25.64	-	-	-	1.76	83.27	110.67
नकद शेष	0.04	-	-	-	0.02	-	0.06	0.06	-	-	-	0.02	0.01	0.09
अग्रदाय	0.07	-	-	0.01	-	0.06	0.14	0.07	-	-	0.01	-	0.06	0.14
नकद तथा नकद समतुल्य - एएस 3 के अनुसार	42.28	-	-	0.01	2.02	154.44	198.75	25.77	-	-	0.01	1.78	83.34	110.90
अन्य बैंक शेष														
तीन माह से अधिक परिपक्वता सहित बैंक जमा							-							-
कुल	**42.28**	**-**	**-**	**0.01**	**2.02**	**154.44**	**198.75**	**25.77**	**-**	**-**	**0.01**	**1.78**	**83.34**	**110.90**

21. अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
क. ऋण														
i) सम्बंधित पार्टियाँ														-
गैर - जमानती	-	-	-	-	-	18.40	18.40		-	-	-	-	18.40	18.40
उप जोड़	-	-	-	-	-	18.40	18.40	-	-	-	-	-	18.40	18.40
ii) कर्मचारियों														
जमानती	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.01
गैर-जमानती	3.73	-	-	-	0.07	1.37	5.17	4.23	-	-	-	0.07	1.31	5.61
उप जोड़	3.73	-	-	-	0.07	1.39	5.19	4.23	-	-	-	0.07	1.32	5.62
ख. अग्रिम														
i) ठेकेदरों तथा आपूर्तिकर्ता,														
ऋण पर जारी सामग्री सहित														
गैर जमानती (साकारात्मक)	3,183.34	-	-	0.69	0.91	20.83	3,205.77	2,908.65	-	-	0.73	0.91	18.31	2,928.60
घटाएँ : व्यापार भुगतेय	2,825.82	-	-	-	-	-	2,825.82	2,541.16	-	-	-	-	-	2,541.16
सहित टिप्पणी 9 में														
समायोजित कोयला														
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम														
उप जोड़	357.52	-	-	0.69	0.91	20.83	379.95	367.49	-	-	0.73	0.91	18.31	387.44
संदिग्ध सकारात्मक	8.69	-	-	-	1.12	-	9.81	8.69	-	-	-	1.12	-	9.81
घटाएँ : अशोध्य व संदिग्ध	8.69	-	-	-	1.12	-	9.81	8.69	-	-	-	1.12	-	9.81
अग्रिम हेतु प्रावधान														
उप जोड़	357.52	-	-	0.69	0.91	20.83	379.95	367.49	-	-	0.73	0.91	18.31	387.44
ii) अग्रिम कर जमा व कर	56.43	-	-	-	-	-	56.43	107.02	-	-	-	-	-	107.02
स्रोत पर कटौती														
iii) अग्रिम (अन्य)	-	-	-	-	-	40.29	40.29	-	-	-	-	-	40.21	40.21
iv) संबंधित पार्टियाँ -	33.68	-	-	-	-	-	33.68	33.68	-	-	-	-	-	33.68
अप्रतिभूत														
कुल	**451.36**	**-**	**-**	**0.69**	**0.98**	**80.91**	**533.94**	**512.42**	**-**	**-**	**0.73**	**0.98**	**78.24**	**592.37**

22. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
i) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ														
बिल रहित राजस्व विद्दुत की विक्री	6,024.89		-	-	-	-	6,024.89	2,293.27		-	-	-	-	2,293.27
बिल रहित राजस्व जल की विक्री	-	14.36	-	-	-	-	14.36	-	9.94	-	-	-	-	9.94
उपचित ब्याज;							-							-
आवधिक जमा पर	0.30	-	-	-	-	0.02	0.32	0.42	-	-	-	-	0.02	0.44
अन्य पर	-	-	-	-	-	19.36	19.36	-	-	-	-	-	19.35	19.35
वसूली योग्य दावे संबंधित पार्टियाँ से	4.12	-	-	-	-	-	4.12	29.78	-	-	-	-	-	29.78
अस्थायी अग्रिम	0.19	-	-	-	0.02	0.03	0.24	0.24	-	-	-	0.02	0.10	0.36
जमा कार्य-आरईपी- चालू परिसम्मतिया	1,156.09	-	-	-	-	-	1,156.09	1,156.09	-	-	-	-	-	1,156.09
गौण क्रियाकलापों से प्राप्य -अप्रतिभूत सकारात्मक	5.98	-	-	0.05	0.01	-	6.04	8.28	-	-	0.05	0.01	-	8.34
संदिग्ध सकारात्मक	-	-	-	0.74	-	-	0.74	-	-	-	0.74	-	-	0.74
घटाएँ : अन्य प्राप्य के प्रति हानि हेतु प्रावधान	-	-	-	0.74	-	-	0.74	-	-	-	0.74	-	-	0.74
उप जोड़	**5.98**	**-**	**-**	**0.05**	**0.01**	**-**	**6.04**	**8.28**	**-**	**-**	**0.05**	**0.01**	**-**	**8.34**

22. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(रुपये करोड़ मे)

की स्थिति	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
अन्य विविध से प्राप्य योग्य अप्रतिभूत सकारात्मक	544.95	0.01	-	0.42	19.55	-	564.93	484.41	0.01	-	0.42	12.45	-	497.29
संदिग्ध सकारात्मक	93.97	-	-	-	0.89	-	94.86	95.01	-	-	-	0.89	-	95.90
घटाएँ : अन्य प्राप्य योग्य के प्रति हानि हेतु प्रावधान	93.97	-	-	-	0.89	-	94.86	95.01	-	-	-	0.89	-	95.90
उप जोड़	544.95	0.01	-	0.42	19.55	-	564.93	484.41	0.01	-	0.42	12.45	-	497.29
मिसिंग वैगन हेतु रेलवे से प्राप्य योग्य	2,181.62	-	-	-	-	-	2,181.62	1,958.72	-	-	-	-	-	1,958.72
घटाएँ : विनियोजित वैगन हेतु रेलवे को भुगतेय	1,547.70	-	-	-	-	-	1,547.70	1,636.74	-	-	-	-	-	1,636.74
उप जोड़	633.92	-	-	-	-	-	633.92	321.98	-	-	-	-	-	321.98
जमा - प्रतिभूत	7.77	-	-	-	0.03	4.76	12.56	7.72	-	-	-	0.03	4.69	12.44
कुल	**8,378.21**	**14.37**	**-**	**0.47**	**19.61**	**24.17**	**8,436.83**	**4,302.19**	**9.95**	**-**	**0.47**	**12.51**	**24.16**	**4,349.28**

23. प्रचालन से राजस्व

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक कार्यकलाप	बहूद्देशीय बाँध	ऊपरी शीर्ष कार्यकलाप	कुल
से आय														
विद्युत की आपूर्ति	21,799.31	-	-	-	-	-	21,799.31	17,197.34	-	-	-	-	-	17,197.34
जल की आपूर्ति	-	305.91	-	-	-	-	305.91	-	253.74	-	-	-	-	253.74
कुल	**21,799.31**	**305.91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,105.22**	**17,197.34**	**253.74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,451.08**

टिप्पणी

क. शुल्क दर

क) उच्चतम न्यायालय ने वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2008-09 तक शुल्क दर अवधि के संबंध में 2009 की अपील संख्या 146 (उत्पादन तथा पारेषण शुल्क दर के संबंध में सीईआरसी आदेश दिनांक 06.08.2009 के प्रति प्रथम अपील) में अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के निर्णय दिनांक 10.05.2010 को 2010 की सिविल अपील संख्या 4881 (द्वितीय अपील) में अपने आदेश दिनांक 03.12.2018 के माध्यम से निर्णय को बरकरार रखा।

ख) जेएसईआरसी ने, इसी बीच, 18.05.2018 को खुदरा शुल्क दर आदेश (वित्त वर्ष 2015-16 हेतु ट्रू-अप, 2006-07 से 2014-15 हेतु ट्रू-अप सहित एमवाईटी 2016-21) जारी किया, जबकि राज्य आयोग ने वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2014-15 तक लगभग 1287 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष निर्धारित किया। इस प्रकार के राजस्व अधिशेष के गणना पर जेएसईआरसी ने डीवीसी के कुछ न्याय संगत दावे के प्रति कथित रूप से असहमति व्यक्त की तथा विद्युत अधिनियम 2003 के अध्यादेश को अनदेखा करते हुए अग्र लागत के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर विचार किया।

ग) जेएसईआरसी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर डीवीसी ने विद्युत हेतु अपीलीय अधिकरण(ट्रिब्यूनल) के समक्ष एक याचिका दायर की जो ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है। इसके अतिरिक्त जेएसईआरसी द्वारा यथा निर्धारित लगभग 1287 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष जिसमें जेबीवीएनएल को भुगतेय अक्टूबर 2001 से सितम्बर 2015 की अवधि हेतु बकाया का पर्याप्त अंश (लगभग 40%) शामिल है, का पूर्ण और अंतिम रूप से भारत सरकार की "उदय" योजना के अधीन चुकता कर दिया गया है जिसमें डीवीसी ने प्राप्ति राशि माफ कर दिया है। अतएव जेबीवीएनएल के खाते में, अपीलीय ट्रिब्यूनल के निर्णय के आधार पर, अधिशेष राशि का अंश, डीवीसी द्वारा न्यायिक रूप से वापसी योग्य नहीं है।

23. प्रचालन से राजस्व

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण के लंबित निर्णय तथा जेएसईआरसी द्वारा दिनांक 30.09.2020 को दिये गये शुल्क दर आदेश के अनुपालन में डीवीसी ने 2006-07 से 2011-12 की अवधि हेतु विभिन्न वर्षों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ अनुसूची के निर्धारण बाबत जेएसईआरसी के समक्ष एक आवेदन दायर किया। जेएसईआरसी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, यद्यपि न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित अपील डीवीसी के किसी अधिकार तथा अपवाद के बिना है। आवेदन फिलहाल जेएसईआरसी के समक्ष लंबित है।

ङ.) डब्ल्यूबीईआरसी ने 2006-07 से 2008-09 की अवधि हेतु आदेश दिनांक 19.06.2020 में एआरआर तथा शुल्क दर का निर्धारण किया है। कथित आदेश के अनुपालन में डीवीसी ने 6% वहन लागत के साथ 24 अदद बराबर मासिक किस्तों में उपभोक्ताओं के साथ पिछले बकायों के समझौते की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया है।

च) डब्ल्यूबीईआरसी ने वित्त वर्ष 2017-18 की अवधि हेतु शुल्क दर आदेश दिनांक 05.05.2022 को जारी किया जो कि दिनांक 01.04.2017 से डब्ल्यूबीईआरसी के अगला शुल्क दर आदेश जारी होने तक प्रभावी है
.

छ) 2009-14 की अवधि हेतु टू-अप शुल्क दर आदेश तथा डीवीसी के उत्पादन तथा टीएण्डडी प्रणाली के संबंध में 2014-19 की अवधि हेतु अनंतिम शुल्क दर आदेश जारी करते समय सीईआरसी ने डीवीसी द्वारा शुल्क दर के माध्यम वसूली की गयी पेंशन तथा ग्रैच्युटी (पीएण्डडी) मद पर विचार नहीं किया। दुखित होकर डीवीसी ने विद्युत हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की जो अभी भी सुनवाई की प्रक्रिया में है। दिनांक 4 सितम्बर, 2019, मामला संख्या 197/एमपी/2016, सीईआरसी आदेश के आधार पर डीवीसी ने 2014-19 अवधि हेतु टू-अप तथा 2019-24 हेतु अनंतिम शुल्क दर के लिए पीएण्डजी लेखा पर सीईआरसी के समक्ष 18 अदद शुल्क दर याचिकाएँ (उत्पादन केन्द्र एवं टी एंड डी) दायर की हैं।18 अदद शुल्क दर याचिकाएँ में से सीईआरसी ने अब तक केवल 3 अदद शुल्क दर याचिकाएँ के लिए शुल्क दर आदेश जारी किया है।

ख. प्रचालन-विद्युत से राजस्व

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
स्थायी बिक्री	11,344.55	6,122.28
द्विपक्षीय आयात	8,880.35	9,521.65
बांग्लादेश	1,178.32	1,109.39
एक्सचेंज तथा अन्य के माध्यम से बिक्री	396.09	444.02
कुल	**21,799.31**	**17,197.34**

ग. एक्सचेंज के माध्यम विद्युत बिक्री प्रतिदिन के आधार पर की जाती है तथा बोली आधार पर दर का निर्धारण किया जाता है।

घ. औद्योगिक तथा घरेलू व्यवहार हेतु जल की आपूर्ति के लिए जल शुल्क अप्रैल 2019 से पुनरीक्षित किया गया।

ङ. विद्युत बिक्री पर इलेक्ट्रिक ड्यूटी रु 747.15 करोड़ (विगत वर्ष रु.425.42 करोड़) की राशि को लाभ व हानि विवरण में बिक्री से कटौती की गयी है।

च. सीईआरसी व डब्ल्यूबीईआरसी टैरिफ आदेश के अनुसार लाभार्थियों/ उपभोक्ताओ से बाद की अवधि में वसूली योग्य राशि को लाभ और हानि के विवरण में 'नियामक परिसंपत्तियों' के रूप में मान्यता दी गयी है। शुल्कदर विनियम के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 3,643.56 करोड़ रुपये की विनियामक संपति को लेखागत किया गया है।

24. अन्य आय

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
गौण कार्यकलाप से राजस्व	-	-	-	0.03	-	0.02	0.05	-	-	-	0.03	-	0.01	0.04
क) ब्याज														
कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम से	0.12	-	-	-	-	0.06	0.18	0.20	-	-	-	-	0.08	0.28
गैर-परवर्ती निवेश से	1.15	-	-	-	-	-	1.15	0.28	-	-	-	-	-	0.28
आईटी वापसी पर ब्याज	0.40	-	-	-	-	-	0.40	12.33	-	-	-	-	-	12.33
ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02
अल्पकालिक जमा पर ब्याज	0.17	-	-	-	-	-	0.17	0.21	-	-	-	-	-	0.21
सीएलटीडी पर ब्याज	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.28	-	-	-	-	0.01	0.29
अन्य से	1.84	-	-	-	-	-	1.84	1.84	-	-	-	-	-	1.84
ख) लाभांश	-					-		-					-	
लाभांश - गैर आवर्ती निवेश	19.90	-	-	-	-	-	19.90	110.11	-	-	-	-	-	110.11

24. अन्य आय

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
ग) सरकारी अनुदान	-					-		-					-	
पी एम कुसुम अनुदान	-					0.49	0.49	-					-	-
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय							-							
विलंब भुगतान अधिभार	562.32	9.63	-	-	-	-	571.95	1,136.56	-	-	-	-	-	1,136.56
सेवा प्रभार से आय	59.32	-	-	-	-	-	59.32	1.18	-	-	-	-	-	1.18
अचल परिसम्पत्तियों के निपटान पर लाभ	34.22	-	-	-	-	-	34.22	0.28	-	-	-	-	0.97	1.25
संदिग्ध दावों हेतु पुनरांकित प्रावधान	142.40						142.40	51.15						51.15
पुनरांकित प्रावधान - भंडार चालू परिसम्पत्तियाँ	-						-	6.34						6.34
प्रावधान - आयकर -पुनरांकित	13.75						13.75	-						-
अन्य विविध : आय	121.00	-	-	0.37	3.80	25.03	150.20	25.53	-	-	-	-	9.54	35.07
उप जोड़ प्रत्यक्ष	956.64	9.63	-	0.40	3.80	25.60	996.07	1,346.31	-	-	0.03	-	10.61	1,356.95
अन्तरशीर्ष स्थानांतरण	26.95	1.35	1.44	(0.40)	(3.80)	(25.60)	(0.06)	10.47	0.09	0.09	(0.03)	-	(10.61)	0.01
सामान्य सेवा	-	-	-	-	-	-	-	(0.09)	-	-	-	-	-	(0.09)
पूँजीकृत	(4.34)	-	-	-	-	-	(4.34)	(1.21)	-	-	-	-	-	(1.21)
कुल हिस्सा	22.61	1.35	1.44	(0.40)	(3.80)	(25.60)	(4.40)	9.17	0.09	0.09	(0.03)	-	(10.61)	(1.29)
कुल - प्रत्यक्ष व साझा	979.25	10.98	1.44	-	-	-	991.67	1,355.48	0.09	0.09	-	-	-	1,355.66

टिप्पणी: विलम्ब भुगतान अधिभार सीईआरसी और एसईआरसी विनियमन के आधार पर दर्शाया गया है।

25. विद्युत की खरीद पर लागत

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
नियत खरीद	700.12	-	-	-	-	-	700.12	538.70	-	-	-	-	-	538.70
पारेषण व अभिकरण प्रभार	151.71	-	-	-	-	-	151.71	130.60	-	-	-	-	-	130.60
यूआई आयात	159.05	-	-	-	-	-	159.05	80.64	-	-	-	-	-	80.64
विनियम के माध्यम से विद्युत की खरीद	342.19	-	-	-	-	-	342.19	64.65	-	-	-	-	-	64.65
कुल	**1,353.07**	-	-	-	-	-	**1,353.07**	**814.59**	-	-	-	-	-	**814.59**

26. ईंधन लागत

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
खपत														
कोयला	11,042.75						11,042.75	9,681.91						9,681.91
तेल	127.14						127.14	51.70						51.70
कुल	**11,169.89**	-	-	-	-	-	**11,169.89**	**9,733.61**	-	-	-	-	-	**9,733.61**

27. कर्मचारियों के लाभ का व्यय

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
वेतन, पगार व भत्ते														
मूल वेतन	461.69	0.66	0.22	5.71	4.08	72.16	544.52	483.78	0.75	0.29	6.30	4.91	79.08	575.11
महंगाई भत्ता	128.30	0.18	0.06	1.58	1.10	20.79	152.01	80.03	0.12	0.05	1.05	0.76	13.13	95.14
मकान किराया भत्ता	18.27	0.03	-	0.29	0.17	10.99	29.75	17.18	0.03	-	0.31	0.15	10.78	28.45
क्षेत्रीय प्रतिपूरक भत्ता	38.82	0.05	0.02	0.46	0.43	2.62	42.40	40.13	0.06	0.02	0.54	0.51	2.85	44.11
अन्य भत्ते	163.85	0.13	0.03	1.42	1.21	23.39	190.03	103.98	0.14	0.15	1.65	1.10	20.38	127.40
उप जोड़	810.93	1.05	0.33	9.46	6.99	129.95	958.71	725.10	1.10	0.51	9.85	7.43	126.22	870.21
भविष्य निधि में अंशदान	28.02	0.05	-	0.13	0.43	4.51	33.14	35.32	0.02	-	0.13	0.56	4.58	40.61
पीजी निधि में अंशदान	734.00	-	-	-	-	-	734.00	410.82	-	-	-	-	-	410.82
जीपीएफ-सीपीएफ भुगतेय ब्याज	-	-	-	-	-	70.24	70.24	-	-	-	-	-	78.69	78.69
घटाएँ : निवेश पर ब्याज वसूली	-	-	-	-	-	(59.98)	(59.98)	-	-	-	-	-	(61.65)	(61.65)
उप जोड़	**762.02**	**0.05**	**-**	**0.13**	**0.43**	**14.77**	**777.40**	**446.14**	**0.02**	**-**	**0.13**	**0.56**	**21.62**	**468.47**

27. कर्मचारियों के लाभ का व्यय

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
कल्याण व्यय														
कर्मचारी कल्याण	14.68	-	-	-	0.19	9.26	24.13	16.07	-	-	-	0.15	7.19	23.41
मुआवजा	4.90	-	-	-	-	0.15	5.05	0.05	-	-	-	-	0.18	0.23
उपभोज्य-दवा तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति	27.27	0.05	-	0.44	0.22	45.33	73.31	19.45	0.02	0.01	0.32	0.20	36.16	56.16
उप जोड़	46.85	0.05	-	0.44	0.41	54.74	102.49	35.57	0.02	0.01	0.32	0.35	43.53	79.80
प्रावधान- कर्मचारी पारितोषिक :							-							-
प्रावधान- अनुकम्पा आधार पर क्षतिपूर्ति	98.31	-	-	-	-	-	98.31	-	-	-	-	-	-	-
प्रावधान पीआरएमएएस- (सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा सहायता योजना) हेतु	391.00	-	-	-	-	-	391.00	-	-	-	-	-	-	-
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	202.10	-	-	-	-	-	202.10	4.52	-	-	-	-	-	4.52
उप जोड़	691.41	-	-	-	-	-	691.41	4.52	-	-	-	-	-	4.52
कुल प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत	2,311.21	1.15	0.33	10.03	7.83	199.46	2,530.01	1,211.33	1.14	0.52	10.30	8.34	191.37	1,423.00
कर्मचारी प्रतिभूति में हिस्सा														
अंतरशीर्ष स्थानांतरण	196.09	3.89	2.85	(10.03)	(7.93)	(199.46)	(14.59)	202.59	4.21	3.35	(10.30)	(8.48)	(191.37)	-
बेरमो	(7.12)	-	-	-	-	-	(7.12)	(9.15)	-	-	-	-	-	(9.15)
सीएसओ	(0.32)	-	-	-	0.10	-	(0.22)	(0.25)	-	-	-	0.14	-	(0.11)
पूँजीकृत	(72.41)	-	-	-	-	-	(72.41)	(73.32)	-	-	-	-	-	(73.32)
कुल हिस्सा	116.24	3.89	2.85	(10.03)	(7.83)	(199.46)	(94.34)	119.87	4.21	3.35	(10.30)	(8.34)	(191.37)	(82.58)
कुल - प्रत्यक्ष व साझा	2,427.45	5.04	3.18	-	-	-	2,435.67	1,331.20	5.35	3.87	-	-	-	1,340.42

28. वित्त लागत

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
पर ब्याज														
बैंक	471.41	-	-	-	-	-	471.41	609.27	-	-	-	-	-	609.27
अन्य	17.72	-	-	-	-	-	17.72	10.49	-	-	-	-	-	10.49
शोधन निधि	245.13	-	-	-	-	-	245.13	208.89	-	-	-	-	-	208.89
आवधिक ऋण	801.51	-	-	-	-	-	801.51	903.59	-	-	-	-	-	903.59
बॉण्ड	635.14	-	-	0.16	-	-	635.30	635.14	-	-	0.18	-	-	635.32
पूँजी	6.98	1.44	0.60	-	-	-	9.02	6.98	1.44	0.60	-	-	-	9.02
उप जोड़	2,177.89	1.44	0.60	0.16	-	-	2,180.09	2,374.36	1.44	0.60	0.18	-	-	2,376.58

28. वित्त लागत

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
अन्य उधार लागत	0.19	-	-	-	-	-	0.19	0.19	-	-	-	-	-	0.19
बॉण्ड सेवा व्यय	86.35	-	-	-	-	-	86.35	103.30	-	-	-	-	-	103.30
गारंटी शुल्क	75.75	-	-	-	-	-	75.75	39.32	-	-	-	-	-	39.32
अन्य विविध उधार व्यय														
अपफ्रान्ट फी	0.59	-	-	-	-	-	0.59	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़	162.88	-	-	-	-	-	162.88	142.81	-	-	-	-	-	142.81
कुल प्रत्यक्ष व्यय	2,340.77	1.44	0.60	0.16	-	-	2,342.97	2,517.17	1.44	0.60	0.18	-	-	2,519.39
अंतरशीर्ष स्थानांतरण	0.13	-	-	(0.16)	-	-	(0.03)	0.30	(0.02)	-	(0.18)	-	-	0.10
कुल हिस्सा	0.13	-	-	(0.16)	-	-	(0.03)	0.30	(0.02)	-	(0.18)	-	-	0.10
कुल - प्रत्यक्ष व साझा	2,340.89	1.44	0.60	-	-	-	2,342.93	2,517.47	1.42	0.60	-	-	-	2,519.49

29. प्रचालन व अनुरक्षण तथा सामान्य प्रशासनिक प्रभार

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
भंडार तथा अतिरिक्त पूर्जों की खपत	191.91	-	-	0.29	0.43	0.98	193.61	167.75	-	-	0.28	0.32	0.30	168.65
मरम्मत्ती तथा रखरखाव														
भवनें	56.60	-	-	2.98	1.18	1.50	62.26	56.24	-	-	1.22	0.82	1.41	59.69
संयंत्र एवं मशीनरी	220.74	-	-	6.17	-	0.13	227.04	194.73	-	-	7.70	-	0.13	202.56
निर्माण उपस्कर	8.22	-	-	-	-	-	8.22	7.80	-	-	-	-	-	7.80
अन्य	88.89	0.04	-	1.75	8.05	15.07	113.80	105.62	-	-	1.77	6.14	15.76	129.29
जल प्रभार	154.86	-	-	-	-	-	154.86	130.90	-	-	-	-	0.05	130.95
टैरिफ फाइलिंग शुल्क	5.00	-	-	-	-	-	5.00	4.93	-	-	-	-	-	4.93
कर तथा शुल्क	3.72	-	-	0.17	0.05	1.01	4.95	5.49	-	-	0.21	-	1.09	6.79
राख निष्क्रमण तथा उपयोगिता व्यय	166.28	-	-	-	-	-	166.28	150.20	-	-	-	-	-	150.20
दूरभाष प्रभार	1.18	-	-	0.01	0.01	0.21	1.41	1.15	-	-	0.01	0.01	0.21	1.38
राजभाषा प्रोन्नयन व्यय	0.08	-	-	0.02	0.01	0.03	0.14	0.05	-	-	0.03	0.01	0.02	0.11
बैंक प्रभार	1.55	-	-	-	-	-	1.55	2.66	-	-	-	-	0.28	2.94
विधिक व्यय	11.40	-	-	0.01	-	5.84	17.25	5.60	-	-	0.03	-	4.03	9.66
केऔसुबल तथा अन्य सुरक्षा व्यय	290.75	-	-	0.66	0.63	48.60	340.64	300.31	-	-	0.66	0.66	54.36	355.99
पर्यावरण संरक्षण तथा अन्य राज्य उप-कर	0.68	-	-	-	-	-	0.68	0.02	-	-	-	-	-	0.02

29. प्रचालन व अनुरक्षण तथा सामान्य प्रशासनिक प्रभार

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
मरम्मत्ती व रख रखाव तथा वाहन किराया	14.64	-	-	0.13	0.24	4.07	19.08	15.43	-	-	0.12	0.12	2.82	18.49
बीमा	40.14	-	-	-	-	0.57	40.71	40.83	-	-	0.01	0.01	0.28	41.13
लेखा परीक्षा प्रभार	0.30	-	-	-	-	5.44	5.74	0.02	-	-	-	-	5.83	5.85
रियायत तथा छूट अनुमति	121.94	-	-	-	-	-	121.94	93.93	-	-	-	-	-	93.93
साएका व्यय	4.27	-	-	2.14	0.09	0.58	7.08	4.80	-	-	1.65	0.09	0.55	7.09
विविध सामान्य ऊपरी	7.33	-	-	-	0.03	0.59	7.95	2.73	-	-	-	0.06	0.21	3.00
जयंती तथा अन्य समारोह व्यय	0.16	-	-	-	-	0.07	0.23	0.05	-	-	-	-	0.18	0.23
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1.08	-	-	0.02	0.02	0.49	1.61	0.83	-	-	0.01	0.02	0.34	1.20
डाक एवं टेलीग्राफ	0.14	-	-	-	-	0.03	0.17	0.08	-	-	-	-	0.03	0.11
किराया	0.01	-	-	-	-	0.37	0.38	-	-	-	-	-	0.58	0.58

29. प्रचालन व अनुरक्षण तथा सामान्य प्रशासनिक प्रभार

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूदेशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
प्रचार एवं विज्ञापन	1.10	-	-	0.01	-	1.19	2.30	3.34	-	-	0.01	-	0.35	3.70
मनोरंजन	0.38	-	-	-	0.02	0.64	1.04	0.22	-	-	-	0.01	0.16	0.39
आउटसोर्स्ड कम्प्युटरीकृत कार्य	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01
अन्य सामान्य कार्यालय व्यय	2.96	-	-	0.17	0.15	2.58	5.86	2.87	-	-	0.18	0.10	1.91	5.06
बाहरी सेवा दाताओं के लिए बिजली शुल्क	0.75	-	-	-	0.01	1.46	2.22	0.97	-	-	-	-	1.18	2.15
व्यावसायिक तथा परामर्शी प्रभार	0.07	-	-	-	-	0.18	0.25	-	-	-	-	-	-	-
ब्रोकरेज एवं दलाली	12.39	-	-	-	-	-	12.39	12.02	-	-	-	-	-	12.02
मौसम विज्ञानी केन्द्र व्यय	-	3.71	-	-	-	-	3.71	-	2.80	-	-	-	-	2.80
नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि - बट्टा खाता	0.48	-	-	-	-	-	0.48	-	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध ऋण - बट्टे खाता में	-	32.30	-	-	-	-	32.30	-	-	-	-	-	-	-
बट्टा खाता हानि - अन्य	0.41	-	-	-	-	-	0.41	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्रत्यक्ष ओएण्डएम व्यय	1,410.42	36.05	-	14.53	10.92	91.63	1,563.55	1,311.58	2.80	-	13.89	8.37	92.06	1,428.70

29. प्रचालन व अनुरक्षण तथा सामान्य प्रशासनिक प्रभार

(रुपये करोड़ में)

को समाप्त वर्ष	31.03.2022							31.03.2021						
विवरण	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूद्देशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल	विद्युत	सिंचाई	बाढ़ नियंत्रण	सहायक क्रियाकलाप	बहूद्देशीय बांध	ऊपरी क्रियाकलाप	कुल
नियत परिसम्पत्तियों पर हानि हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	11.28	-	-	-	-	-	11.28
संदिग्ध दावों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान (राजस्व व्यय)	155.47	-	-	-	-	-	155.47	0.13	19.32	-	-	-	-	19.45
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान (राजस्व व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03
भंडार में कमी/अप्रचलित मदों हेतु प्रावधान (राजस्व व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02
निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
कुल प्रावधान	155.47	-	-	-	-	-	155.47	11.47	19.32	-	-	-	-	30.79
ओएण्डएम व्यय का हिस्सा														
ईंधन में स्थानांतरित	(18.10)	-	-	-	-	-	(18.10)	(19.01)	-	-	-	-	-	(19.01)
पूँजीकृत	(16.31)	-	-	-	-	-	(16.31)	(15.58)	-	-	-	-	-	(15.58)
सीएसओ	(0.51)	-	-	-	0.01	-	(0.50)	(0.60)	-	-	-	0.01	-	(0.59)
बेरमो	(3.52)	-	-	-	-	-	(3.52)	(2.34)	-	-	-	-	-	(2.34)
अंतरशीर्ष स्थानांतरण	108.30	4.34	4.41	(14.53)	(10.93)	(91.63)	(0.04)	106.43	3.66	4.24	(13.89)	(8.38)	(92.06)	-
कुल हिस्सा	69.86	4.34	4.41	(14.53)	(10.92)	(91.63)	(38.47)	68.90	3.66	4.24	(13.89)	(8.37)	(92.06)	(37.52)
कुल - प्रत्यक्ष तथा साझा	1,635.75	40.39	4.41	-	-	-	1,680.55	1,391.95	25.78	4.24	-	-	-	1,421.97

प्रकटीकरण

लेखा पद्धति

भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना देखें का.ज्ञा. संख्या जीआई/सेक्ट/गेजेट नोटिफिकेशन-1249 दिनांक 12 नवम्बर, 2012 के अनुपालन में निगम का तुलन पत्र तथा लाभ व हानि विवरणी कथित राजपत्र के अनुलग्नक-I व II के अधीन यथा निर्धारित नये प्रारूपों जो कम्पनी अधिनियम 1956 के पुनरीक्षित अनुसूची VI के अधीन की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

सरकारी अनुदान हेतु लेखा पर लेखा प्रणाली मानक-12 के अनुसार प्रकटीकरण

1. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी एम केयूएसयूएम्) हेतु जागरुकता क्रियाकलाप के संचालन हेतु वर्ष के दौरान 0.49 करोड़ रूपये (विगत वर्ष शून्य) राजस्व अनुदान प्रतिचिन्हत किये गये।

2. पूँजीगत परिसम्पत्तियों पर विगत वर्ष में प्राप्त अनुदान परिसम्पत्तियों की उपयोगी जीवन क्षमता पर वितरित की गयी हैं। लाभ व हानि विवरणी में जमा की गयी पूँजीगत अनुदान की राशि 0.03 करोड़ रु. (विगत वर्ष 0.03 करोड़ रुपये) है।

लेखा प्रणाली मानक-15 के अनुसार कर्मचारी लाभ प्रकटीकरण

कर्मचारी लाभ

1. **अंशदायी भविष्य निधि :** निगम पूर्व निर्धारित दर पर अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में सहयोग करता है जो लाभ व हानि लेखा में प्रभारित है। इस निधि का प्रबंध निगम द्वारा किया जाता है तथा सरकारी प्रतिभूतियों, पीएसयू बॉण्ड मे निवेश किया जाता है। निगम के कार्यालय आदेश के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना के अन्तर्गत मौजूदा कर्मचारियों को जीपीएफ (पेंशन) योजना में परिवर्तन के लिए विकल्प प्रयोग हेतु एकबार विकल्प दिया गया है,तदनुसार 63 कर्मचारियों ने इस विकल्प का लाभ लिया है।

2. **नयी पेंशन योजना:** 01.01.2004 को या उसके बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में मासिक आधार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निगम का अंशदान समेकित दर पर लाभ और हानि खाते में प्रभारित तथा नियमित रूप से जमा किया जाता है।

3. **ग्रैच्युटी :** निगम की एक स्पष्ट लाभकारी ग्रैच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने पाँच वर्षों या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है वे अधिवर्षिता, त्याग-पत्र, निकासी, अपंगता या निधन पर पूरे किये गये प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (15/30 xअंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) अधिकतम 20 लाख रूपया ग्रैच्युटी के हकदार है।

4. **पेंशन :** निगम में 01.01.2004 के पूर्व पदभार ग्रहण करनेवाले कर्मचारियों हेतु भारत सरकार के नियमों के अनुसार पेंशन योजनी लागू की गयी है। विद्यमान योजना का निगम द्वारा निधियन तथा एक पृथक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है एवं देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचान की गयी है। मार्च, 2022 तक पेंशन तथा ग्रैच्युटी लेखागत बीमांकिक देयताएँ को रु.6,856 करोड़ मूल्यांकन की गयी तथा खाता में यह राशि पूर्ण रूप से प्रावधानित भी की गई है। 31.03.2022 को ट्रस्ट द्वारा धारित निवल निवेश के समतुल्य मूल्य 6122 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2021-22 हेतु निगम एक्टुअरी द्वारा यथा मूल्यांकित निवेश के कैरिंग मूल्य एवं देयताओं के अंतर के लिए 734 करोड़ रुपये की देयताएँ प्रदान की है।

प्रकटीकरण

5. **अर्जित छुट्टी** प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रतिवर्ष 30 दिनों की अर्जित छुट्टी उनके साख मे जमा की जाती है जो सेवा के दौरान 300 दिनों की संचित की जा सकती है। कर्मचारी किसी विशेष कैलेण्डर वर्ष में एक बार अपनी छुट्टी के 50%को अपने साख में जमा पर अधिकतम 20 दिनों के अधीन नकदीकरण तारीख पर नकदीकरण का हकदार है अधिवर्षिता पर ,एक कर्मचारी 300 दिनों तक की अव्यवहृत छुट्टी का नकदीकरण करने का हकदार है। निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 में अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन किया है तथा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार देयता 328.05 करोड़ रूपये की है। निगम पूर्व के वर्ष में पहले ही अवकाश नकदीकरण हेतु 125.95 करोड़ रूपये तक देयता लेखागत किये है। शेष देयता वित्त वर्ष 2021-22 में 202.10 करोड़ रूपये तक लेखागत किया जा रहा है।

6. **सीपीआरएमएएस :** निगम का एक अंशदायी सेवानिवृति बाद चिकित्सा सहायता योजना (सीपीआरएमएएस) है जो कि जीपीएफ,सीपीएफ एवं एनपीएस संगठन किसी के भी अन्तर्गत आने वाले डीवीसी के कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों एवं उनके पति-पत्नी को सेवानिवृति/सेवा से अलग होने के बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य प्री ऑपरेटिव तथा पोस्ट ऑपरेटिव अवधि हेतु हास्पिटलाइजेशन/ इन-पेशेंट उपचार/ जाँच टेस्ट की लागत हेतु वार्षिक चिकित्सा सहायता सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 391 करोड़ रूपये की देयता मुहैया की है।

उधार लागत पर लेखा प्रणाली मानक -16 के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लागत 54.97 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 53.76 करोड़ रुपये)

संबंधित पार्टी प्रकटन पर लेखा प्रणाली मानक-18 के अनुसार प्रकटीकरण

1. संबंधित पार्टियाँ

मैथन पावर लिमिटेड

डीवीसी एमटा कोल माइंस लिमिटेड

दामोदर घाटी निगम पर्यटन विकास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (प्रा.) लिमिटेड

नैशनल हाई पावर टेस्टिंग प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड

2. महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

अरूप सरकार, सदस्य (वित्त)

संजय कुमार घोष,कार्यपालक निदेशक (ईधन)

सजल बनर्जी ,कार्यपालक निदेशक(प्रचालन)

सुधीर मुखर्जी कार्यपालक निदेशक (खनन)

जयदीप मुखर्जी कार्यपालक निदेशक (वित्त)

सुबोध कुमार दत्ता कार्यपालक निदेशक (प्रणाली)

सत्यवर्त बनर्जी कार्यपालक निदेशक (सिविल)

दीपक विश्वास, अपर सचिव

सौरेन्द्र कूमर दत्त ,वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)

जगेश कुमार मंडिए मुख्य अभियंता (खनन)

प्रकटीकरण

3. उपर्युक्त 1 में संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ मे)

संबंधित पार्टी	निगम द्वारा प्रदत्त कार्यों /सेवाओं का ठेका	ऋण/अग्रिम	लाभांश प्राप्त	विद्युत / कोयला की खरीद	विद्युत की बिक्री	जल की बिक्री	प्रदत्त कार्यों / सेवाओं हेतु वसूली योग्य राशि	प्राप्त कार्यों / सेवाओं हेतु भुगतेय राशि	कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति लेखागत वसूली योग्य राशि	विद्युत/कोयला की खरीद हेतु भुगतेय राशि	विद्युत की बिक्री हेतु वसूली योग्य राशि	जल की बिक्री हेतु वसूली योग्य राशि
मैथन पावर लिमिटेड	3.98	शून्य	0.00	423.14	0.37	21.95	0.14	शून्य	शून्य	58.52	0.19	3.43
विगत वर्ष	0.18	शून्य	46.80	261.56	0.44	16.91	25.71	शून्य	शून्य	56.56	0.17	3.27
डीवीसी एम्टा कोयला खदान लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दामोदर घाटी पर्यटन विकास प्रा.लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बोकारो पावर सप्लाई (प्रा.) लि.	शून्य	शून्य	12.44	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विगत वर्ष	शून्य	शून्य	55.81	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नैशनल हाई पावर टेस्ट प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड	1.84	18.40	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.62	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विगत वर्ष	1.84	18.40	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.74	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रकटीकरण

क. महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक के लिए पारिश्रमिक इस वर्ष(शून्य) तथा विगत वर्ष (शून्य) रहा तथा 31 मार्च, 2022 को निगम के पास बकाया के प्रति कोई राशि नही है।

ख. मैथन राइट बैंक थर्मल पावर स्टेशन (2x525मेवा) के निर्माण हेतु डीवीसी द्वारा एमपीएल के लिए रैयती भूमि (565 एकड़), जीएम(115 एकड़) तथा वन भूमि (436 एकड़) शामिल करते हुए 1116 एकड़ की भूमि अर्जित की गयी। डीवीसी के नाम में कथित भूमि का म्यूटेशन लंबित है, रैयती भूमि हेतु निगम पट्टा के लिए एक करारनामा किया है। गैर मजरुआ भूमि तथा वन भूमि के संबंध में, निगम ने मैथन पावर लिमिटेड के पक्ष में उप पट्टा/ प्रयोग का अधिकार आदि के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार से पहल की है। झारखंड सरकार (जीओजे) ने अनुरोध खारिज कर दिया है। एमपीएल संयंत्र को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक निर्माण हेतु भूमि की इसी पद्धति व्यवस्था की गयी है।

4. संयुक्त उद्यम में अभिरुचि की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखागत मानक-27 के अनुसार प्रकटीकरण

कम्पनी	शेयरों की संख्या (लाख में)	अंकित मूल्य प्रति शेयर (रु०)	31.03.2022 (रु. करोड़ में)
मैथन पावर लिमिटेड.....	3923.20	10	392.32
बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड.....	1240.25	10	124.02
डीवीसी एम्टा कोयला खदान लिमिटेड.....	2.60	10	0.26
दामोदर घाटी पर्यटन विकास कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड.....	0.25	10	0.03
नैशनल हाई पावर टेस्टिंग प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड.....	304.00	10	30.40

प्रकटीकरण

संयुक्त उद्यम में स्वामित्व हित का अनुपात

संयुक्त उद्यम कम्पनी

स्वामित्व हित के अनुपात पर ब्याज (%) की तिथि	31.03.2022	31.03.2021
मैथन पावर लिमिटेड.....	26	26
बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड.....	50	50
डीवीसी एम्टा कोल माइंस लिमिटेड.....	26	26
दामोदर घाटी पर्यटन विकास कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड.....	50	50
नैशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड.....	20	20

अन्य टिप्पणियाँ

1. भारत सरकार ,सहकारिता मामलो के मंत्रालय में दिनांक 3 फरवरी 2022 के आदेश के अनुसरण में डीवीसी एवं आईएल एंड एफएस आईडीसी लिमिटेड के मध्य संयुक्त उधम कंपनी मेसर्स दामोदर वैली ट्युरिस्म डेवलमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम कंपनी के रजिस्ट्रार से हटा दिया गया है एवं उक्त कंपनी को 3 फरवरी 2022 से भंग कर दिया गया। निगम ने संयुक्त उधम कंपनी में 0.23 करोड़ रूपये का निवेश किया है।

2. डीवीसी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार संबंधित साझीदार सरकारों 31 मार्च, 2022 तक निगम द्वारा संचित पूंजी व्यय उपगत लेखा पर 44,523 करोड़ (विगत वर्ष रु. 41,940 करोड़) की पूंजीगत व्यय राशि की ओर देयता संचित किया गया।

3. 31.03.2022 को पूँजीगत लेखा पर निष्पादित तथा प्रावधानित नहीं किये जाने वाली प्रमुख ठेकाओं की अनुमानित राशि रु. 1995 करोड़ (विगत वर्ष रु 2641 करोड़) है।
4. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रणाली के माध्यम से विद्युत की सकल उत्पादन 41,264 मिकिवाघं (विगत वर्ष 38,416 मिकिवाघं) है तथा विद्युत का आयात (गैर सूची अंतपरिवर्तन सहित) 2,047 मिकिवाघं (विगत वर्ष 1751 मिकिवाघं)। विद्युत बिक्री की कुल मात्रा 39,755 मिकिवाघं (विगत वर्ष 37,101 मिकिवाघं)।
5. रु. 6.22 प्रति केएल (विगत वर्ष रु 5.44 प्रति केएल) की औसत दर से 491.94 एमकेएल (विगत वर्ष 466.17 एमकेएल) वर्ष 2021-22 के दौरान औद्योगिक व घरेलू उद्देश्य हेतु जल की मात्रा आपूर्ति की गयी।
6. निवेश दीर्घ अवधि तथा लागत सम्मत है। चूँकि, निवेश के मूल्य में अस्थायी को छोड़कर, कोई मूल्यह्रास नहीं है। लेखागत नीति के अनुसार आवर्ती राशि घटायी नहीं गयी है।
7. परिसम्पत्तियों के मूल्य में ठेकेदारों तथा अन्य द्वारा जमा की गयी ब्याज धारित प्रतिभूतियों को शामिल नहीं किया गया है तथा वित्तीय लेखाओं में लेखागत नहीं है।

प्रकटीकरण

8. अनुकम्पा नियोजन के बदले भुगतेय अनुकम्पा प्रबंधन द्वारा यथा स्वीकृत अन्तिम समायोजन के समय परिगणित किया गया है। अनुकम्पा मामलों हेतु रोजगार के बदले एक बार क्षतिपूर्ति को निगम कार्यलय ज्ञापन दिनांक 27.10.2020 के अनुसार मौजूदा 5 लाख से 15 लाख तक बढ़ा दिया गया है अनुकम्पा आधार पर एक मुश्त अनुकम्पा हेतु रु. 27.54 करोड़ की विद्यमान देयता हेतु प्रबंधन अनुमान 01.04.2010 से डीवीसी की लेखा बही में उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरन भावी देयता को कम करने के लिए वर्तमान आकलन पर आधारित 98.31 करोड़ रूपये के शेष राशि लेखागत किये गये है।

9. लुप्त वैगनों के लेखे में रेलवे प्राधिकारी को जमा की गयी रु. 55.11 करोड़ की दावा राशि रेल द्वारा समय बीत जाने के आधार पर अस्वीकार कर दी गयी है। उपर्युक्त रेलवे प्राधिकारी के साथ मामले पर बातचीत की जा रही है।

10. पारेषण एवं वितरण लाइन के निर्माण, उपभोक्ताओं से जमा कार्य बावत प्राप्त राशि "देयता" के रूप में प्रारम्भिक तौर पर लेखित की जाती है तथा कार्य पूरा होने पर, देयता राशि जमा कार्य पर उपगत वास्तविक व्यय के साथ समायोजित की जाती है।

11. विभिन्न राज्यों और केंद्रीय अभिकरणों के बांधों के. पुनर्वास और संवर्द्धन हेतु विश्व बैंक के ऋण सहाय्य सहित केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल संसाधन मंत्रालय (एमओआर), भारत सरकार द्वारा बांध पुनर्वास और संवर्द्धन परियोजना (डीआरआईपी) अपनाया गया है। डीवीसी के अनुरोध पर आधारित, तीन बांध यथा; कोनार, मैथन और पंचेत को 139 .35 करोड़ रू की अनुमानित लागत सहित डीआरआईपी योजना के अधीन पुनर्वासन हेतु सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना के अधीन कुल लागत का 40% आईबीआरडी ऋण और आईडीए साख प्रत्येक द्वारा और शेष 20% इक्टिवी के माध्यम निधित किया जायेगा। ड्रिप योजना के प्रति उपगत व्यय मार्च, 2022 तक 112.78 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 104.82 करोड़ रुपये) का पूँजीगत कार्य प्रगति पर के अंतर्गत उल्लिखित किया गया। सीडब्ल्यूसी के माध्यम साख सहायता के रूप में मार्च 2022 तक विश्व बैंक से प्राप्त निधि 80.15 करोड़ (विगत वर्ष 80.15 करोड़ रुपये) है।

12. विश्व बैंक सहाय्य सहित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 2016-17 से 2023-24 तक राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के कार्यान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय के अधीन जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास व गंगा पुनरूद्धार (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), भारत सरकार और डीवीसी के बीच एक करार ज्ञापन (एमओए) किया गया है। यह निधि 100% सहायता अनुदान के रूप विश्व बैंक द्वारा प्रावधानित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 9.66 करोड़ रुपये (संचयी रू 19.66 करोड़) की एक राशि को एमओडब्ल्यूआर के माध्यम सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है और चालू देयता समूह के अधीन "एनएचपी बाबत सरकारी अनुदान की प्राप्ति के" के रूप में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान "एनएचपी बाबत उपगत व्यय राशि 6.87 करोड़ रूपये (संचयी 19.74 करोड़ रूपये) को चालू परिसम्पत्ति के अधीन एनएचपी हेतु प्राप्य राशि" के रूप में दर्शायी गयी है।

13. विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार ने विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीफ) से नियंत्रण तथा सुरक्षा प्रणाली के नवीकरण तथा उन्नयन तथा निगम के 220 केवी/132 केवी/ 33 केवी रामगढ़ उपकेन्द्र के उपकेन्द्र उपकरण के प्रतिस्थापन बाबत दो अनुदान की मंजूरी दी ।नियंत्रण तथा सुरक्षा प्रणाली के नवीकरण तथा उन्नयन 220 केवी/132 केवी/ 33केवी रामगढ़ उपकेन्द्र की प्रतिस्थापन हेतु अनुमानित लागत की मंजूरी राशि क्रमश:156.11 करोड़ तथा 28.85 करोड़ हैं। स्वीकृत अनुदान का मूल्य 144.71 करोड और 25.96 करोड़ रू. हैं जो अनुमानित स्वीकृत लागत का 90% हो रहा हैं।220 केवी/132 केवी/ 33 केवी रामगढ़ उपकेन्द्र के उपकरण के प्रतिस्थापन तथा नियंत्रण तथा सुरक्षा प्रणाली के नवीकरण तथा उन्नयन हेतु पीएसडीफ से 3 .90 करोड़ रुपये संचयी ब्याज के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि शून्य करोड़ रू.(संचयी 125.39 करोड़ रूपये) हैं।

प्रकटीकरण

14. मेसर्स रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) को पश्चिम बंगाल में रघुनाथपुर ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण (2 x600 मेवा) हेतु आधारभूत ठेका प्रदान किया गया है आरआईएल के पक्ष में दिनांक 21.12.2019 को दिये गये मध्यस्थता पंचाट के आह्वान द्वारा आरआईएल ने क्षतिपूर्ति का दावा किया है डीवीसी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत मध्यस्थता पंचाट को अलग रखने तथा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36(2) के अन्तर्गत पंचाट को रखने के लिए माननीय उच्च न्यायलय कोलकाता के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायलय कोलकाता ने दिनांक 23.12.2021 को एक आदेश पारित किया है कि मध्यस्थता पंचाट के निष्पादन में रोक होगी जो कि रजिस्ट्रार, मूल पक्ष उच्च न्यायलय कोलकाता के साथ आदेश की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर डीवीसी द्वारा सुरक्षा जमा के रूप में 898 करोड़ (50% राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक गारंटी द्वारा) जमा करने के अध्याधीन है। धारा 34 के अन्तर्गत डीवीसी के आवेदन के निपटारे तक सुरक्षा जमा कोर्ट के पास रहेगी। उच्च न्यायलय के आदेश से व्यथित होकर डीवीसी ने स्पेशल लीव पेटीशन (एसएलपी) भारत के सर्वोच्च न्यायलय के पास दायर की है। सर्वोच्च न्यायलय ने दिनांक 25.04.2022 तथा 31.05.2022 के आदेश को देखते हुए उच्च न्यायलय कोलकाता के रजिस्ट्रार के साथ 898 करोड़ रूपये जमा करने का निदेश दिया तथा राशि जमा करने हेतु आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। डीवीसी के अधिकार में पक्षपात किये बिना 116 करोड़ रूपये की देयता के समायोजन के बाद 31 मार्च 2022 को 782 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया।

15. थोक निविदाकरण के माध्यम सुपरक्रिटिकल तकनीकी के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2009 में रघुनाथपुर में डीवीसी के लिए 1320 मेगावॉट (2 X 660 मेवा) की परियोजना (आरटीपीएस-चरण-II) की संस्थापना का अनुमोदन किया गया। दीर्घकालिक पीपीए और धीमी विद्युत मांग के अभाव में तथा निधि की कमी के कारण निगम को जुलाई 2016 में आरटीपीएस चरण- II हेतु ठेका निरस्त करने के लिए अनुमोदन देना पड़ा था। तथापि, परियोजना की स्थिति पर विचार करते हुए, रघुनाथपुर टीपीएस चरण- II (2 X 660 मेवा सुपर क्रिटिकल) को पुन: शुरू करने प्रक्रिया का अनुमोदन डीवीसी बोर्ड द्वारा मार्च-2018 मिला। मेसर्स डेलोएट को परियोजना के सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के कार्य में लगाया गया। अभिकरण ने जुलाई, 2019 में पुनरीक्षित अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। डीवीसी परियोजना के पुनरुद्धार हेतु गम्भीरता से विचार कर रहा है।

16. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 3 नवंबर 2009 के प्रावधान के शर्तो के अनुसार ,उड़न राख की बिक्री से संग्रहित राशि का अलग से हिसाब किया जाता है तथा उड़न राख के व्यवहार हेतु क्रियाकलाप को सुकर बनाने के लिए तथा आंतसंरचना / सुविधाओं के विकास पर व्यय के प्रति उपयोग किया जाना है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उड़न राख की बिक्री राशि 41.40 करोड़ रुपये रही है तथा उपगत की गयी व्यय की राशि 9.33 करोड़ रुपये रही।

17. कोयला मंत्रालय , भारत सरकार ने डीवीसी को दो कोयला खदानों एमटीपीएस (इकाई 7 व 8) और सीटीपीएस (इकाई -8) के कोयला संयोजन बाबत खगरा , जयदेव कोयला खदान (पश्चिम बंगाल) और तुबेद कोयला खदान (झारखंड) आवंटित किया है। खदान डेवलपर्स सह प्रचालक(एमडीओ) का नियोजन दो कोयला ब्लाकों हेतु किया गया तथा कोयला खदानों के विकास हेतु भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2021 -22 में निगम ने कोयला ब्लाक को छोडने हेतु बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के कारण खागरा जयदेव कोयला ब्लाक के विकास हेतु उपगत किए गए व्यय के समक्ष 155.47 करोड़ रू का प्रावधान रखा है।

18. विद्युत ड्यूटी हेतु मांग के प्रति झारखंड वाणिज्यिक कर विभाग को निगम ने 4.00 करोड़ रू जमा किया तथा वही प्रतिपादित है।

19. डीवीसी द्वारा डीएसटीपीएस संयंत्र के राख कुंड के निर्माण हेतु मेसर्स दुर्गापुर इस्पात संयंत्र [डीएसपी] सेल के एक घटक से 126.15 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है। इस संबंध में औपचारिक करार निष्पादित किया जाना है।

20. निगम ने अवमूल्यन के मौजूदा नीति के अतिरिक्त 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी नयी इकाई को प्रभारित अवमूल्यन की दर में कुछ परिवर्तन किये है। 01.04.2022 के बाद प्रारम्भ किये गए नयी इकाई हेतु अवमूल्यन की दर सीईआरसी के विनियम के अनुसार लगाया जाएगा तथापि पहले से चालू मौजूदा इकाई तथा वहाँ अचल संपत्ति में किये गये किसी परिवर्द्धन पर लेखागत नीति में निर्धारित मौजूदा अवमूल्यन दर के अनुसार अवमूल्यन लगाया जाता रहेगा।

प्रकटीकरण

21. वित्त वर्ष 2021 -22 के दौरान निगम ने विगत अनेक वर्षों से लेखा में प्रकाशित अदावी देयताओं हेतु "देयता छूट" के रूप में 104 करोड़ रूपये लेखागत किये है यदि भविष्य में पहले से लेखागत किये गए देयता छूट के समक्ष कोई वैध दावा प्राप्त होता है तब तदानुसार भुगतान किया जाएगा।

22. दिसम्बर 2015 में बेरमो खदानों का खनन पट्टा समाप्त हो गया। डीवीसी ने इसके नवीकरण के लिए आवेदन किया है परंतु कोयला मंत्रालय इसे सीसीएल को सौंपे जाने के लिए इच्छुक है तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इन खदानों को सीसीएल को सौंप दिया गया। डीवीसी द्वारा सोच-विचार के साथ बेरमो खदानों की विद्यमान परिसम्पत्तियाँ एवं आंतसंरचना सहित सीसीएल को सौंपे जाने के तौर-तरीके अभी तय नहीं किये गये हैं।

आकस्मिक देयताएँ

1. कम्पनी के प्रति दावा ऋण के रूप में अभी स्वीकृत नहीं किये जाने के संबंध में :-

क) कार्य ठेका

i. उपकरणों की आपूर्ति एवं संस्थापन तथा कार्यों के निष्पादन करने वाले कुछ ठेकेदारों ने ठेकागत मूल्य बढ़ाने, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची की संवीक्षा, कार्य की अवधि बढ़ने पर क्षतिपूर्ति आदि का माँग करते हुए रु 648 .85 करोड़ (विगत वर्ष रु.1,895,42 करोड़) हेतु कम्पनी पर दावा किया है। इन दावों का कम्पनी द्वारा विरोध जताया गया चूंकि ये दावा संबंधित ठेकाओं के प्रावधानों के अनुसार प्रयोज्य नहीं है

ii. इन दावों को पूरा करने हेतु ठेका में उपलब्ध विवाद निवाकरण तंत्र के अधीन कम्पनी विभिन्न पहलूओं पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव लंबित इस तरह के दावों के निपटारे के लिए, यदि कोई संसाधनों का बहिर्वाह के एक यथार्थवादी अनुमान बनाने के लिए साध्य नहीं है ।

ख) अन्य

i. विभिन्न राज्यों /केन्द्रीय सरकार/विभागों/प्राधिकरणों द्वारा शुल्क जुर्माना कर आदि तथा अन्य फुटकर देयताओं के संबंध मे किये गये दावा का मूल्यांकन रु. 25.46 करोड़ (विगत वर्ष रु.407.06 करोड़) अनुमानित किया गया है।

ii. विभिन्न निजी कंपनियों / पार्टियों आदि द्वारा किया गया दावा तथा अन्य फुटकर देयताओं के संबंध में रु 1.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1.50 करोड़) अनुमानित किया गया है।

अरूप सरकार
सदस्य (वित्त)

राम नरेश सिंह
अध्यक्ष

वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

2021-22

वित्त वर्ष 2021 – 22 हेतु लेखा परीक्षा मंतव्यों पर प्रबंधन का जबाब

लेखा परीक्षा मंतब्य	प्रबंधन का जबाब
तुलन - पत्र **परिसंपत्तियाँ** **चालू परिसंपत्तियाँ** **नकदी तथा नकदी समतुल्य (टिप्पणी - 20) : रु. 198.75 करोड़ रुपये** **1 (क)** फरवरी -2020 से मार्च 2022 के दौरान उपभोक्ताओं से डीवीसी के बैंक खाते में ईबीए के माध्यम से सीधे प्राप्त ऊर्जा प्रभारों की गणना नहीं होने के कारण इसे 36.28 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार प्राप्तियों में भी उसी राशि तक की अधिक बयानी हुई है।	**1 (क)** लेखाओं की प्राप्ति की तुलना में प्रतिचिन्हयन हस्तचालित विधि से किया जाता है; ईआरपी जैसी कोई एकीकृत प्रणाली नहीं है। कुछ अवसरों पर प्रतिचिन्हयन की प्रक्रिया लंबी होती है जो समय सापेक्ष है। यद्यपि, 34.58 करोड़ रुपये पहले ही प्रतिचिन्हित कर ली गयी है तथा वित्त वर्ष 2022-23 में लेखागत किया गया है। बैंक तथा डीवीसी के अन्य विभागों के साथ परामर्श कर शेष राशि को लेखागत किया जाएगा।
1 (ख) विद्युत संयंत्रों हेतु एफजीडी उपकरण की आपूर्ति के प्रति एल सी के माध्यम से किये गये भुगतानों की गणना नहीं होने के कारण यह शेष 49.67 करोड़ रूपये तक अधिक दर्शाया गया है। इनवॉइस/ बिलों तथा एसआरआईएन के विवरण नहीं होने के कारण, परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर इनके प्रभाव की जांच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सका।	**1 (ख)** एफजीडी(जारी निर्माण कार्य के संबंध में) से संबन्धित भुगतान का एक अंश लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के माध्यम से किया जाता है। विक्रेता द्वारा बैंक को बिल प्रस्तुत की जाती है तथा बैंक द्वारा सीधे विक्रेता को भुगतान किया जाता है। चूँकि, बैंक द्वारा प्रस्तुत कुछ विवरण टुकड़ों के रूप में दर्शाएँ गए थे इसलिए बिल – वार विवरण की अप्राप्ति के कारण हरेक का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सका। यद्यपि, इसे वित्त वर्ष 2022-23 में पहले ही लेखागत कर दिया गया है। निर्धारित किया जा सकता है कि यह लंबी प्रक्रिया है जो बैंकों से प्राप्त दस्तावेजों पर निर्भर करती है तथा बैंक कि ओर से किसी विलंब के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष में लेखागत ओवरलेपिंग हो जाता है।
1 (ग) वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक प्रोसेसिंग शुल्क के प्रति निगम के नकद जमा खाते से पंजाब नेशनल बैंक(पूर्व में यू बी आई) द्वारा 1.25 करोड़ रुपये की राशि 15.06.2021 सीधे काट ली गयी। डीवीसी ने बताया कि बैंक द्वारा काटी गयी प्रोसेसिंग शुल्क डीवीसी से संबंधित नहीं थी। उन्होंने रकम की वापसी हेतु बैंक से अनुरोध किया है। यद्यपि, यह राशि 10 अगस्त, 2022 को बोर्ड द्वारा लेखे के अनुमोदित होने तक वापस (वापस जमा)नहीं की गयी थी। अतएव, उपर्युक्त शेष में उतनी राशि अधिक दर्शायी गयी है।	1 (ग) पीएनबी- चालू खाता संख्या -82250010682 (पूर्व में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा 1.25 करोड़ रुपये की एक राशि 15.06.2021 को वार्षिक प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्रभारित की गयी थी। बैंक द्वारा प्रभारित कथित शुल्क डीवीसी से संबंधित नहीं था। पत्र दिनांक 26.10.2021 के माध्यम से इस राशि की वापसी हेतु बैंक को सूचित किया गया था परन्तु आज की तिथि तक जिसे वापस नहीं किया गया , अतएव, बीआरएस में परिलक्षित हो रहा है। आगे मामले को ठीक करने के लिए विभिन्न तिथियों पर पीएनबी को अनुस्मारक पत्र जारी किए गए। पीएनबी ने सूचित किया है कि वे अपने मुख्यालय के परामर्श से इस मामले पर कार्रवाई कर रहे है तथा उनके मुख्यालय से परामर्श प्राप्त होने पर काटी गयी कथित राशि की वापसी हेतु कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि, पीएनबी से पुष्टीकरण लंबित होने के कारण इसे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक प्रभारों हेतु लेखागत किया गया है। जैसे ही पीएनबी से यह राशि वापस की जाएगी उसे तदनुसार लेखागत किया जाएगा।

लाभ एवं हानि विवरण **राजस्व** **प्रचालन से राजस्व(टिप्पणी-23)** **विद्युत की आपूर्ति : 21,799.31 करोड़ रुपये** **2.** अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2021 तक (21.72 करोड़ रूपये) तथा जनवरी से मार्च 2022 तक(2.91 करोड़ रूपये) की अवधि के दौरान मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) से विद्युत की लागत के प्रति "बिल रहित राजस्व" के रूप में दर्ज 24.63 करोड़ रूपये की राशि इसमें सम्मिलित है। एमपीएल ने सीईआरसी के दिनांक 8 जनवरी 2022 के शुल्क दर आदेश के आधार पर मार्च से मई 2022 के दौरान बिलों की उगाही की है। डीवीसी ने एमपीएल द्वारा उगाहे गये बकाया विद्युत प्रक्रय लागत को 'व्यय' के रूप में परिकलित किया है तथा साथ ही उसे 'बिल रहित राजस्व ' के रूप में 'राजस्व' में यह प्रत्याशित करते हुए जमा किया है कि इसकी वसूली वितरण शुल्क दर के रूप में कर ली जाएगी। वास्तविकता यह है कि डीवीसी राज्य विनियम आयोगों (एसईआरसी) द्वारा अधिसूचित मौजूदा शुल्क दर के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति बिल जारी करती है। विगत वर्षों में विद्युत प्रक्रय पर आयी लागत की वसूली, डीवीसी द्वारा दायर की जाने वाली याचिकाओं के आधार पर, सीईआरसी द्वारा जारी समायोजित (ट्रूइंग अप) शुल्क दर आदेश के अनुसार की जाती है। अतएव, विनियमन आयोगों द्वारा जारी किसी शुल्क दर के बगैर ही पूरी राशि को राजस्व मान लेने का परिणाम, प्रचालन से राजस्व के अतिरिक्त दर्शाने में हुआ है। इसके परिणामस्वरूप लाभ तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों (बिल – रहित राजस्व) दोनों में ही प्रत्येक में 24.63 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त रूप से दर्शाया गया है।	**2.** वितरण व्यवसाय हेतु औसत राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के निर्धारण के समय दोनों राज्य विनियमन आयोग ने पूर्व में कुल विद्युत प्रक्रय लागत की अनुमति दी है। विद्युत हेतु अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने अपील संख्या 255 दिनांक 23.03.2016 की कंडिका (जे) में विद्युत प्रक्रय की समग्र नियत लागत पर विचार करने के लिए भी राज्य आयोग को निदेश दिया। पश्चिम बंगाल राज्य विनियमन आयोग ने वित्त वर्ष 2017-18 के संबंध में कुल विद्युत विक्रय लागत,जिसका दावा डीवीसी द्वारा किया गया था, देंखें आदेश दिनांक 05.05.2022 को स्वीकार कर लिया है।। वास्तविकता यह है कि शुल्कदर के माध्यम डीवीसी द्वारा उपगत विद्युत प्रक्रय लागत की वसूली की कोई अनिश्चितता नहीं है।
अन्य आय (टिप्पणी-24) **विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस): 571.95 करोड़ रुपये** **3.** डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा पारित(मार्च/ जून 2020) शुल्क दर आदेश के आधार पर 2006-2013 की अवधि हेतु 10 औद्योगिक उपभोक्ताओ पर जनवरी 2021 से जून 2021 के दौरान डीवीसी द्वारा निर्गत किये गये विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस) बिलों के रूप में 66.39 करोड़ रुपये का योग इसमें शामिल है।	**3.** अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 10.05.2010 के साथ पठित केन्द्रित आयोग के आदेश दिनांक 06.08.2009 एवं 23.06.2011 के सभी शर्तों के अनुसार डीवीसी को विद्युत बकायों को भुगतान न होने के संबंध में विलंब भुगतान अधिभार (डीपीएस) का दावा किया गया है। उपभोक्ता को देय समय में अंतिम शुल्क दर आदेशों या केंद्रीय आयोग के अंतिम शुल्क दर आदेशों के अनुसार जारी बिलों का भुगतान करना उत्तरदायित्व बनता है। यदि उपभोक्ता ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो वे डीपीएस भुगतान के लिए जिम्मेवार होंगे। जबकि बहुत से उपभोक्ताओं ने उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जारी बिलों का भुगतान मासिक बिलों के बकायों में विधिवत समायोजित किया कुछ नए कानूनी मामले के तहत भुगतान नहीं किया अंततः केंद्रीय आयोग ने आदेश दिनांक 27.09.2013 के तहत शुल्क दर निर्धारित कर दिया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.01.2017 पारित किया उसके बाद जिन उपभोक्ताओं ने 2010 - 13 अवधि के लिए भुगतान नहीं किया उन्होंने किस्तों तथा डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा वितरण तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क दर के अंतिम निर्धारण के अधीन भी भुगतान करने का आग्रह किया।

विद्युत अधिनियम 2003 (जून 2003 से प्रभावी) लागू होने के बावजूद, डीवीसी ने अपने शुल्क दर के निर्धारण के लिए सीईआरसी / राज्य आयोगों से विनियामक संपर्क नहीं किया तथा डीवीसी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार अपने शुल्क दरों का निर्धारण करता रहा । शुल्क दर निर्धारण के लिए डीवीसी के प्राधिकार को विभिन्न अदालतों में चुनौती दी गयी थी तथा अंततः भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर, डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा 2006-2013 की अवधि हेतु शुल्क दर निर्धारित किया गया । इसके फलस्लवरूप , डीवीसी ने बकाया भुगतानों के प्रति उपभोक्ताओं को डीपीएस सहित बिल जारी किया । डीवीसी के उपर्युक्त निर्णय को उपभोक्ताओं ने कलकत्ता के उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमें न्यायालय ने दिनांक 24-01-2022 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया कि अंतिम शुल्क दर निर्धारण के पश्चात पहली बार बिल जारी किये गये थे, अतः डीपीएस प्रभारित करना अवैध तथा आधारहीन है, और इस प्रकार डीपीएस शामिल करते हुए डीवीसी द्वारा जारी बिलों को निरस्त एवं रद्द किया जाता है। अतएव, न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण आदेश के बावजूद तथा इसकी अपनी लेखागत नीतियों जो कहती है कि (संदर्भ कंडिका 13.3) "डीपीएस तभी मान्य होगा यदि उसकी उगाही में किसी प्रकार का संदेह न हो ।" को उल्लघंन करते हुए डीपीएस को मान्यता के परिणामस्वरूप चालू परिसम्पत्तियों (व्यापार प्राप्ति) के अतिरिक्त विवरण के समतुल्य 66.39 करोड़ रुपये तक लाभ के बताये जाने से उपर्युक्त शीर्ष में भी अधिक बयानी हुई है ।	डीवीसी ने डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं होने पर भी किश्तों में भुगतान स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया तथा डीपीएस की वसूली डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा लंबित निर्णय पर को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है । यद्यपि डीवीसी से विलंब भुगतान अधिभार की छूट देने के लिए सहमत नहीं है डीवीसी ने डब्ल्यूबीईआरसी से आदेश दिनांक 19.03.2020 के अनुसार डीवीसी को उपभोक्ताओं द्वारा देय दावा राशि को अद्यतन किए जाने की प्रतीक्षा की तथा डब्ल्यूबीईआरसी के अंतिम आदेशों के पारित होने के पश्चात डीपीएस का दावा किया गया । यद्यपि, डीवीसी ने फैसले के प्रति दिनांक 24.01.2022 को कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की फिलहाल मामला न्यायाधीन है अदालत के अंतिम आदेश के पश्चात लेखा में आवश्यक समायोजन किया जाएगा । यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्योंकि बहुत से उपभोक्ताओं ने उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में मासिक बिलों के बकाया का भुगतान या समायोजन किया जो यह दर्शाता है कि ऐसे बकायों की उगाही में कोई पर्याप्त अनिश्चितता नहीं है ।
व्यय **विद्युत प्रकय की लागत (टिप्पणी-25)** **विनियम के माध्यम से विद्युत की खरीद : 342.19 करोड़ रूपये** **4.** अगस्त 2021, माह के दौरान, पावर एक्सचेंज- आईईएक्स से विद्युत प्रक्रय की लागत की परिगणना नहीं होने के कारण 23.24 करोड़ रूपये कम दर्शाया गया है, जिसके लिए एसबीआई, कॉरपोरेट एकाउंट शाखा,कोलकाता में विद्यमान आईईएक्स सेटलमेंट एकाउंट के माध्यम उसी माह में ऑन-लाइन भुगतान किया गया था । इसके परिणामस्वरूप उक्त वर्ष हेतु लाभ में 23.24 करोड़ रुपये की अधिक बयानी हुई और साथ ही उसी सीमा तक नकदी तथा नकदी समतुल्य को भी अधिक दर्शाया गया ।	**4.** डीवीसी भुगतान के जरिए आवश्यकता आधार पर विद्युत विनियमन से विद्युत प्रक्रय करता है। विनियमन द्वारा राशि ब्लॉक कर दी गई है । विशिष्ट बैंक खाता के परिचालन अधिकार का उचित पूर्वक व्यवहार नहीं किया जा सका । अतएव समय पर बीआरएस तैयार नहीं की जा सकी। यद्यपि, वित्त वर्ष 2022 23 के दौरान बीआरएस तैयार किया गया तथा विद्युत के प्रक्रय हेतु आवश्यक इंदराज पारित किए गए ।

प्रचालन तथा अनुरक्षण एवं सामान्य प्रशासनिक प्रभार (टिप्पणी-29)
राख निष्क्रमण तथा उपयोगिता व्यय : 166.28 करोड़ रूपये

5. सितम्बर 2021 में ऐश डाइक के टूटने के कारण, मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (एमटीपीएस) मे फसलों तथा कृषि योग्य भूमि की क्षति के प्रति देयताओं का प्रावधान नहीं होने के कारण यह 20 करोड़ रूपये तक कम दर्शाया गया है। नैशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल के आदेश के अनुसार अनंतिम रूप से यह राशि 36.88 करोड़ रूपये आँकी गयी थी। दावा के लंबित अंतिम मूल्यांकन के पूर्व डीवीसी ने एनजीटी के आदेश (9 मई 2022) के अनुसार अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में डीएम, बांकुड़ा के पास 20 करोड़ रूपये जमा किया ।अतएव लेखे में जमा की गयी राशि की सीमा तक देयताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

उपर्युक्त का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप 20 करोड़ रुपये तक लाभ अधिक दर्शाया गया।

5. मेजिया ताप विद्युत केंद्र (एमटीपीएस) में आसमान फटने तथा 29.09.2021 को बांकुड़ा जिला पश्चिम बंगाल के पासवर्ती क्षेत्रों में दीर्घ रात्रि अत्यधिक वर्षा के कारण डाइक (कुंडों#2) के कुछ हिस्से ध्वस्त होने के परिणामस्वरूप पासवर्ती भूमि में राख गाद का बहाव हुआ था। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रखंड विकास अधिकारी वीडीओ को इस दुर्घटना के कारण किसानों को हुई क्षति की राशि का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। क्योंकि वीडियो इस क्षति का मूल्यांकन नहीं कर सका माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 31 मार्च, 22 को अपनी सुनवाई के पश्चात जिलाधीश बांकुड़ा को इस दुर्घटना के कारण किसानों को हुई क्षति का मूल्यांकन करने का आदेश दिया। तद्नुसार, जिलाधीश बांकुड़ा ने अपने हलफनामा 03.05.22 में ₹36.88 करोड़ तक की क्षति प्रारंभिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया तथा वास्तविक मूल्यांकन हेतु कुछ और समय की याचना की। क्षति के प्रारंभिक मूल्यांकन में दो घटक शामिल हैं –

i. प्रभावित फसल का प्रत्याशित कुल आर्थिक मूल्य ₹8.92 करोड़ (लगभग) जैसा की सहायक निदेशक कृषि जी.घाटी, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिवेदित है तथा

ii. क्षतिग्रस्त भूमि का कुल मूल्यांकन ₹27.96 करोड़ (क्षतिग्रस्त भूमि का मूल्यांकन) 8 मौजा में फैले 1012.63 एकड़ भूमि का बाजार मूल्य ध्यान में रखकर किया गया

हलफनामा प्राप्त करने के पश्चात एनजीटी ने 9 मई 2022 को निम्नलिखित को शामिल करते हुए चार सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश पारित किया :

1. आंचलिक अधिकारी वन पर्यावरण व वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2. आंचलिक अधिकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3. पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकारी तथा
4. जिलाधीश, बांकुड़ा

एनजीटी ने निर्देश दिया कि संयुक्त समिति जिलाधीश के रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट के रूप में विचार कर सकती है तथा डीवीसी को अवसर प्रदान करते हुए तीन माह के भीतर क्षतिपूर्ति की मात्रा को अंतिम रूप देगी। समिति पर्यावरण को हुई क्षति की पुनर्स्थापना तथा प्रभावित व्यक्तियों को सुविधाएं/मुआवजा की मदवार अनुमानित लागत सहित कार्ययोजना भी तैयार कर सकती है। इस दौरान डीवीसी जिलाधीश बांकुड़ा के पक्ष में ₹20 करोड़ की अंतिम मुआवजा जमा कराएगी जो माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा अनुवर्ती आदेश के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित पद्धति में पुनर्स्थापन योजना के निष्पादन हेतु व्यवहार किया जाएगा। परवर्ती विचाराधीन सूची 17.10.22 को निर्धारित की गई थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है।

चूँकि यह मामला न्यायाधीन है माननीय नजीटी के अंतिम आदेश के आधार पर इसे लेखा प्रभावी किया जाएगा यदि मामला एनजीटी के समक्ष लंबित है राशि फुटकर देयताओं के रूप में दर्शाया गयी है।

लेखे पर टिप्पणियां :-	
6 (क) डीवीसी द्वारा दायर ए आर आर याचिका के आधार पर, डब्ल्यूबीईआरसी ने अप्रैल 2017 के बाद से प्रभावी कर तथा डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा अगला आदेश जारी किये जाने तक वर्ष 2017-18 हेतु शुल्क दर आदेश (5 मई,2022) पारित किया। कथित शुल्क दर आदेश में, डब्ल्यूबीईआरसी ने डीवीसी को कुछ अतिरिक्त व्यय करने की अनुमति दी थी। तदनुसार, डीवीसी ने 1767.62 करोड़ रुपये को बिल रहित राजस्व तथा 136.75 करोड़ रुपये को इलेक्ट्रिक ड्यूटी के रूप में दर्ज किया। फलस्वरूप, इसने उपभोक्ताओं को बिल जारी किया जिसे विद्युत की अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) में चुनौती दी गयी। अधिकरण (ट्राईब्यूनल) ने अपने दिनांक 21 जून 2022 के आदेश द्वारा बकायों के भुगतान पर रोक लगा दी। चूँकि, दर्ज राजस्व विवादित हो गया था इसकी अहमियत को देखते हुए, लेखो में इस संबंध में एक उचित प्रकटीकरण किया जाना चाहिए था।	**6 (क)** माननीय डब्ल्यूबीईआरसी आदेश दिनांक 05.05.2022 के आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल अस्थाई उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी किए गए थे। उपभोक्ताओं के एक हिस्से ने आदेश के प्रति कलकत्ता उच्च न्यायालय में दस्तक दी। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि अंतिम निर्णय तक बकाया बिलों के गैर भुगतान हेतु कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए परंतु उपभोक्ताओं द्वारा नियमित बिल का भुगतान किया जाएगा। शुल्कदर आदेश दिनांक 05.05.2022 के आधार पर नियमित बिल जारी किए जा रहे हैं। अंतिम निर्णय आना बाकी है। आज की तिथि तक कुछ उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिलों का भुगतान किया है। अतएव उसे उल्लिखित नहीं किया गया है।
6 (ख) व्यापार प्राप्ति (टिप्पणी -19) में बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) से प्राप्ययोग्य 341.77 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो बीवाईपीएल द्वारा इस आधार पर विवादित था कि डीवीसी ने डीपीएस के विगत बकायों के प्रति भुगतान के समायोजन के बाद निकाले गये बकाया राशि (अक्तूबर 2011 से जनवरी 2017) तथा उसके साथ मूल राशि पर डीवीसी परिगणना किया था। पहले डीपीएस तथा उसके बाद मूल राशि के प्रति भुगतान के समायोजन की नीति ना ही बीवाईपीएल के साथ निष्पादित पीपीए में उल्लिखित थी और न ही सीईआरसी द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश / अनुदेश में इसका उल्लेख किया गया था। सीईआरसी ने बाद में इलेक्ट्रिसिटी (एलपीएससी) नियम 2021 अधिसूचित (22 फरवरी, 2021) किया जिसमें उपर्युक्त नीति अधिसूचना की तिथि से लागू की गयी थी। यद्यपि, डीवीसी ने इस संबंध में अनुकूल निर्णय पारित करने हेतु सीईआरसी के समक्ष याचिका (319/एमपी/2019) दायर किया जो अभी लंबित है। इस तथ्य को लेखे में दर्शाया जाना चाहिए।	**6 (ख)** बीवाईपीएल के साथ पीपीए में भुगतान प्रक्रिया के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। 2021 में विद्युत मंत्रालय ने विनियोग प्रक्रिया का आदेश निर्गत किया। विद्युत मंत्रालय के आदेश का सार अर्थ यह है कि पहले डीपीएस बिलों के समायोजन के पश्चात् विद्युत बिलों का समायोजन किया जाएगा। इस संबंध में गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ तथा अन्य (2006) 8 एससीसी 457 में भी पहले डीपीएस के समायोजन पर बल दिया गया जो माननीय उच्च न्यायालय के गठित पीठ के निर्णय के अनुसार है : डीवीसी ने 24.08.2006 को डीटीएल अर्थात दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड जो एक सरकारी निकाय है के साथ दीर्घकालिक हस्ताक्षरित किया। वीवाईपीएल के साथ डीवीसी का कोई पृथक पीपीए नहीं है। वही पीपीए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) आदेश दिनांक 31.03.2007 द्वारा दिल्ली के तीन वितरण लाइसेंसी वीवाईपीएल, बीआरपीएल तथा टीपीडीडीएल के साथ निहित है। वर्ष 2006 में डीटीएल के साथ पीपीए के हस्ताक्षर के समय सीईआरसी विनियमन में भुगतान पद्धति के संबंध में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था। प्रसिद्ध पद्धति अधिसूचना दिनांक 19.02.2021 (सीईआरसी शुल्क दर की अनुबंध शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियमन 2021 में शामिल किया गया है परन्तु भुगतान के प्रति बकायों के समायोजन के आशय को डीपीए के रूप में वसूले जाने वाले प्रथम तत्व को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त मामला सीईआरसी के समक्ष न्यायाधीन है। न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ लेखा में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

टिप्पणी

उपभोक्ता मीट 2021

डीवीसी टावर्स में राज्य स्तरीय चित्रकारी प्रतियोगिता 2021

डीवीसी ने 10/09/2021 को बर्दवान शहर में विद्युत आपूर्ति संयोजन मेला आयोजित किया

डीवीसी, डीएसटीपीएस में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान पर बैठो और आंको प्रतियोगिता

दामोदर
घाटी
निगम

डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड
कोलकाता 700 054
वेबसाइट: www.dvc.gov.in